सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट
2020-2021

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार
5, संसद मार्ग, जीवन तारा बिल्डिंग, प्रथम तल, पटेल चौक,
नई दिल्ली - 110 001

अध्याय	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	
2.	आयोग की संरचना	
3.	आयोग की बैठकें	
4.	वर्ष के उल्लेखनीय बिंदु	
5.	यात्रा और दौरे	
6.	वर्ष के दौरान प्राप्त याचिकाओं और शिकायतों का विश्लेषण	
7.	अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारों की वंचना और विश्वविद्यालयों से संबद्धता के मामले	
8.	केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के हवाले तथा आयोग की अनुशंसाएं	
9.	अल्पसंख्यकों की शिक्षा के समन्वित विकास के लिए अनुशंसाएं	
10.	अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले	
11.	सूचना का अधिकार (आरटीआई)	
12.	निष्कर्ष	

अध्याय 1 - प्रस्तावना

1.1 सिंहावलोकन

"शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए एकल सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज्ञान एवं कौशल से समुचित रूप से लैस सुशिक्षित आबादी न केवल आर्थिक विकास में मदद के लिए आवश्यक है, अपितु विकास के समावेशी होने की शर्त भी है क्योंकि शिक्षित एवं कुशल व्यक्ति ही विकास से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों का उपयोग कर सकता है।" ('12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण' का पैरा 10.1)। शिक्षा मंत्रालय समता एवं उत्कृष्टता के साथ भारत के मानव संसाधन की पूर्ण क्षमता को साकार के विजन के साथ समावेशी एजेंडा पर बल दे रहा है। सरकार शिक्षा में सभी अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत के संविधान ने देश में अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया है। बहुलवादी समाज में अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार देने का उद्देश्य उन्हें आबादी के विशेषाधिकृत वर्ग के रूप में मानने के बजाय ऐसे समुदायों को सुरक्षा की भावना प्रदान करना है। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार असमानताओं का सृजन करने के लिए अभिकल्पित नहीं किए गए थे, अपितु यह अल्पसंख्यक संस्थाओं का संरक्षण सुनिश्चित करके और इन संस्थाओं के प्रशासन के मामले में स्वायत्तता की गारंटी देकर समानता लाने के लिए था। भारत में, मूलभूत अधिकार के रूप में भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। संविधान अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए बहुत औपचारिक और अखंडनीय व्यवस्था करता है।

अनुच्छेद 30 : शिक्षण संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार -

(1) सभी अल्पसंख्यकों, धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर, को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार होगा।

(1ए) खंड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और संचालित किसी शैक्षणिक संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण का प्रावधान करने वाला कोई कानून बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए इस तरह के कानून द्वारा नियत या इसके तहत निर्धारित राशि ऐसी होगी जो उस खंड के तहत प्रत्याभूत अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगी।

(2) शैक्षिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने में राज्य किसी भी शैक्षिक संस्था के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी अल्पसंख्यक, चाहे धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर, के प्रबंधन के अधीन है।

केंद्र सरकार ने 6 समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय (एमसी) के रूप में अधिसूचित किया है।

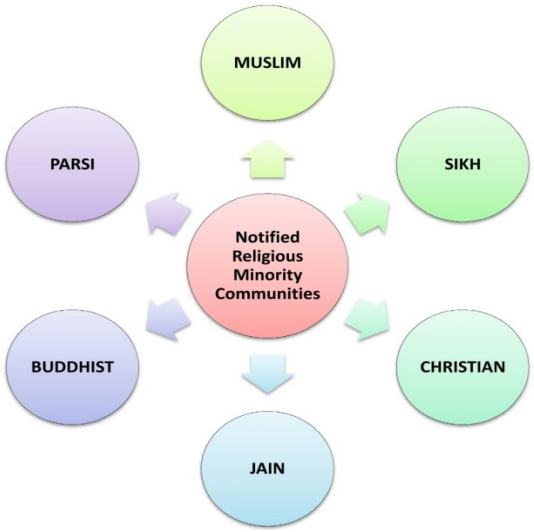

चित्र 1.1: भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय

2011 की जनगणना के अनुसार, अल्पसंख्यक समुदायों सहित विभिन्न समुदायों के लोगों का प्रतिशत एवं संख्या इस प्रकार है :

- हिंदू : 79.8 प्रतिशत (966.3 मिलियन),
- मुस्लिम : 14.23 प्रतिशत (172.2 मिलियन),
- ईसाई : 2.30 प्रतिशत (28.7 मिलियन),
- सिख : 1.72 प्रतिशत (20.8 मिलियन),
- बौद्ध : 0.7 प्रतिशत (8.5 मिलियन),
- जैन : 0.37 प्रतिशत (4.48 मिलियन),
- पारसी : 57,264
- अन्य : 0.9 प्रतिशत (10.9 मिलियन)

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (एमईआई) स्थापित करने के लिए मांग शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षाविदों, प्रतिष्ठित नागरिकों, सामुदायिक नेताओं और अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े अन्य हितधारकों के साथ आयोजित अनेक बैठकों में उठाई गई। अगस्त 2004 में आयोजित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति की बैठक में विशेषज्ञों द्वारा इसी तरह की मांग की गई।

अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न वर्गों की मांगों को ध्यान में रखते हुए नवंबर, 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। उक्त अध्यादेश को संसद के अधिनियम से प्रतिस्थापित करने के लिए, दिसंबर 2004 में संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग विधेयक, 2004 पेश किया गया। जनवरी 2005 में एनसीएमईआई अधिनियम अधिसूचित किया गया। उच्च शिक्षा विभाग, पूर्ववर्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार ने 11 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग को अधिसूचित किया और नई दिल्ली में स्थित इसके मुख्यालय के साथ 16 नवंबर 2004 को आयोग का गठन किया।

1.3 आयोग के बारे में :

आयोग अर्ध न्यायिक निकाय है तथा इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं। आयोग में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। अध्यक्ष किसी अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होता है जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है तथा सदस्य किसी अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं और वे श्रेष्ठ, सक्षम एवं ईमानदार व्यक्ति होते हैं। आयोग की प्रमुख भूमिकाएँ हैं () अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में किसी संस्था के स्टेटस से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेना और उसके ऐसे स्टेटस की घोषणा करना () अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में किसी प्रश्न पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना, जो इसे संदर्भित किया जा सकता है।

1.4 आयोग के कार्य :

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) तथा यथासंशोधित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 18) एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का 20) की धारा 11 के अनुसार आयोग के कार्य नीचे बॉक्स में दिए गए हैं :

(क) अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बन्धित किसी प्रश्न, जो उसे संदर्भित किया जा सकता है, पर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना।

(ख) अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अपवंचन या उल्लंघन से संबंधित शिकायतों और किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता से संबंधित किसी विवाद के बारे में स्वप्रेरणा से या किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका की जांच पड़ताल करना तथा कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को अपने निष्कर्षों से अवगत कराना।

(ग) किसी न्यायालय के समक्ष ऐसे न्यायालय की अनुमति से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के किसी अपवंचन या उल्लंघन से संबद्ध किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।

(घ) अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत अथवा उस समय प्रचलित किसी कानून के अन्तर्गत किए गए सुरक्षोपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यन्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना।

(ङ) अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पसंद की संस्थाओं के अल्पसंख्यक दर्जा तथा स्वरुप के संवर्धन एवं संरक्षण के उपाय विनिर्दिष्ट करना।

(च) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रुप में किसी संस्था के दर्जा से संबंधित सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना तथा इस रूप में उसके दर्जे की घोषणा करना।

(छ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को सिफारिशें करना और

(ज) ऐसे अन्य कार्य एवं चीजें करना जो आयोग के सभी या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

1.5 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 :

आयोग की प्रभावी कार्यपद्धति के लिए, अधिनियम में संशोधन करने के लिए सरकार को सिफारिशें की गईं। सरकार ने संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया। तथापि, संविधान के 93वें संशोधन के मद्देनजर जिसने अनुच्छेद 15 में खंड (5) जोड़ा।http://www.legalserviceindia.com/articles/articles.html इसलिए, अध्यादेश के माध्यम से एनसीएमईआई अधिनियम में संशोधन करना समीचीन हो गया। तदनुसार, सरकार द्वारा 23 जनवरी, 2006 को एक अध्यादेश अधिसूचित किया गया जिसका स्थान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 ने लिया जो 29 मार्च, 2006 को अधिसूचित हुआ।

1.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 :

अन्य के अलावा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2010 में मुख्य परिवर्तन अधिनियम की धारा 10(1) में संशोधन था, जिसमें कहा गया है कि "उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहता है, उक्त उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है।" आयोग के प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाने के लिए आयोग में एक अतिरिक्त सदस्य के लिए प्रावधान करके अधिनियम की धारा 3 (2) में संशोधन किया गया।

अध्याय 2 - आयोग की संरचना

2.1 आयोग की संरचना एवं अन्य स्टाफ

अध्यक्ष आयोग के मुखिया हैं और इसके तीन सदस्य हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

सरकार ने 5 वर्ष की अवधि के लिए आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति एम एस ए सिद्दीकी की नियुक्ति के लिए 26 नवम्बर, 2004 को अधिसूचना जारी की थी। अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 2009 में अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया। डॉ. मोहिन्दर सिंह और डॉ. सिरियक थामस ने आयोग के सदस्य के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए क्रमशः 08, अप्रैल, 2010 और 12 अप्रैल, 2010 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री जफर आगा ने 26 मार्च, 2012 को आयोग के तीसरे सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

आयोग के सदस्य डॉ. मोहिन्दर सिंह ने व्यक्तिगत कारणों के चलते 30 नवंबर, 2014 को त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर डॉ. नाहिद आबिदी (पद्मश्री) को कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात 07 अप्रैल, 2015 तक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। डॉ. सिरियक थामस का कार्यकाल 11 अप्रैल, 2015 को समाप्त हो गया।

डॉ. बलतेज सिंह मान ने 03 दिसंबर, 2020 को पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा किया और डॉ. नाहीद आबिदी ने 06 दिसंबर, 2020 को अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया।
न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने 01 अक्टूबर, 2018 को अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। डॉ. जसपाल सिंह ने 15 जून, 2018 को आयोग के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया।

आयोग ने शास्त्री भवन, नई दिल्ली से कार्य करना प्रारंभ किया था और अगस्त 2005 में जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चैक, नई दिल्ली में स्थानान्तरित हो गया। 2004 में, आवश्यक प्रशासनिक करने एवं कार्यालय सहायता प्रदान करने के लिए, प्रारंभ में 22 पद संस्वीकृत किए थे। 2005 और 2006 में क्रमश: एक और 10 अतिरिक्त पद संस्वीकृत किए गए। आयोग में कुल 33 संस्वीकृत पद हैं जिसमें सचिव, उप सचिव, वरिष्ठ पीपीएस, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी के एक-एक पद शामिल हैं।
इस समय सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, और एक एमटीएस के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया है। सहायक कर्मचारियों की सेवाओं को एडसिल (भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय का उपक्रम) के माध्यम से आउटसोर्स किया गया है।

2.2. आयोग की शक्तियां :

अधिनियम की धारा 12 के अनुसार आयोग की शक्तियां इस प्रकार हैं :

(1) यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था तथा किसी विश्वविद्यालय के बीच ऐसे विश्वविद्यालय से उसकी संबद्धता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(2) इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आयोग के पास किसी वाद की सुनवाई के लिए और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में दिवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात :

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के उपबंधों के अधीन, किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मंगाना;

(ड.) गवाहों या दस्तावेज़ों की जांच के लिए सम्मन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जा सकता है।

(3) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 196 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। आयोग को अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय माना जाएगा।

2.2.1 सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील :

जैसा कि अधिनियम की धारा 12क में प्रतिष्ठापित है :

(1) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 10 की उपधारा (2) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने से इन्कार करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के खिलाफ आयोग में अपील कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के तहत अपील उपधारा (1) में संदर्भित आदेश आवेदक को संप्रेषित किए जाने की तिथि से 30 दिन के अंदर दाखिल की जाएगी।

परंतु यह कि आयोग 30 दिन की उक्त अवधि बीत जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त अवधि के अंदर अपील दाखिल न करने के पर्याप्त कारण हैं।

(3) आयोग में अपील ऐसे रूप में जाएगी जो निर्धारित किया जा सकता है तथा उसके साथ उस आदेश की प्रति जमा की जाएगी जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

(4) पक्षों को सुनने के बाद, आयोग यथाशीघ्र आदेश पारित करेगा और अपने आदेशों को लागू करने या अपनी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निर्देश देगा जो आवश्यक या समीचीन हो सकते हैं।

(5) आयोग द्वारा उपधारा (4) के तहत दिया गया आदेश दिवानी न्यायालय के आदेश की तरह आयोग द्वारा निष्पादन योग्य होगा और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के प्रावधान यथास्थिति

उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वे किसी दिवानी न्यायालय के किसी आदेश के संबंध में लागू होते हैं।

2.2.2 किसी शैक्षणिक संस्था के अल्पसंख्यक दर्जा के बारे में निर्णय लेने की आयोग की शक्ति :

किसी शैक्षणिक संस्था के अल्पसंख्यक दर्जा के बारे में निर्णय लेने की शक्तियां अधिनियम की धारा 12ख में प्रतिष्ठापित की गई हैं। शक्तियां इस प्रकार हैं :

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर, यदि किसी शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के लिए यथास्थिति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकारी ऐसा दर्जा प्रदान करने के आवेदन को अस्वीकार कर देता है, तो व्यथित व्यक्ति प्राधिकारी के ऐसे आदेश के खिलाफ आयोग में अपील कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के तहत अपील आवेदक को आदेश संप्रेषित किए जाने की तिथि से 30 दिन के अंदर दाखिल की जाएगी : परंतु यह कि आयोग 30 दिन की उक्त अवधि बीत जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त अवधि के अंदर अपील दाखिल न करने के पर्याप्त कारण हैं।

(3) आयोग में अपील ऐसे रूप में की जाएगी जो निर्धारित किया जा सकता है तथा उसके साथ उस आदेश की प्रति जमा की जाएगी जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

(4) उपधारा (3) के तहत अपील प्राप्त होने पर, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद आयोग शैक्षणिक संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में निर्णय ले सकता है और ऐसा निर्देश देने के लिए आगे बढ़ सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे तथा ऐसे सभी निर्देश पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे।

2.2.3 अल्पसंख्यक दर्जे को निरस्त करने की शक्ति :

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 12ग में निरस्त करने की शक्ति का प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था जिसे यथास्थिति किसी प्राधिकारी या आयोग द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया गया है, को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान करने के बाद आयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसा दर्जा निरस्त कर सकता है, अर्थात :

(क) यदि शैक्षणिक संस्था की संरचना, उद्देश्यों और लक्ष्यों जिसके आधार पर उसने अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त किया है, में आगे चलकर ऐसे ढंग से परिवर्तन किए गए हैं कि अब यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के प्रयोजन या चरित्र को नहीं दर्शाता है।

(ख) यदि निरीक्षण या अन्वेषण के दौरान अभिलेखों के सत्यापन पर पाया जाता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था किसी शैक्षिक वर्ष के दौरान दाखिला को अभिशासित करने वाले नियमों के अनुसार तथा निर्धारित प्रतिशत में संस्था में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दाखिला देने में असफल हुई है।

2.2.4 अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के अपवंचन से संबंधित मामलों की छानबीन करने की आयोग की शक्ति :

अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के अपवंचन से संबंधित मामलों की छानबीन करने की शक्ति अधिनियम की धारा 12घ में प्रदान की गई है।

(1) आयोग के पास अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के अपवंचन से संबंधित शिकायतों की छानबीन करने के लिए शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम के तहत किसी शिकायत के संबंध में कोई जांच संचालित करने के लिए आयोग यथास्थिति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सहमति से केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

(3) उपधारा (1) के तहत जांच के प्रयोजनार्थ अधिकारी जिसकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है, आयोग के निर्देश एवं नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित कार्य कर सकता है :

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा उससे पूछताछ करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना; और

(ग) किसी कार्यालय से कोई सरकारी अभिलेख या उसकी प्रति मंगाना।

(4) अधिकारी जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (2) के तहत किया जाता है, आयोग द्वारा सौंपे गए किसी मामले की जांच करेगा और आयोग को ऐसी अवधि के अंदर जो इस संबंध में आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) आयोग उपधारा (4) के तहत प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों तथा निकाले गए निष्कर्षों, यदि कोई हों, की सत्यता के बारे में अपनी संतुष्टि करेगा और इस प्रयोजनार्थ आयोग ऐसी अग्रेतर जांच कर सकता है जिसे यह उपयुक्त समझे।

2.2.5 सूचना मंगाने की आयोग की शक्ति :

अधिनियम की धारा 12ड़ में यह शक्ति परंतुक है जो प्रदान की गई हैं जो अनुबंध करता है कि :

(1) अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के उल्लंघन या अपवंचन की शिकायतों की जांच करते समय आयोग केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन से सूचना या रिपोर्ट ऐसे समय के अंदर मंगाएगा जो इसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है :

परंतु यह कि :

(क) यदि आयोग द्वारा निर्धारित समय के अंदर सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो यह शिकायत की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकता है;

(ख) यदि सूचना या रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग इस बात के लिए संतुष्ट है कि अब और जांच की आवश्यकता नहीं है या यह कि संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई शुरू की गई है या की गई है, तो वह शिकायत पर अग्रेतर कार्यवाही नहीं कर सकता है और तद्नुसार शिकायतकर्ता को सूचित कर सकता है।

(2) यदि जांच से स्थापित होता है कि किसी सरकारी सेवक द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों का उल्लंघन या अपवंचन किया गया है, तो आयोग संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक

कार्यवाही या ऐसी अन्य कार्रवाई जिसे यह उपयुक्त समझे, शुरू करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण से सिफारिश कर सकता है।

(3) आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकरण को अपनी सिफारिशों के साथ जांच रिपोर्ट की प्रति भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकरण, एक माह की अवधि के अंदर या ऐसी अगली अवधि के अंदर जिसे आयोग अनुमत कर सकता है, आयोग को रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां अग्रेषित करेगा जिसमें उस पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई शामिल होगी।

(4) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकरण द्वारा की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा।

2.2.6 अधिकार क्षेत्र का वर्जन :

जैसा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 12च में प्रतिष्ठापित है, कोई न्यायालय (संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के अलावा) इस अध्याय के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में किसी वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाहियों पर विचार नहीं करेगा।

2.3 वित्त, लेखा एवं लेखा परीक्षा :

2.3.1 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान :

(1) संसद द्वारा इस संबंध में कानून द्वारा किए गए समुचित विनियोजन के बाद केन्द्र सरकार आयोग को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि प्रदान करेगी जिसे केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग करने हेतु उपयुक्त समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के तहत कार्यों के निष्पादन के लिए अनुदान को खर्च कर सकता है और ऐसी धनराशि को उपधारा (1) में संदर्भित अनुदान में से देय व्यय समझा जाएगा।

2.3.2 लेखा एवं लेखा परीक्षा :

(1) आयोग केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समुचित लेखाओं एवं अन्य संगत अभिलेखों को अनुरक्षण करेगा तथा वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा।

(2) कैग द्वारा आयोग के लेखाओं की ऐसे अंतराल पर लेखा परीक्षा की जाएगी जो निर्धारित किया जा सकता है तथा ऐसी लेखा परीक्षा के सिलसिले में किया गया कोई व्यय आयोग द्वारा कैग को देय होगा।

(3) कैग तथा इस अधिनियम के तहत आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा के सिलसिले में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के पास ऐसी लेखा परीक्षा के सिलसिले में वही अधिकार एवं विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो सामान्यतया सरकारी लेखाओं की लेखा परीक्षा के सिलसिले में कैग को प्राप्त होते हैं और विशेष रूप से बही, लेखा, संबद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तावेज एवं कागजात प्रस्तुत करने की मांग करने तथा आयोग के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

2.3.3 वार्षिक रिपोर्ट :

आयोग पिछले वित्त वर्ष के दौरान किए गए कार्यकलापों का पूरा विवरण प्रदान करते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रति केन्द्र सरकार को अग्रेषित करेगा।

2.3.4 वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखना :

आयोग द्वारा धारा 11 के तहत प्रदान की गई सलाह पर की गई कार्रवाई और ऐसी किसी सलाह के स्वीकार न किए जाने, यदि कोई हो, के कारणों के ज्ञापन के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी।

संगठन चार्ट

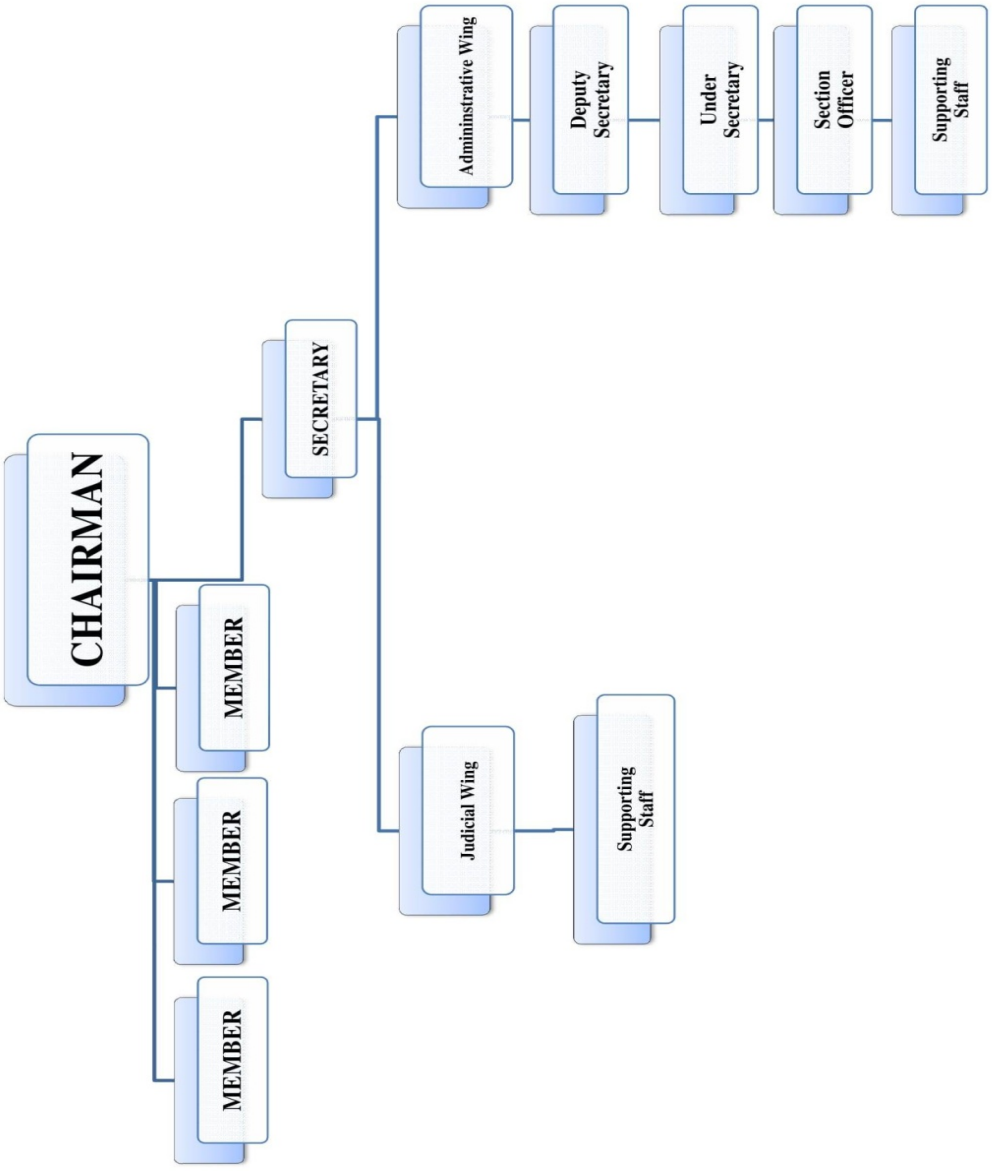
CHAIRMAN
MEMBER
MEMBER
MEMBER
SECRETARY
Admininstrative Wing
Deputy Secretary
Under Secretary
Section Officer
Supporting Staff
Judicial Wing
Supporting Staff

अध्याय 3 : आयोग की बैठकें

एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 12(3) के अनुसार, आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है। आयोग को अपराध प्रक्रिया संहिता,1973 के अध्याय 26 की धारा 195 प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय माना जाता है। अर्ध न्यायिक निकाय होने के कारण, आयोग दैनंदिन आधार पर औपचारिक न्यायालय की बैठकें आयोजित करता है। इस प्रयोजनार्थ आयोग में एक औपचारिक न्यायालय कक्ष है।

3.1 आयोग के कर्तव्य

आयोग ने विरासत के मामलों की सुनवाई की तथा वाद सूची के अनुसार नई याचिकाएं पंजीकृत की और आदेश पारित किए। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए और लंबित मामलों की संख्या न्यूनतम करने के लिए भी आयोग प्रत्येक बैठक में अपेक्षित संख्या में मामलों को सूचीबद्ध करता है। न्यायालय के निर्देश के अनुसार आवेदकों को कारण बताओ नोटिस सहित विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी किए जाते हैं। सभी पक्षों को पर्याप्त समय का नोटिस दिया जाता है। नई याचिकाओं के मामले में, सुनवाई की पहली तारीख पर याचिकाकर्ता या प्रतिवादी का उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता है। दूसरी सुनवाई की तारीख पर उनकी अनिवार्य उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं।

याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह किए जाने पर, आयोग मेरिट के आधार पर सुनवाई की पहले तारीख दे देता है। आयोग किसी विशेष दिन उपस्थित होने में पक्षकारों / याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई असुविधा पर भी विचार करता है तथा तदनुसार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सुनवाई की उपयुक्त तारीख निर्धारित करके स्थगन प्रदान किए जाते हैं ताकि पक्षकार / याचिकाकर्ता अपने मामलों को प्रभावी ढंग से रख सकें। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आयोग ने वकील की सेवाएं लिए जाने पर कभी भी जोर नहीं दिया है अर्थात कोई भी याचिकाकर्ता जो अपने मामले पर स्वयं बहस करना चाहता है, उसे इसकी छूट दी जाती है।

मामलों के निपटान में तेजी लाने के उद्देश्य से अदालत की बैठकों के लिए आयोग द्वारा कोई कोरम तय नहीं किया गया है। यहां तक कि अगर केवल अध्यक्ष या सदस्यों में से कोई एक मौजूद होता

है, **तो अदालत की कार्यवाही संचालित की जा सकती है और उपयुक्त फैसले के लिए मामले लिए जा सकते** हैं।

आयोग अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए शैक्षणिक अधिकारों से **संबंधित उनकी शिकायतों के निवारण के लिए किफायती मंच प्रदान करने का प्रयास करता है।** आयोग ने **अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में किसी संस्था के स्टेटस से संबंधित सभी सवालों पर प्रोसेसिंग और** निर्णय लेने तथा उसका ऐसा स्टेटस घोषित करने या एनओसी अथवा एमएससी से इंकार करने पर राज्य सरकारों / **संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के आदेश के खिलाफ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था द्वारा की गई अपील पर निर्णय लेने के लिए कोई न्यायालय शुल्क निर्धारित नहीं किया है। चूँकि काफी संख्या में** याचिकाकर्ता न्यायालय की **प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ होते हैं,** इसलिए आयोग ने ऐसी याचिकाओं को भी **स्वीकार किया है जो वकालत के कानून के अनुरूप नहीं होती हैं तथा ऐसे याचिकाकर्ताओं को उपयुक्त** निर्देश देता है।

3.2 आयोग की बैठकें एवं सुनवाइयां :

आयोग का न्यायालय अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने से संबंधित मामलों और धारा 12ए और 12बी के तहत अपीलों पर भी फैसला करता है। न्यायालय धारा 12सी के तहत एमएससी को रद्द करने से संबंधित मामलों का भी फैसला करता है। इस उद्देश्य के लिए, आयोग के कार्यालय द्वारा जारी की गई वाद सूची के अनुसार आयोग के न्या**यालय की बैठकें होती हैं और मामले लिए जाते हैं। आयोग के न्यायालय** की बैठकों की वर्षवार संख्या चित्र 3.1 में दी गई है।

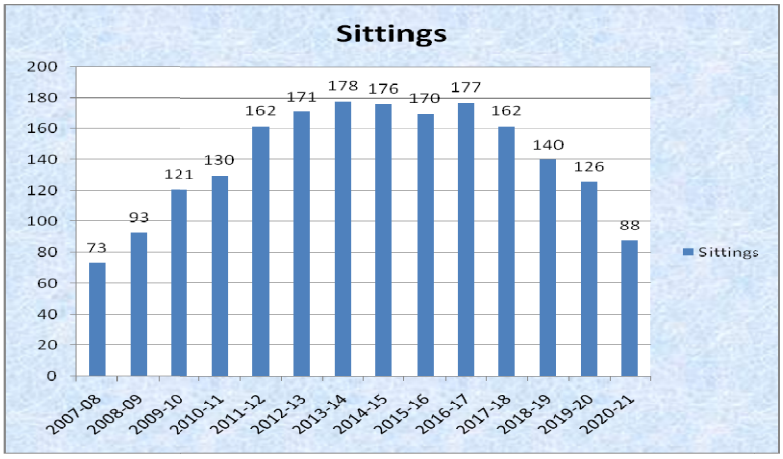

चित्र 3.1: 2007-08 से आयोग की वर्षवार बैठकें

आयोग ने वर्ष 2013-14 में अधिकतम संख्या में बैठकें की हैं (178 बैठकें) और वर्ष 2014-15 में अधिकतम मामलों की सुनवाई की है (5602 मामले)। 2007-08 में सबसे कम बैठकें हुईं (73 बैठकें)। तथापि, 2020-21 के दौरान सबसे कम मामलों की सुनवाई हुई (1731 मामले)।

2019-20 के दौरान **126** बैठकों की तुलना में **2020-21** के दौरान आयोग की **88** बैठकें हुईं क्योंकि कोविड**-19** महामारी के कारण **01** अप्रैल **2020** से **17** अगस्त **2020** तक आयोग के न्यायालय की कोई बैठक नहीं हुई।

3.3 अस्तित्व में आने से लेकर अब तक आयोग द्वारा जारी किए गए एमएससी की संख्या :

आयोग अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं (एमईआई) को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र (एमएससी) प्रदान करता है। आयोग के प्रारंभ होने के बाद से कुल 13579 एमएससी प्रदान किए गए हैं। आयोग के न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए एमएससी की संख्या चित्र 3.1 में दी गई है।

क्र. सं.	वर्ष	प्रदान किए गए एमएससी की संख्या
1.	2005-06	48
2.	2006-07	622
3.	2007-08	674
4.	2008-09	397
5.	2009-10	1039
6.	2010-11	1342
7.	2011-12	1854
8.	2012-13	1791
9.	2013-14	1674
10.	2014-15	1372
11.	2015-16	1022
12.	2016-17	1094
13.	2017-18	466
14.	2018-19	158
15.	2019-20	12

16.	2020-21	14
	कुल	**13579**

सारणी 3.1 : 2005-06 से प्रदान किए गए एमएससी की संख्या

प्रदान किए गए एमएससी की संख्या

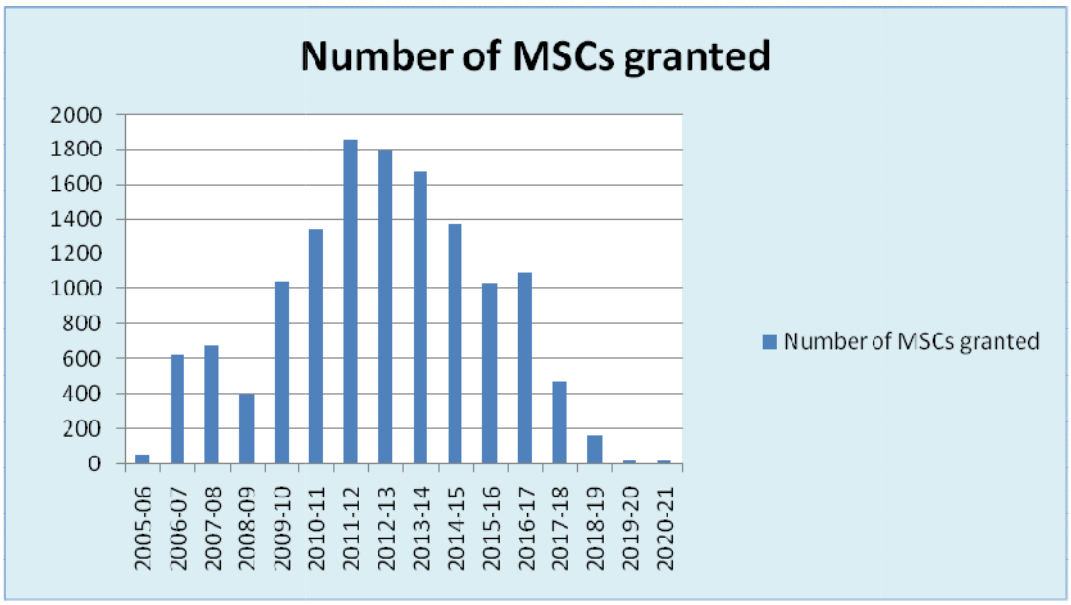

चित्र 3.2 : **आयोग द्वारा प्रदान किए गए एमएससी की वर्षवार संख्या**

वर्ष 2011-12 में आयोग **द्वारा सबसे अधिक एमएससी प्रदान किए गए** (1854 एमएससी) तथा 2019-20 **के दौरान सबसे कम एमएससी प्रदान किए गए** (12 एमएससी)। विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को अलग-**अलग संख्या में एमएससी प्रदान किए गए हैं।** 2005-06 से 31 मार्च, 2021 **तक प्रदान किए गए** अल्पसंख्यक **दर्जा प्रमाण पत्र की राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या का विवरण सारणी** 3.2 में दिया गया है।

क्र. सं.	**राज्य**	**31 मार्च, 2021 तक प्रदान किए गए कुल एमएससी**
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	9
2.	आंध्र प्रदेश	436
3.	**अरुणाचल प्रदेश**	24

4.	असम	221
5.	बिहार	148
6.	चंडीगढ़	20
7.	छत्तीसगढ़	232
8.	दादरा एवं नगर हवेली	4
9.	दमन एवं दीव	1
10.	दिल्ली	251
11.	गोवा	165
12.	गुजरात	62
13.	हरियाणा	181
14.	हिमाचल प्रदेश	27
15.	झारखंड	106
16.	कर्नाटक	715
17.	केरल	4687
18.	मध्य प्रदेश	526
19.	महाराष्ट्र	199
20.	मणिपुर	37
21.	मेघालय	8
22.	ओडिशा	122
23.	पुद्दुचेरी	26
24.	पंजाब	125
25.	राजस्थान	104
26.	सिक्किम	18
27.	तमिलनाडु	971
28.	तेलंगाना	141
29.	त्रिपुरा	13
30.	उत्तर प्रदेश	3181
31.	उत्तराखंड	122
32.	पश्चिम बंगाल	697
	कुल	**13579**

सारणी 3.2 : 2005-06 से प्रदान किए गए एमएससी की राज्यवार संख्या

डाटा से पता चलता है कि केरल राज्य की अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को सबसे अधिक एमएससी प्रदान किए गए हैं जिसके बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का स्थान है।

प्रदान किए गए कुल एमएससी में इन राज्यों की अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं का हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक है। लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड नामक राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को एक भी एमएससी प्रदान नहीं किया गया है। वर्ष-वार और राज्य-वार आंकड़े अनुबंध 4 में देखे जा सकते हैं।

अध्याय 4 - वर्ष के उल्लेखनीय बिंदु

आयोग ने नवंबर, 2020 में अपनी स्थापना के 16 साल पूरे किए। हर साल आयोग अधिदेश के अनुसार कार्य करता है और उसे आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। 2020-21 के दौरान आयोग के कामकाज के उल्लेखनीय बिंदु नीचे दिए गए हैं :

4.1 2020-21 के दौरान न्यायालय की बैठकें :

वित्त वर्ष 2020-21 में न्यायालय की तिथिवार बैठकों और सुने गए मामलों का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :

क्र. सं.	तिथि	सुने गए मामलों की संख्या	मामले जो खारिज कर दिए गए	राज्य सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए रिमांड	मामले जो वापस ले लिए गए	प्रदान किए गए एमएससी	जारी किए गए नोटिस	ऐसे मामले जिन पर स्पष्टीकरण मांगा गया
1.	18 अगस्त, 2020	17			1		9	
2.	19 अगस्त, 2020	22		3			11	
3.	20 अगस्त, 2020	20					14	
4.	25 अगस्त, 2020	21			1		1	
5.	26 अगस्त, 2020	20					8	
6.	27 अगस्त, 2020	20			1		4	
	अगस्त : कुल	**120**		**3**	**3**		**47**	
7.	1 सितंबर, 2020	20					5	
8.	2 सितंबर, 2020	20					5	
9.	3 सितंबर, 2020	20					6	4
10.	8 सितंबर, 2020	20					3	3
11.	9 सितंबर, 2020	20					3	3
12.	10 सितंबर, 2020	21				1	3	1
13.	15 सितंबर, 2020	16					3	2
14.	16 सितंबर, 2020	15					3	
15.	17 सितंबर, 2020	16					8	3
16.	22 सितंबर, 2022	14					4	2
17.	23 सितंबर, 2020	14						
18.	24 सितंबर, 2020	16						
19.	29 सितंबर, 2020	13					8	
20.	30 सितंबर, 2020	15	1			1 (डुप्लिकेट एमएससी)	6	
	सितंबर - कुल	**240**	**1**			**2**	**57**	**18**
21.	1 अक्टूबर, 2020	14	1				4	
22.	6 अक्टूबर, 2020	15					5	4
23.	7 अक्टूबर, 2020	15					5	4
24.	8 अक्टूबर, 2020	17					8	1
25.	13 अक्टूबर, 2020	15					5	1
26.	14 अक्टूबर, 2020	14			9		2	
27.	15 अक्टूबर, 2020	14					6	3
28.	20 अक्टूबर, 2020	12			1		6	1
29.	21 अक्टूबर, 2020	15	1		1		4	
30.	22 अक्टूबर, 2020	19					8	
31.	27 अक्टूबर, 2020	18					6	2
32.	28 अक्टूबर, 2020	20		2			8	3
33.	29 अक्टूबर, 2020	19			1		8	1
	अक्टूबर - कुल	**207**	**2**	**2**	**12**		**75**	**20**
34.	3 नवंबर, 2020	20					2	
35.	4 नवंबर, 2020	22					7	1

36.	5 नवंबर, 2020	21					7	
37.	10 नवंबर, 2020	22					9	
		20					4	
38.	12 नवंबर, 2020	20					6	1
39.	17 नवंबर, 2020	19			1		4	
40.	18 नवंबर, 2020	21					4	
41.	19 नवंबर, 2020	21					9	
42.	24 नवंबर, 2020	22			1		5	2
43.	25 नवंबर, 2020	21					5	
44.	26 नवंबर, 2020	23		1			13	1
	नवंबर - कुल	**252**		**1**	**2**		**75**	**5**
45.	1 दिसंबर, 2020	21	2				4	7
46.	2 दिसंबर, 2020	20					2	4
47.	3 दिसंबर, 2020	22				2	3	1
48.	8 दिसंबर, 2020	20					2	1
49.	9 दिसंबर, 2020	20				1 (डुप्लिकेट एमएससी)	3	
50.	10 दिसंबर, 2020	21				1	6	3
	दिसंबर - कुल	**124**	**2**			**4**	**20**	**16**
51.	5 जनवरी, 2021	22					7	1
52.	6 जनवरी, 2021	21	1				10	1
53.	7 जनवरी, 2021	19					7	
54.	12 जनवरी, 2021	22					5	
55.	13 जनवरी, 2021	23	2				6	
56.	14 जनवरी, 2021	22					6	5
57.	19 जनवरी, 2021	22			1		10	1
58.	20 जनवरी, 2021	26	1	1			10	1
59.	21 जनवरी, 2021	22		2			7	
60.	27 जनवरी, 2021	21	3				5	
61.	28 जनवरी, 2021	23	1				9	
	जनवरी - कुल	**243**	**8**	**3**	**1**		**82**	**9**
62.	2 फरवरी, 2021	20	2		5		5	
63.	3 फरवरी, 2021	20					7	7
64.	4 फरवरी, 2021	21			7		1	
65.	9 फरवरी, 2021	22	3		6		8	
66.	10 फरवरी, 2021	28	3				5	
67.	11 फरवरी, 2021	23	1		1		11	1
68.	16 फरवरी, 2021	32		4	3		13	
69.	17 फरवरी, 2021	24	4		2	2	6	
70.	18 फरवरी, 2021	29	2	4	2	1	7	1
71.	23 फरवरी, 2021	22	1	1	3		8	
72.	24 फरवरी, 2021	23		1			8	
73.	25 फरवरी, 2021	23	1		1		5	
	फरवरी - कुल	**287**	**17**	**10**	**30**	**3**	**84**	**9**
74.	2 मार्च, 2021	20		2			6	
75.	3 मार्च, 2021	22	1	1			9	

76.	4 मार्च, 2021	17					4	
77.	9 मार्च, 2021	19		1	4		6	
78.	10 मार्च, 2021	21			3		4	2
79.	11 मार्च, 2021	22	1	1	2		10	
80.	16 मार्च, 2021	19	1		5	1	3	
81.	17 मार्च, 2021	20					5	
82.	18 मार्च, 2021	18	2				8	
83.	23 मार्च, 2021	18	1	1	1		7	1
84.	24 मार्च, 2021	18					6	
85.	25 मार्च, 2021	16			2		2	
86.	30 मार्च,2021	14			1		1	
87.	31 मार्च, 2021	14					6	
	मार्च - कुल	**258**	**6**	**6**	**18**	**1**	**77**	**3**
	कुल योग	**1731**	**36**	**25**	**66**	**10 (इसमें 2 डुप्लिकेट एमएससी हैं)***	**517**	**80**

सारणी 4.1 : 2020-21 के दौरान न्यायालय की तिथिवार बैठकें और सुने गए मामले

वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल **14** एमएससी जारी किए गए जिनमें **6** एमएससी उन मामलों से हैं जो पिछले वर्षों में आयोग द्वारा निर्णीत किए गए थे।

आयोग ने 2019-20 के दौरान 126 बैठकों की तुलना में 2020-21 के दौरान 88 बैठकों का आयोजन किया तथा पिछले वर्ष में 3517 मामलों की तुलना में 1731 मामलों की सुनवाई की। सितंबर 2020 और मार्च 2021 के महीनों में सबसे अधिक बैठकें आयोजित की गईं (प्रत्येक महीने में 14 बैठकें) और सबसे कम बैठकें अगस्त और दिसंबर 2020 में हुईं (प्रत्येक महीने में 6 बैठकें)। कोविड-19 महामारी के कारण 01 अप्रैल, 2020 से 17 अगस्त, 2020 तक आयोग के न्यायालय की कोई बैठक नहीं हुई।

फरवरी, 2021 के दौरान सबसे अधिक मामलों की सुनवाई हुई (287 मामले) जिसके बाद मार्च, 2021 (258 मामले) और नवंबर, 2020 (252 मामले) का स्थान है। अगस्त, 2020 में सबसे कम मामलों की सुनवाई हुई (120 मामले) जिसके बाद दिसंबर, 2020 (124 मामले) का स्थान है। सुने गए मामलों की माहवार संख्या चित्र 4.1 में दी गई है।

सुने गए मामलों की संख्या

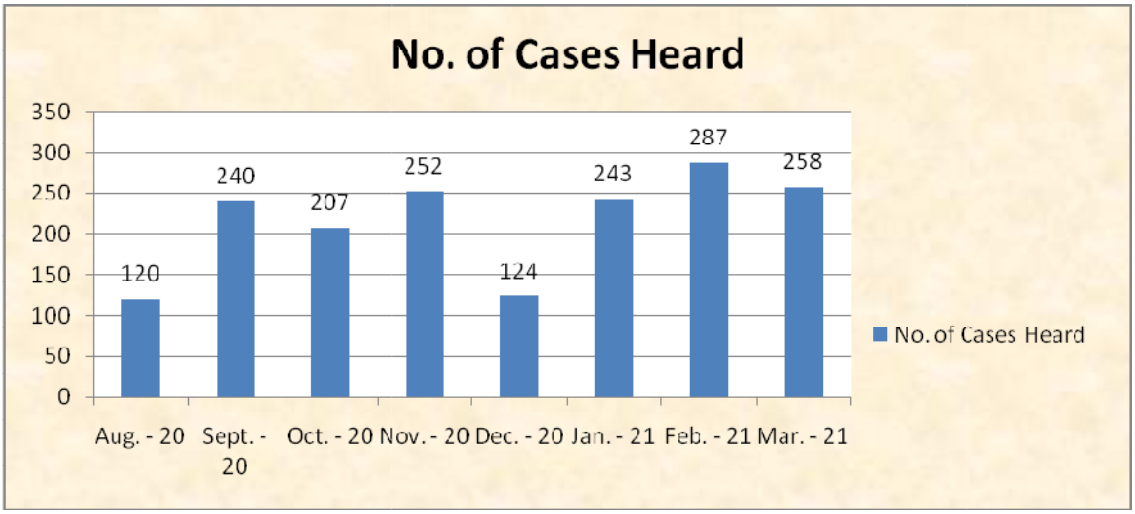

चित्र 4.1 : अगस्त 2020 से मार्च 2021 तक सुने गए मामलों की माहवार संख्या

2020-21 के दौरान सुने गए 1731 मामलों में से 36 मामलों को विभिन्न कारणों से खारिज कर दिया गया, 66 मामलों को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया, 25 मामलों को एमएससी आवेदन के मामले में एमएससी प्रदान करने और अपीलकर्ता के एनओसी आवेदन के मामले में एनओसी के लिए एमईआई के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया गया। 517 मामलों में, आयोग के न्यायालय के आदेश के अनुसार नोटिस तामील किए गए। प्रतिवादियों को नोटिस और आवेदकों को कारण बताओ नोटिस तामील किए गए। जैसा कि आयोग ने आदेश दिया था, 80 मामलों में राज्य सरकारों और आवेदकों को पत्र भेजे गए।

4.2 अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करना :

पात्र अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था एमएससी प्रदान करने के लिए एनसीएमईआई को और राज्य प्राधिकरण को भी आवेदन कर सकती है। आयोग की आवश्यकता के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र (एमएससी) के आवेदन पत्र को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। नवीनतम संशोधन 01 नवंबर, 2019 को किया गया (अनुबंध 1)। यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग की वेबसाइट (..gov.) पर भी उपलब्ध हैं। आवेदकों / याचिकाकर्ताओं की सहूलियत के लिए, अनिवार्य दस्तावेजों जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने होते हैं, की जांच सूची भी एनसीएमईआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 (संशोधन, 2006) के प्रावधानों के अनुसार, एमएससी प्रदान करने के लिए आयोग के पास आवेदन करने से पहले आवेदक संस्था को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना आवश्यक है (सक्षम प्राधिकारी की सूची अनुबंध 3 के रूप में संलग्न है)। यदि आवेदक संस्था जिसका एनओसी एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत राज्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है, तो आवेदक एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12ए के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के अनुसार आदेशों के खिलाफ अपील कर सकता है। आवेदन का प्रारूप अनुबंध 2 के रूप में संलग्न है।

यदि एमईआई ने एमएससी के लिए राज्य प्राधिकारी को आवेदन किया है और उसे उक्त प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, तो आवेदक संस्था एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12बी के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के अनुसार अपील कर सकती है। आवेदन का प्रारूप अनुबंध 2 के रूप में संलग्न है। धारा 12ए और 12बी के तहत अपील के लिए आवेदन एनसीएमईआई की वेबसाइट (..gov.) पर भी उपलब्ध है।

आयोग द्वारा प्रदान किए गए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

- अस्तित्व में आने से लेकर 31 मार्च 2021 तक 13579 एमएससी जारी किए गए हैं। 2019-20 के दौरान 12 एमएससी की तुलना में 2020-21 के दौरान कुल 14 एमएससी जारी किए गए। इसके अलावा, दो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को डुप्लीकेट एमएससी जारी किए गए हैं। दोनों डुप्लीकेट एमएससी केरल राज्य की अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को जारी किए गए।
- ऐसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की राज्यवार संख्या का विवरण सारणी 4.2 में दिया गया है जिन्हें 2020-21 के दौरान एमएससी प्रदान किया गया है।

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2020-21 से जारी किए गए एमएससी की संख्या**
1.	मध्य प्रदेश	5
2.	ओडिशा	1
3.	तमिलनाडु	3

4.	उत्तर प्रदेश	5
कुल		**14**

सारणी 4.2 : ऐसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की राज्यवार संख्या जिन्हें 2020-21 के दौरान एमएससी प्रदान किया गया है

- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को 5-5 एमएससी जारी किए गए, तमिलनाडु की अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को 3 एमएससी और ओडिशा की अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को एक एमएससी प्रदान किया गया।
- वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदान किए गए एमएससी का समुदायवार ब्यौरा सारणी 4.3 में दिया गया है।

ईसाई	मुस्लिम	जैन	सिख	बौद्ध	पारसी
5	2	6	1	0	0

सारणी 4.3 : 2020-21 के दौरान प्रदान किए गए समुदायवार एमएससी

4.3 सोसाइटियों / न्यासों का सत्यापन :

अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, आयोग अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था संचालित करने वाली सोसाइटी / न्यास का यादृच्छिक सत्यापन करता है। सत्यापन से संबंधित मामले संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव / प्रशासक के साथ उठाए जाते हैं जो सोसाइटी / न्यास की कार्य पद्धति तथा शैक्षणिक संस्था की मौजूदगी / कामकाज के बारे में सत्यापन करते हैं।

इसके अलावा, 2016 में नीति आयोग के अनुदेशों के अनुसरण में, सभी याचिकाकर्ताओं को नीति आयोग द्वारा अपने एनजीओ दर्पण पोर्टल के माध्यम से आवंटित विशिष्ट आईडी प्रस्तुत करना होता है। विशिष्ट आईडी दस्तावेज में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था संचालित करने वाली सोसाइटी / न्यास का नाम एवं पता और सोसाइटी / न्यास के पदाधिकारियों का नाम भी प्रदान किया जाता है। इन ब्यौरों का एमएससी के लिए आवेदन पत्र में प्रदान किए गए ब्यौरों के साथ प्रति-सत्यापन किया जाता है।

4.4. ई-गवर्नेंस की दिशा में नई नीतिगत पहलें

ई-गवर्नेंस आसान, प्रभावी और किफायती गवर्नेंस है। आयोग की कार्य पद्धति में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से, ई-गवर्नेंस की संकल्पना के समुचित कार्यान्वयन के लिए 2017-18 के दौरान आयोग द्वारा शुरू की गई पहलों को 2020-21 के दौरान भी जारी रखा गया है। इनमें से कुछ पहलें नीचे दी गई हैं :

(i) **गतिशील एनसीएमईआई वेबसाइट :** एनसीएमईआई की अपनी वेबसाइट है जो प्रयोक्ता हितैषी है तथा वर्तमान सामग्री के साथ अद्यतन की जाती है। एमएससी आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, अनिवार्य दस्तावेजों की जांच सूची, नोडल अधिकारियों और राज्य सक्षम प्राधिकारी का विवरण आदि सभी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ii) वेबसाइट पर राज्यवार, वर्षवार और समुदायवार मामलों की ऑनलाइन खोज की सुविधा भी उपलब्ध है।

- एनसीएमईआई की वेबसाइट ..gov. पर दैनिक वाद सूची / न्यायालय आदेश / निर्णय नियमित रूप से अपलोड किए जाते हैं।
- वेबसाइट पर समुदायवार विवरण के साथ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को जारी किए गए एमएससी अपलोड किए जाते हैं।

(iii) **ई-**ऑफिस का कार्यान्वयन **:** प्रशासनिक कार्य और कार्य-निष्पादन के पिछले रिकार्ड को डिजीटल रूप में बदलने के लिए, सभी नई प्राप्तियां स्कैन की जाती हैं और ई-ऑफिस पर अपलोड की जाती हैं। इसके अलावा, आयोग में सीपीग्राम्स के ऑनलाइन आरटीआई निपटान और ऑनलाइन सार्वजनिक शिकायत निवारण का भी पालन किया जाता है। ऑनलाइन हेल्पडेस्क भी उपलब्ध है और संबंधित ई-मेल को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए नियमित रूप से चैक किया जाता है।

(iv) **पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) :** आयोग वर्ष 2017 से पीएफएमएस पर है। यह वित्तीय प्रबंधन का प्लेटफार्म है जो कुशल निधि प्रवाह प्रणाली और भुगतान सह लेखांकन नेटवर्क की स्थापना करता है। इससे व्यय में पारदर्शिता आई है और यह निधियों की उपलब्धता एवं निधियों के

उपयोग पर रीयल टाइम के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह सिस्टम गवर्नेंस में सुधार के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है।

(v) **अभिलेखों को डिजीटल रूप देना :** डिजीटल इंडिया के बारे में माननीय प्रधानमंत्री के विजन को ध्यान में रखते हुए, ऐसी सभी फाइलों को डिजीटल रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया जिनमें एमएससी प्रदान किए गए हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी अभिलेखों को आम लोगों के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

4.5. स्वच्छ भारत मिशन

भारत को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से, माननीय प्रधानमंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और उनके संबद्ध कार्यालयों को कैलेंडर वर्ष में स्वच्छता पखवाड़ा मनाना चाहिए। सितंबर 2020 में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। आयोग के परिसर में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं जिनमें कार्यालय और आसपास से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, उचित रैक में फाइलों को रखना, पुराने रिकॉर्डों की छँटाई करना आदि शामिल हैं। माननीय अध्यक्ष द्वारा स्टाफ सदस्यों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। परिसर की स्वच्छता के लिए समय-समय पर कई अन्य पहलें की गई हैं।

4.6 सतर्कता जागरुकता सप्ताह :

आयोग में सतर्कता जागरुकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 तक मनाया गया और 27 अक्टूबर, 2020 को ईमानदारी की शपथ ली गई। इसकी थीम 'सतर्क भारत, खुशहाल भारत' थी।

4.7. राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ :

देश के एकीकरण की भावना स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदृष्टि और कार्यों से संभव हुई। आयोग के माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यों द्वारा कर्मचारियों को एकता की शपथ दिलाई गई कि हम में से हर कोई राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखेगा और देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में योगदान करेगा।

अध्याय 5 - यात्रा और दौरे

अल्पसंख्यक समुदाय के हितधारकों और सदस्यों के साथ बातचीत करने और उनके सामने आने वाली समस्याओं / कठिनाइयों को समझने के उद्देश्य से माननीय अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा दौरे किए गए। यह आयोग को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों तथा एनसीएमईआई की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में उनको अवगत कराने का अवसर भी प्रदान करता है। यात्रा और दौरे राजनीतिक पदाधिकारियों तथा राज्य सरकारों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने तथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा का सुनिश्चय करने में राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति का पता लगाने का भी अवसर प्रदान करते हैं। यात्रा और दौरों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में राज्य सरकारों के अधिकारियों को जानकारी प्रदान करने में भी मदद की है।

5.1 आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन द्वारा 2020-21 के दौरान किए गए दौरों तथा शिरकत की गई बैठकों का ब्यौरा

क्र. सं.	तिथि	दौरा का स्थान	दौरे का प्रयोजन तथा संगत परिणाम
1.	09 सितंबर, 2020 से 16 नवंबर, 2020	देवली, नैनवान, बघेरा, जयपुर, स्वस्तीधाम (राजस्थान)	दौरे के दौरान माननीय अध्यक्ष ने इन अल्पसंख्यक संस्थाओं के मालिकों, न्यासियों एवं प्रबंधकों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में प्रतिष्ठापित उनके शैक्षिक अधिकारों के बारे में बताया तथा यह भी बताया कि किस तरह एनसीएमईआई उनके अधिकारों की रक्षा कर रहा है। उन्होंने उनको एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के बारे में भी बताया। प्रबंध शिक्षा करियर के सबसे अधिक मांग वाले विकल्पों में से एक है तथा ऐसी संस्थाओं की बढ़ती संख्या इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। अवसंरचना तथा योग्य संकाय अच्छी प्रबंध संस्था की पूर्वापेक्षा हैं। माननीय अध्यक्ष ने इन अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रबंधकों को अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की। दौरे के दौरान माननीय अध्यक्ष द्वारा भारत सरकार की 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', नई रोशनी जैसी पहलों पर भी प्रकाश डाला गया। इसके अलावा, उन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं में नेतृत्व निर्माण के महत्व पर जोर
2.	21 दिसंबर, 2020 से 24 दिसंबर, 2020	देवली (राजस्थान), झांसी, कुंडलपुर (मध्य प्रदेश)	
3.	31 दिसंबर, 2020 से 03 जनवरी, 2021	नकोदा, जिला बाड़मेर (राजस्थान)	
4.	28 जनवरी 2021 से 29 जनवरी 2021	शांति नगर, जयपुर (राजस्थान)	
5.	30 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हस्तिनापुर, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश)	
6.	4 मार्च 2021 से	सवाई माधोपुर, देवली, जयपुर, बूंदी	

	8 मार्च 2021	(राजस्थान)	दिया।
7.	30 मार्च 2021 से 02 अप्रैल 2021	उनियारा, जोधपुर, ब्रह्मसपुर, लोदुर्वा, जैसलमेर (राजस्थान)	

अध्याय 6 - वर्ष के दौरान प्राप्त याचिकाओं और शिकायतों का विश्लेषण

जब भी याचिकाएं / शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो आयोग निम्नलिखित कार्यों के तहत मामले पंजीकृत करता है :

- अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत अथवा उस समय प्रचलित किसी कानून के अन्तर्गत किए गए सुरक्षोपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यन्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करना;
- अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित अपनी पसंद की संस्थाओं के अल्पसंख्यक दर्जा तथा स्वरुप के संवर्धन एवं संरक्षण के उपाय विनिर्दिष्ट करना;
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रुप में किसी संस्था के दर्जा से संबंधित सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना तथा इस रूप में उसके दर्जे की घोषणा करना;

01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक आयोग ने 365 याचिकाएं दर्ज कीं, जिनमें से 337 याचिकाएं अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए थीं, 11 अपील याचिकाएं और 17 विविध याचिकाएं थीं। न्यायालय के दैनिक आदेशों के अनुसार, माननीय न्यायालय ने 149 याचिकाओं का निपटारा किया, जिनमें ऐसे मामले शामिल हैं जिनको वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया और डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने 14 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान किया।

आयोग निम्नलिखित आधार पर मामले पंजीकृत करता है :

- राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी न किया जाना / एनओसी जारी करने में देरी
- राज्य प्राधिकारी द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान न किया जाना या अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी करने में देरी
- अल्पसंख्यकों द्वारा नई संस्थाएं खोलने की अनुमति प्रदान करने से इनकार करना
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की अनुमति देने से इनकार करना

- अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन

आयोग अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के हितों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित मामलों पर भी विचार करता है :

- छात्रों की संख्या में वृद्धि के बावजूद शिक्षकों के अतिरिक्त पदों को सृजित करने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को अनुमति प्रदान करने से इनकार करना
- शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंजूरी प्रदान न करना
- सरकारी स्कूल के शिक्षकों की तुलना में अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमान में असमानता
- सरकारी संस्थाओं के समरूप अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को कंप्यूटर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि जैसी शिक्षण सहायक सामग्रियों / अन्य सुविधाओं से वंचित करना
- उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उर्दू में अन्य विषयों की पुस्तकों की अनुपलब्धता
- उर्दू जानने वाले शिक्षकों की नियुक्ति न करना; अल्पसंख्यक स्कूल के अन्य शिक्षकों के साथ मदरसा शिक्षकों के वेतन में समानता; मदरसा कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन; और मदरसों को अनुदान न जारी करना,
- अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान न करना,
- विश्वविद्यालय द्वारा किसी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था को संबद्ध करने से इनकार किया जाना,
- विशेष रूप से दूरदराज के और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को सर्व शिक्षा अभियान के तहत सुविधाएं प्रदान करना, आदि।

वर्ष के दौरान, आयोग के कार्यालय को ऐसे मामलों पर भी याचिकाएं / आवेदन प्राप्त हुए, जो आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। संबंधित याचिकाकर्ताओं को सूचित करते हुए उचित कार्रवाई के लिए ये याचिकाएं / आवेदन संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित किए गए।

वर्ष के दौरान, माननीय आयोग द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को एमएससी प्रदान करने से संबंधित मामलों पर विचार किया गया / निर्णय लिया गया जो निम्नानुसार हैं :

6.1 केस नंबर 2019 का 165

विषय : इंदौर महाविद्यालय, ग्राम जम्बूडी, इंदौर, मध्य प्रदेश - 453 112 द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन

आवेदक : इंदौर महाविद्यालय, ग्राम जम्बूडी, इंदौर, मध्य प्रदेश - 453 112

प्रतिवादी : सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार

आदेश 03 दिसंबर 2020 को सुनाया गया था। आयोग ने याचिकाकर्ता संस्था के लिए उपस्थित विद्वान वकील की बात सुनी और श्री मोतीलाल नागर स्मृति शिक्षण समिति के रिकॉर्ड, दस्तावेजी साक्ष्य और इसके अध्यक्ष श्री प्रवीण जैन के शपथ पत्र का अनुशीलन किया। याचिकाकर्ता संस्था ने इस आधार पर एमएससी प्रदान करने के लिए आवेदन किया कि इसे मुख्य रूप से जैन समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए स्थापित किया गया है और यह श्री मोतीलाल नागर स्मृति शिक्षण समिति द्वारा प्रशासित किया जा रहा है जिसका प्रबंधन और संचालन जैन समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इंदौर महाविद्यालय, ग्राम जम्बूडी हाप्सी, हतौड, इंदौर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश का प्रबंधन जैनियों के हाथ में है। प्रतिवादी ने पत्र संख्या एएस/734/2017/17-2/4244 दिनांक 10 अगस्त, 2017 के माध्यम से याचिकाकर्ता संस्था को एक वर्ष के लिए एमएससी प्रदान किया है। याचिकाकर्ता संस्था की ओर से पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य और श्री प्रवीण जैन के शपथ पत्र से याचिका में किए गए उपरोक्त प्रकथन को पर्याप्त समर्थन मिलता है। उक्त सोसायटी का संशोधित संगम ज्ञापन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता संस्था के लाभार्थी जैन समुदाय के सदस्य हैं। उक्त तथ्य श्री प्रवीण जैन के शपथ पत्र से भी सिद्ध होते हैं। याचिकाकर्ता संस्था द्वारा पेश किए गए संशोधित संगम ज्ञापन और सभी अन्य दस्तावेजों ने स्पष्ट रूप से दर्शाया कि याचिकाकर्ता संस्था के लाभार्थी मुख्य रूप से जैन समुदाय के सदस्य हैं। याचिकाकर्ता संस्था की ओर से पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य का खंडन करने के लिए रिकॉर्ड में कोई दस्तावेज नहीं था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए उक्त अखंडनीय साक्ष्य के आधार पर आयोग ने यह पाया और माना कि श्री मोतीलाल नागर स्मृति शिक्षण समिति द्वारा संचालित इंदौर महाविद्यालय, ग्राम जम्बूडी हाप्सी, हतौड, इंदौर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के

लिए पात्र है। साक्ष्य यह भी साबित करते हैं कि उक्त शैक्षणिक संस्था की स्थापना जैन समुदाय के हितों को आगे बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से की गई है। परिणामतः, इंदौर महाविद्यालय, ग्राम जम्बूडी हाप्सी, हतौड, इंदौर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश को इस शर्त के अधीन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2 (छ) के अर्थ के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शामिल अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था घोषित किया गया कि याचिकाकर्ता इस संबंध में शपथ पत्र या वचन पत्र दाखिल करेगा कि याचिकाकर्ता संस्था में स्थान की उपलब्धता के अधीन याचिकाकर्ता संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश से वंचित नहीं करेगी और याचिकाकर्ता एआईसीटीई द्वारा जारी किए गए मान्यता आदेश की अद्यतन प्रति दाखिल करेगा।

माननीय न्यायालय ने कहा कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन के बाद, एमएससी तदनुसार जारी किया जाना चाहिए। उपरोक्त के मद्देनजर, उस आदेश के अनुरूप वर्तमान याचिका का निपटारा किया गया।

6.2 केस नंबर 2019 का 181

विषय :	ओम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नंबर 249/1, जिला झबुआ, मध्य प्रदेश द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन
आवेदक :	ओम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नंबर 249/1, जिला झबुआ, मध्य प्रदेश
प्रतिवादी :	सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार

आदेश 03 दिसंबर 2020 को सुनाया गया था। आयोग ने याचिकाकर्ता संस्था के लिए उपस्थित विद्वान वकील की बात सुनी और सज्जन आदिवासी शिक्षण एवं विकास समिति के रिकॉर्ड, दस्तावेजी साक्ष्य और इसके अध्यक्ष श्री प्रवीण जैन के शपथ पत्र का अनुशीलन किया।

याचिकाकर्ता संस्था ने इस आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया था कि इसे मुख्य रूप से जैन समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए स्थापित किया गया है और यह आवेदक ओम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नंबर 249/1, ग्राम + पोस्ट झबुआ, जिला झबुआ, मध्य प्रदेश - 457 661 द्वारा प्रशासित किया जा रहा है जिसे सज्जन आदिवासी शिक्षण एवं विकास समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसका प्रबंधन और संचालन जैन समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। उक्त कॉलेज का प्रबंधन जैनियों

के हाथ में है। प्रतिवादी ने पत्र संख्या एएस/791/2017/17-2/4254 दिनांक 10 अगस्त, 2017 के माध्यम से याचिकाकर्ता संस्था को एक वर्ष के लिए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान किया था। याचिकाकर्ता संस्था की ओर से पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य और श्री प्रवीण जैन के शपथ पत्र से याचिका में किए गए उपरोक्त प्रकथन को पर्याप्त समर्थन मिलता है। उक्त सोसायटी का संशोधित संगम ज्ञापन ने स्पष्ट रूप से दर्शाया कि याचिकाकर्ता संस्था के लाभार्थी जैन समुदाय के सदस्य हैं। उक्त तथ्य श्री प्रवीण जैन के शपथ पत्र से भी सिद्ध हुए। याचिकाकर्ता संस्था द्वारा पेश किए गए संशोधित संगम ज्ञापन और सभी अन्य दस्तावेजों ने स्पष्ट रूप से दर्शाया कि याचिकाकर्ता संस्था के लाभार्थी मुख्य रूप से जैन समुदाय के सदस्य हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए दस्तावेजों और शपथ पत्र से भी उक्त तथ्य सिद्ध होते हैं।

याचिकाकर्ता संस्था की ओर से पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य का खंडन करने के लिए रिकॉर्ड में कोई दस्तावेज नहीं था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश किए गए उक्त अखंडनीय साक्ष्य के आधार पर, आयोग के माननीय न्यायालय ने पाया और माना कि सज्जन आदिवासी शिक्षण एवं विकास समिति द्वारा संचालित ओम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नंबर 249/1, ग्राम + पोस्ट झबुआ, जिला झबुआ, मध्य प्रदेश धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए पात्र है। साक्ष्य यह भी साबित करते हैं कि उक्त शैक्षणिक संस्था की स्थापना जैन समुदाय के हितों को आगे बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से की गई है। परिणामतः, ओम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नंबर 249/1, ग्राम + पोस्ट झबुआ, जिला झबुआ, मध्य प्रदेश - 457 661 को इस शर्त के अधीन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2 (छ) के अर्थ के अंदर भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शामिल अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था घोषित किया गया कि याचिकाकर्ता इस संबंध में शपथ पत्र या वचन पत्र दाखिल करेगा कि याचिकाकर्ता संस्था में स्थान की उपलब्धता के अधीन याचिकाकर्ता संस्था अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश से वंचित नहीं करेगी और याचिकाकर्ता एआईसीटीई द्वारा जारी किए गए मान्यता आदेश की अद्यतन प्रति दाखिल करेगा।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन के बाद, तदनुसार एमएससी जारी किया जाना चाहिए। उपरोक्त के मद्देनजर, उस आदेश के अनुरूप याचिका का निपटारा किया गया।

6.3 केस नंबर 2012 का 1668

विषय : स्टीवर्ट साइंस कॉलेज द्वारा अपने सचिव, श्रद्धेय पूर्ण सागर नाग, पुत्र स्वर्गीय श्री बैसनाबा नाग, जिनका कार्यालय बिशप हाउस, मधुसूदन रोड, पीओ बक्सीबाजार, थाना लालबाग, जिला कटक, उड़ीसा में है, के माध्यम से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन

आवेदक : अपने सचिव, श्रद्धेय पूर्ण सागर नाग, पुत्र स्वर्गीय श्री बैसनाबा नाग, जिनका कार्यालय बिशप हाउस, मधुसूदन रोड, पीओ बक्सीबाजार, थाना लालबाग, जिला कटक, उड़ीसा में है, के माध्यम से स्टीवर्ट साइंस कॉलेज

प्रतिवादी / हस्तक्षेपकर्ता :

1. उड़ीसा राज्य जिसका प्रतिनिधित्व सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय भवन, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा, उड़ीसा द्वारा किया गया
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, भुवनेश्वर, सचिवालय भवन, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा, उड़ीसा
3. डॉ. श्यामल कुमार साहा और 5 अन्य ..... प्रतिवादी
4. डॉ. देबासिस आचार्य और 6 अन्य ..... हस्तक्षेपकर्ता प्रतिवादी

आदेश 10 सितंबर, 2020 को सुनाया गया था। सचिव, स्टीवर्ट साइंस कॉलेज, मधुसूदन रोड, लालबाग, जिला कटक, उड़ीसा ने 14 अगस्त 2012 को स्टीवर्ट साइंस कॉलेज के पक्ष में अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र (एमएससी) प्रदान करने के लिए याचिका दायर की।

उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक की माननीय खंडपीठ ने 26 जून 2012 को 2012 की सिविल रिट याचिका संख्या 2207, 2011 की 29737, 2008 की 7579 और 2008 की 9406 में निम्नलिखित आदेश पारित किया :

> "तदनुसार, हम यह निर्देश देते हुए सभी चार रिट याचिकाओं का निपटारा करते हैं कि प्रबंधन पक्ष के रूप में राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं को अभियोजित करते हुए दो महीने की अवधि के भीतर स्टीवर्ट साइंस कॉलेज के अल्पसंख्यक दर्जे के संबंध में घोषणा प्राप्त करने के लिए आयोग से संपर्क करे। यदि अल्पसंख्यक दर्जे की मांग करने वाले स्टीवर्ट साइंस कॉलेज के आवेदन को निर्देशानुसार आयोग के समक्ष दायर किया जाता है, तो हम आयोग से अनुरोध करते हैं कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 2004 की 7762 में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में; इस निर्णय में स्टीवर्ट साइंस कॉलेज, कटक की शासी निकाय और अन्य (उपर्युक्त) या हमारे द्वारा की गई किसी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले पर शीघ्रता से योग्यता के आधार पर निर्णय किया जाए।
>
> आयोग द्वारा कोई घोषणा किए जाने तक अब तक की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाए रखी जाए, बशर्ते स्टीवर्ट साइंस कॉलेज का प्रबंधन प्रदान किए गए समय के भीतर आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करता है। प्रबंधन की ओर से विफलता की स्थिति में कॉलेज के प्राचार्य की नियुक्ति के

मामले में आयोग के निर्णय तक पूर्व स्थिति, जैसा कि आक्षेपित प्रस्तावों को पारित करने से पहले प्रचलित था, को बनाए रखा जाएगा।"

(अपनी ओर से बल दिया गया)

इस मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने उड़ीसा उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ के निर्देश के अनुसार स्टीवर्ट साइंस कॉलेज के पक्ष में एमएससी प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में याचिका के साथ आवेदन प्रस्तुत किया। उड़ीसा राज्य में केवल दो अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त कॉलेज हैं, अर्थात क्राइस्ट कॉलेज और स्टीवर्ट साइंस कॉलेज। दोनों की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी और उड़ीसा सरकार ने संयुक्त संकल्प / पत्र दिनांक 18 मार्च 1983, 11 जुलाई 1984, 05 फरवरी 1985 और 27 जुलाई 2001 के माध्यम से इन दोनों कॉलेजों को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की थी। वर्ष 2007 में, क्राइस्ट कॉलेज ने एमएससी प्रदान करने के लिए इस आयोग से संपर्क किया था, लेकिन इस आयोग ने आदेश दिनांक 11 सितंबर 2007 के माध्यम से यह कहा कि इस कॉलेज को उड़ीसा राज्य द्वारा एमईआई के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। जन शिक्षा निदेशालय (एचई), उड़ीसा द्वारा जारी किए गए आदेश दिनांक 18 मार्च 1983 पर विश्वास किया गया है। चूंकि राज्य सरकार याचिकाकर्ता संस्था को एमईआई के रूप में पहले ही मान्यता प्रदान कर चुकी है, इसलिए आयोग द्वारा दूसरा प्रमाण पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चूंकि उपरोक्त दोनों कॉलेजों को दिनांक 18 मार्च 1983 के एक ही आदेश पर मान्यता प्रदान की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता की संस्था के प्रबंधन ने इस आयोग से संपर्क नहीं किया। अतः याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता संस्था के पक्ष में एमएससी प्रदान करने की प्रार्थना की थी। याचिका के कॉलम नंबर 9 (छ) में यह कहा गया कि वर्ष 1957 में बैपटिस्ट मिशनरी सोसाइटी कॉरपोरेशन (बीएमएससी) ने 12 दिसंबर 1957 को पंजीकृत विलेख संख्या 4489 के माध्यम से बैपटिस्ट चर्च ट्रस्ट एसोसिएशन को स्टीवर्ट साइंस कॉलेज के ट्रस्टी और निहित संपत्ति के रूप में नियुक्त किया। स्टीवर्ट साइंस कॉलेज कटक सीएनआई के सूबा के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो बैपटिस्ट चर्च ट्रस्ट एसोसिएशन (बीसीटीए) का एक घटक निकाय है।

श्रद्धेय पूर्ण सागर नाग ने 04 अक्टूबर 2012 को कुछ दस्तावेजों के साथ याचिकाकर्ता संस्था की ओर से विस्तृत हलफनामा दायर किया जिसमें यह कहा गया कि ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा वर्ष 1944 में स्टीवर्ट साइंस कॉलेज की स्थापना की गई और यह उत्कल विश्वविद्यालय तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, उड़ीसा से संबद्ध है। इस कॉलेज को चलाने का मुख्य उद्देश्य ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति और आस्था के विकास के लिए अनुकूल माहौल में प्राथमिक रूप से उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और जीवन में उपयोगी करियर के लिए उनके बच्चों को पर्याप्त रूप से आवश्यक योग्यता से लैस करना है। कॉलेज के शासी निकाय के सभी संस्थापक सदस्य और वर्तमान सदस्य ईसाई धार्मिक समुदाय से हैं।

प्रतिवादी संख्या 3 से 8 ने जवाब, हलफनामा दाखिल किया और एमएससी प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका का जोरदार विरोध किया और निवेदन किया कि अन्य प्रतिवादियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को अधिकृत किया गया है। जवाबी हलफनामे में कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में कोई दम नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए दस्तावेजों से यह पता नहीं चलता है कि स्टीवर्ट साइंस कॉलेज की स्थापना निवासी भारतीयों / भारत में रहने वाले ईसाइयों द्वारा

की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि स्टीवर्ट साइंस कॉलेज की स्थापना किसी अल्पसंख्यक द्वारा नहीं की गई है और इसलिए उसे इसे प्रशासित करने का अधिकार नहीं मिल सकता है। याचिकाकर्ता ने पुस्तक का एक उद्धरण दायर किया जिसे मान्यता भी नहीं मिली है और यह केवल एक शोध दस्तावेज है।

इस दस्तावेज़ से भी यह पता चलता है कि यह संस्था मुट्ठी भर युरोपियन और एंग्लो इंडियन के लिए थी। अतः यह दस्तावेज़ अल्पसंख्यक निवासी भारतीयों द्वारा कॉलेज की स्थापना की बात नहीं करता है। दस्तावेज़ दिनांक 13 सितंबर 1945 यह नहीं दर्शाता है कि स्टीवर्ट साइंस कॉलेज की स्थापना भारत में अल्पसंख्यक के लिए निवासी भारतीयों द्वारा की गई थी। 16 मार्च 1944 को एक बैठक में सुश्री लाज़रस, श्रद्धेय ईआर लाज़रस, श्रद्धेय डी.टी रॉबर्ट्स, सुश्री विग्नोर, श्रद्धेय एफ फैलोज की उपस्थिति यह इंगित नहीं करती है कि स्टीवर्ट साइंस कॉलेज की स्थापना में उपरोक्त व्यक्तियों ने कभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कॉलेज की स्थापना बीएमएससी द्वारा की गई थी, तथाकथित कटक स्टेशन समिति तथाकथित देशी भारतीयों / निवासी ईसाइयों की स्वयंभू रचना है। स्टीवर्ट साइंस कॉलेज नामक अलग और स्वतंत्र संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा के सिलसिले में अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्टीवर्ट स्कूल की घोषणा का कोई उचित संबंध नहीं है। स्टीवर्ट साइंस कॉलेज की संबद्धता और मान्यता अलग है और कॉलेज का दर्जा भी अलग है। इसलिए, यह दलील केवल एक असंगत नाम है कि स्टीवर्ट साइंस कॉलेज स्टीवर्ट स्कूल की एक शाखा है। उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय दिनांक 26 जून 2012 के अनुसार, रिट याचिका संख्या 7762/04 में माननीय एकल न्यायाधीश का निर्णय कानून या तथ्यों का सम्मान नहीं करता है और विशिष्ट निर्देश यह था कि स्टीवर्ट साइंस कॉलेज के अल्पसंख्यक दर्जे के संबंध में मुद्दों को तय करते समय उक्त निर्णय दिनांक 10 अप्रैल 2008 को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वर्तमान प्रबंधन कॉलेज का संस्थापक नहीं है और उसे कॉलेज का संचालन करने का कोई अधिकार नहीं है। सीएनआई संस्था का केवल उपयोगकर्ता है और स्वत्वाधिकार बीसीटीए के पास ही है। एमएससी की मांग करने के लिए बीसीटीए यानी उक्त मालिक इस आयोग के समक्ष आगे नहीं आता है। संस्था के उपयोगकर्ता के पास अधिकारों की कोई समानता नहीं है।

इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 9 से 15 ने एक आवेदन दायर किया जिसमें स्टीवर्ट साइंस कॉलेज, जिसे उड़ीसा राज्य के ईसाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किया गया था एवं पूरी तरह से सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है, के अल्पसंख्यक दर्जे की वैधता और उपयुक्तता पर सवाल खड़ा किया गया। कॉलेज का प्रिंसिपल बनने के अपने प्रयास में विफल होने पर प्रतिवादी संख्या 3 से 8, जो कॉलेज के शिक्षण कर्मचारी थे तथा गैर अल्पसंख्यक समुदाय से थे, ने रिट याचिका दायर करके उड़ीसा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उक्त रिट याचिका का निपटारा करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ कॉलेज के प्रबंधन को अल्पसंख्यक दर्जे का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस आयोग से संपर्क करने का निर्देश दिया। वर्तमान हस्तक्षेपकर्ता अब कॉलेज के शिक्षण स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं। इस मामले में, वे मामले के उचित और प्रभावी निर्णय के लिए आवश्यक पक्षकार हैं। इसलिए इस मामले में उन्हें पक्षकार के रूप में अभियोजित किया जा सकता है और सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा सकता है। हस्तक्षेपकर्ताओं ने इस कॉलेज को ज्वॉइन करना पसंद किया क्योंकि उन्हें कॉलेज में उपलब्ध लाभप्रद सेवा शर्तों के बारे में पता था, विशेष रूप से उड़ीसा सरकार द्वारा कॉलेज को सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता

प्रदान किए जाने के कारण इस कॉलेज के कर्मचारियों की सेवाएं हस्तांतरणीय नहीं हैं। 15 मई 2013 को प्रतिवादी संख्या 9 से 15 द्वारा दायर किए गए उपरोक्त आवेदन में उनको हस्तक्षेपकर्ता के रूप में अनुमति प्रदान की गई और हस्तक्षेपकर्ताओं को प्रतिवादी के रूप में अभियोजित किया गया।

हस्तक्षेपकर्ताओं ने 23 अक्टूबर 2013 को दस्तावेजों के साथ विस्तृत हलफनामा दायर किया और उसमें कहा कि वे कॉलेज के संकाय / कर्मचारी हैं। हस्तक्षेपकर्ताओं ने यह जानते हुए कॉलेज ज्वॉइन किया कि यह कॉलेज अल्पसंख्यक संस्था है और सेवा का कोई स्थानांतरण नहीं होगा क्योंकि कॉलेज के कर्मचारी सामान्य संवर्ग में शामिल नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 3 से 8 को उनके पूरे सेवा करियर में कभी भी स्थानांतरित नहीं किया गया क्योंकि अल्पसंख्यक संस्था होने के कारण कॉलेज को सामान्य संवर्ग में शामिल नहीं किया गया था। हस्तक्षेपकर्ताओं ने याचिकाकर्ता संस्था के मामले का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि यह कॉलेज अल्पसंख्यक संस्था है और प्रतिवादी संख्या 3 से 8 इस आयोग को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि वे अपनी सेवा के अंतिम छोर पर हैं। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह आयोग कॉलेज के पक्ष में एमएससी जारी करने की कृपा करे क्योंकि यह ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था और उनके द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। हस्तक्षेपकर्ताओं ने अपने तर्कों के समर्थन में 6 दस्तावेज दाखिल किए।

21 जनवरी 2013 को, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 से 8 द्वारा दायर किए गए जवाब पर प्रत्युत्तर दायर किया और तर्क प्रस्तुत किया कि सभी जवाब गलत, मिथ्या, भ्रामक और अस्वीकृत हैं। प्रतिवादियों ने प्रिन्सिपल की नियुक्ति की हद तक अपनी सारी दलीलें दीं, जो इस याचिका का विषय नहीं है। इस आयोग के समक्ष सीमित प्रश्न उड़ीसा उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ के निर्णय के अनुसार इस कॉलेज के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में है। अल्पसंख्यक संस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के संरक्षण का दावा करने के लिए सक्षम है, बशर्ते शैक्षणिक संस्था स्थापित करने वाले व्यक्ति भारत में निवासी हों, जिसमें स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत में रहने वाले विदेशी और मूल भारतीय शामिल हैं। बीएमएस लंदन जिसका कोलकाता में पंजीकृत कार्यालय है, ने बीएमएस की कटक स्टेशन समिति के माध्यम से कॉलेज की स्थापना की थी। भारत में रहने वाली ब्रिटेन की ईसाई मिशनरियों और कटक के स्थानीय ईसाई निवासियों (मूल भारतीयों) ने 1944 में संयुक्त रूप से स्टीवर्ट स्कूल, कटक की शाखा के रूप में इस कॉलेज की शुरुआत की। उक्त बीएमएससी ने कॉलेज सहित चर्चों और संस्थाओं की संपत्ति को संभालने के लिए बीसीटीए को नए ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया। उड़ीसा में बीसीटीए का घटक निकाय होने के कारण कटक सूबा चर्चों और संस्थाओं का एकमात्र उत्तराधिकारी है। याचिकाकर्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में 35 दस्तावेजों पर भरोसा किया है।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संस्था के "प्रबंधन" ने एमएससी प्रदान करने के लिए इस आयोग के समक्ष आवेदन दायर नहीं किया और इसे अस्वीकार किया जा सकता है। पत्र दिनांक 18 मार्च 1983, 11 जुलाई 1984, 05 फरवरी 1985 और 27 जुलाई 2001 अल्पसंख्यक संस्था के रूप में कॉलेज की मान्यता के बारे में किसी भी तरह से बात नहीं करते हैं। बीएमसी लंदन द्वारा कॉलेज स्थापित किया गया था और यह अंग्रेजी कानून के तहत पंजीकृत एक विदेशी निगम है और पंजीकरण करने वाले सदस्य कभी भी भारत के निवासी नहीं हो सकते हैं और इस तरह इसे एमएससी प्रदान नहीं किया जा सकता है। ये निगम "खैराती निगम" हैं। उत्तराधिकार या वंशानुक्रम द्वारा इस तरह के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। अल्पसंख्यक छात्रों का अनुपात मात्र 5.24 प्रतिशत है। उड़ीसा सरकार

ने पत्र दिनांक 21 दिसंबर 1972 के माध्यम से 3 वर्ष की अवधि के लिए कॉलेज के शासी निकाय का पुनर्गठन किया, इसलिए यह कॉलेज किसी अन्य गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था की तरह था। अपने तर्कों के समर्थन में, प्रतिवादी संख्या 3 से 8 ने 24 दस्तावेजों पर भरोसा किया है।

21 जनवारी 2013 को, प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के विद्वान अधिवक्ता ने एक आवेदन दायर कर प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की। 15 मई 2013 को, उपरोक्त आवेदन स्वीकृत हो गया और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को अगली तारीख को या उससे पहले मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। 22 जनवरी 2014 को, उड़ीसा राज्य (प्रतिवादी संख्या 1 और 2) के विद्वान स्थायी वकील ने आयोग के समक्ष याचिकाकर्ता संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले सरकारी आदेशों की एक फाइल प्रस्तुत की। इसके बाद, इस आयोग ने एक आदेश पारित किया जिसमें यह कहा गया कि उपरोक्त रिकॉर्ड को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना है। 09 अप्रैल 2019 को, आयोग ने सीलबंद रिकॉर्ड खोला। सभी अभिलेखों का अध्ययन करने तथा दस्तावेजों की सूची तैयार करने के पश्चात रिकॉर्ड को पुनः सीलबंद लिफाफे में रख दिया गया। राज्य के विद्वान स्थायी वकील द्वारा प्रस्तुत 26 दस्तावेज।

प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उड़ीसा सरकार ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से एक हलफनामा दायर किया और तर्क प्रस्तुत किया कि यह कॉलेज भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत ईसाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था है।

प्रतिवादी संख्या 3 से 8 ने एक आवेदन दायर करके घोषित किया कि उपरोक्त हलफनाना झूठा है और इस तरह इसे रिकॉर्ड से बाहर किया जा सकता है। उक्त आदेश दिनांक 21 जनवरी 2013 द्वारा राज्य के विद्वान स्थायी वकील से जिरह करने की अनुमति मांगने वाले याचिकाकर्ता के आवेदन को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया और उक्त आदेश के मद्देनजर प्रतिवादी संख्या 3 से 8 द्वारा दायर किए गए आवेदन को अपरिपक्व के रूप में खारिज कर दिया गया।

इस आयोग के समक्ष इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान, उड़ीसा सरकार ने दिनांक 28 मार्च 2014 को एक पत्र जारी करके इस कॉलेज को एमईआई के रूप में मान्यता प्रदान की। उड़ीसा सरकार द्वारा जारी किए गए उपरोक्त पत्र को 2014 की रिट याचिका संख्या 9698 में माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पत्र पर रोक लगा दी थी।

दिनांक 16 मई 2019 को, प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वे मामले के तथ्यों को देखते हुए मृतक प्रतिवादी संख्या 4 के अभ्यावेदनों को पक्षकार नहीं बनाना चाहते हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, 3 से 8 तक प्रतिवादियों के विद्वान अभिवक्ता और हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, हलफनामे का अवलोकन किया गया, पार्टियों की दलीलों, दस्तावेजों तथा पार्टियों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत उदहारणों का अवलोकन किया गया।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि कटक में अपनी स्थानीय समिति के माध्यम से उड़ीसा राज्य में काम करने वाले बीएमएससी, लंदन द्वारा 1944 में कॉलेज की स्थापना की गई और इसे वर्ष 1944 में इंटरमीडिएट साइंस के स्तर पर स्टीवर्ट स्कूल के बाहर स्थापित किया गया था। दोनों संस्थाएं 1946 तक एक प्रबंधन के तहत काम करती रहीं। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन को अलग कर दिया गया, इसके शासी निकाय का गठन किया गया और बैंक खाते को भी अलग कर दिया गया, लेकिन कुछ वर्षों तक दोनों संस्थाओं के लिए एक प्रधानाचार्य कार्य करते रहे। कॉलेज का प्रबंधन इसके शासी निकाय के माध्यम से किया जाता है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है और इसे मुख्य रूप से ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। कॉलेज का प्रबंधन कटक सीएनआई का सूबा था जो बीसीटीए का भी घटक निकाय है। संपत्तियों का स्वामित्व प्रबंधन, कटक सूबा, उत्तर भारत के चर्च (सीएनआई) के प्रयोग के लिए बीसीटीए, सीएनआईटीए में निहित है। कॉलेज को भूमि और भवन का तब तक प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी जब तक कि यह प्रबंधन, जो बीसीटीए का एक घटक निकाय है, द्वारा नियुक्त शासी निकाय द्वारा संचालित किया जाता है। 20 दिसंबर 1946 को, कॉलेज के पहले शासी निकाय का गठन किया गया और इसकी अलग से बैठक हुई। इसमें कुल 5 सदस्य थे।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि इस आयोग द्वारा मूल स्कूल, जिसमें से यह कॉलेज अस्तित्व में आया था, को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में घोषित किया गया है और उड़ीसा सरकार ने कॉलेज को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की है। कोई और घोषणा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उड़ीसा सरकार, उच्च शिक्षा विभाग ने पत्र दिनांक 18 मार्च 1983, 11 जुलाई 1984, 27 जुलाई 2001 और 05 फरवरी 1985 के माध्यम से कई बार यह माना है कि कॉलेज और क्राइस्ट कॉलेज, कटक अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्था हैं।

एआईआर 1999 सुप्रीम कोर्ट पेज 50 में सूचित एन अम्माद बनाम प्रबंधक एमजे हाई स्कूल के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जब सरकार ने स्कूल को अल्पसंख्यक स्कूल के रूप में घोषित किया, तो उसने इस तथ्यात्मक स्थिति को स्वीकार किया कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्कूल की स्थापना की गई है और उसके द्वारा इसे प्रशासित किया जा रहा है। घोषणा कानूनी स्वरूप की केवल खुली स्वीकृति है जो आवश्यक रूप से ऐसी घोषणा के पूर्ववृत्त के रूप में अस्तित्व में होनी चाहिए। इसलिए, हम इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यक स्कूल के रूप में घोषित किए जाने के बाद ही स्कूल सुरक्षा का दावा कर सकता है। उपरोक्त निर्णय का परिमाण कॉलेज के मामले में लागू होता है और प्रार्थना की कि कॉलेज को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने स्वीकार किया कि उड़ीसा सरकार ने रिट याचिका (सी) संख्या 2004 की 7762 में काउंटर हलफनामा दाखिल करके यह स्टैंड लिया है कि कॉलेज के शासी निकाय को भंग कर दिया गया क्योंकि यह कॉलेज उड़ीसा शिक्षा अधिनियम, 1969 की धारा 2 की तुलना में भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षित नहीं था। बीसीटीए द्वारा कॉलेज की स्थापना की गई, जो भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में है। राज्य सरकार ने प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया होगा लेकिन 02 दिसंबर 1970 को कॉलेज का प्रशासन कटक सूबा को सौंप दिया गया। 2012 की रिट याचिका (सी) संख्या 2207 में उड़ीसा राज्य ने हलफनामा दाखिल करके स्वीकार किया है कि यह कॉलेज एमईआई है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस याचिका में तर्क

प्रस्तुत किया है कि प्रधान सचिव, उड़ीसा सरकार, उच्च शिक्षा विभाग ने हलफनामा दिनांक 01 अक्टूबर 2012 दाखिल करके स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यह उल्लेख करना उचित है कि 2004 की पिछली रिट याचिका (सी) संख्या 7762 और 7763 जिसे उड़ीसा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 10 अप्रैल 2008 को निपटाया गया था, में अनजाने में यह दलील दी गई कि कॉलेज के शासी निकाय को इसलिए भंग कर दिया गया क्योंकि यह कॉलेज उड़ीसा शिक्षा अधिनियम, 1969 की धारा 2 की तुलना में भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षित था, जिसे राज्य द्वारा दायर किए गए जवाबी हलफनामे में शामिल किया गया था। तथापि, रिकॉर्ड में मौजूद तथ्य के अनुसार, उक्त कॉलेज को राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एमईआई के रूप में माना गया है / मान्यता प्रदान की गई है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के तहत संरक्षित है। बेहतर मूल्यांकन के लिए, दिनांक 11 जुलाई 1984, 05 फरवरी 1985, 27 जुलाई 2001 के कुछ सरकारी आदेशों / संकल्पों की फोटोकॉपी जो उड़ीसा सरकार के रुख को स्पष्ट करती है, के साथ बीसीटीए के सचिव ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें यह कहा गया कि बीसीटीए कॉलेज का होल्डिंग ट्रस्ट है, और कटक सूबा बीसीटीए का एक घटक प्रांतीय निकाय है। 1987 की सिविल अपील संख्या 1898 में 20 जुलाई 1988 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मंजूरी दी है कि अन्य प्रांतीय निकायों के साथ कटक सीएनआई सूबा बीसीटीए के घटक निकाय हैं। कटक सूबा अभी भी बीसीटीए का घटक प्रांतीय निकाय है और इसके सदस्य कॉलेज सहित इसके अधिकार क्षेत्र के तहत सभी संस्थाओं के प्रबंधन में हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनेक दस्तावेजों ने साबित किया है कि 01 जुलाई 1944 को स्कूल की शाखा के रूप में कॉलेज की स्थापना की गई और दोनों संस्थाएं कुछ समय तक अभिन्न इकाई थीं। उस समय बीएमसी स्टेशन कमेटी इन संस्थाओं का प्रबंधन करती थी। "उड़ीसा में ब्रिटिश शासन की मिशनरी गतिविधियां" नामक पुस्तक में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। नए ट्रस्टियों के नियुक्ति विलेख दिनांक 12 दिसंबर 1957 पंजीकरण संख्या 1957 की 4489 के माध्यम से बीएमएससी ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उक्त संपत्तियों को संभालने के लिए बीसीटीए को अन्य संपत्तियों के साथ स्कूल और कॉलेज की संपत्तियों के ट्रस्टीशिप को स्थानांतरित कर दिया था। इस अंतरित से पहले बीएमएससी संपत्ति नियंत्रक निकाय थी और संस्थाओं एवं चर्चों का प्रबंधन उड़ीसा के तत्कालीन प्रांतीय निकाय अर्थात यूसीसीसीसी के पास था। हालांकि वर्ष 1970 में यूसीसीसीसी का अस्तित्व समाप्त हो गया क्योंकि इसे सीएनआई में मिला दिया गया। उड़ीसा में सभी संस्थाएं और चर्च कटक सूबा, सीएनआई और संबलपुर सूबा, सीएनआई के प्रबंधन में आ गए जो उड़ीसा में यूसीसीसीसी का उत्तराधिकारी है। बीएमएससी यूके में पंजीकृत धार्मिक एवं धर्मार्थ कंपनी और बीएमएससी के चर्चों और संस्थाओं का नियंत्रक ट्रस्ट थी। स्वतंत्रता से पहले भारत में काम करने वाली बीएमएससी भी भारत में कार्य करने वाली विदेशी कंपनी होने के नाते भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 277(1) के तहत आवश्यकता के अनुसार 09 दिसंबर 1913 को कंपनी रजिस्ट्रार, बंगाल के समक्ष भारत में पंजीकृत थी। केवल वर्ष 1973 में, विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (संक्षेप में फेरा) के अनुसार भारत में संपत्ति नियंत्रित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। फेरा की धारा 31 में यह कहा गया है कि केवल आरबीआई की अनुमति से विदेशी कंपनी भारत में संपत्ति नियंत्रित कर सकती है। इसलिए, फेरा के अधिनियमन से पहले बीएमएससी के लिए भारत में संपत्ति नियंत्रित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इस प्रकार बीएमएससी द्वारा वर्ष 1957 में संपत्ति नियुक्ति और अधिकार निधान विलेख कानून की नजर में वैध था। बीएमएससी ने धार्मिक सोसाइटी अधिनियम 1880 की धारा 4 के अनुसरण में पंजीकृत विलेख के

माध्यम से बीसीटीए को नए ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया। उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत विलेख द्वारा बीएमएस नए ट्रस्टी के साथ पुराने ट्रस्टी के रूप में बना रहा। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बीसीटीए को ट्रस्टीशिप का कानूनी हस्तांतरण हुआ है जिसमें अन्य संपत्तियों के साथ-साथ कॉलेज और स्कूल की संपत्तियां बीसीटीए में निहित हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत बीसीटीए भारत में बैपटिस्ट संपत्ति का होल्डिंग ट्रस्ट है। बीबीयू, बीयूएनआई, एमबीसी, कटक सूबा, संबलपुर सूबा, बीएमएस, सीएनआईटीए और यूसीए बीसीटीए, जो अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत चर्चों और संस्थाओं का प्रबंधन करता है, के घटक प्रांतीय निकाय और सोसाइटी हैं। संगम अनुच्छेद के अनुसार बीसीटीए के इन घटक प्रांतीय निकायों और सोसाइटियों ने बीसीटीए की एजीएम में अपने प्रतिनिधियों को नामित किया। उड़ीसा में बीसीटीए का घटक निकाय होने के नाते कटक सूबा आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के तहत चर्चों और संस्थाओं के प्रबंधन और कॉलेज के प्रबंधन के लिए एकमात्र उत्तराधिकारी है। डायोसी कटक, सीएनआई बीसीटीए संघटक निकाय की एक सदस्य है जिसके बीसीटीए में चार सदस्य हैं, अन्य संघटक निकायों के साथ-साथ इसकी एक आम सभा है जो बीसीटीए के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से देखा जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि कॉलेज के पंजीकृत विधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार, यह मुख्य रूप से ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लाभ के लिए है। अनुच्छेद 4 के अनुसार, उड़ीसा में काम करने वाले बीएमएससी, लंदन द्वारा कॉलेज को वर्ष 1944 में पंजीकृत कराया गया और भारत में चर्चों के एकीकरण के बाद 29 नवंबर 1970 से इसका कानूनी उत्तराधिकारी कटक सीएनआई का सूबा है।

याचिकाकर्ता श्री बी.डी. दास के विद्वान वकील ने कॉलेज के शासी निकाय के विधान के अनुच्छेद 5 और 6 पर आयोग का ध्यान आकर्षित किया। प्रतिवादी डॉ. श्यामल कुमार साहा और श्री निशिकांत कार ने कॉलेज की स्थापना और संपत्तियों के स्वामित्व की पुष्टि करते हुए गवाह के रूप में शासी निकाय के पंजीकृत विधान, नियमों और विनियमों पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए कॉलेज के प्रिन्सिपल के रूप में पदोन्नत होने में विफल होने के बाद प्रतिवादी उस पर आपत्ति करने से विबंधित हैं। कॉलेज के शासी निकाय को सोसाइटी रजिस्ट्रार, उड़ीसा के यहां पंजीकृत किया गया था। डॉ. श्यामल कुमार साहा और श्री निशिकांत कार ने कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में कॉलेज के शासी निकाय का सदस्य होने के नाते सोसाइटी के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके द्वारा उन दोनों ने स्वीकार किया है कि यह कॉलेज अल्पसंख्यक कॉलेज है। कटक सूबा के बिशप के संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार, सीएनआई प्रबंधन द्वारा 3 साल की अवधि के लिए निर्वाचित के रूप में अध्यक्ष, सचिव होंगे, कॉलेज के प्रिन्सिपल पदेन सदस्य होंगे। प्रबंधन द्वारा छह सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। एक प्रतिनिधि कटक के जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जाना है और एक प्रतिनिधि उत्कल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा नामित किया जाना है। दो शिक्षक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान शासी निकाय में 11 सदस्यों में से 9 ईसाई हैं और अन्य हिंदू धर्म से संबंधित हैं। विदेशी कंपनी होने के नाते बीएमएससी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यकता के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, बंगाल के समक्ष भारत में पंजीकृत भी थी। बीएमएस, लंदन जिसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में है, ने आयकर विभाग से पंजीकरण प्राप्त किया।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि एआईएसीएचई द्वारा प्रकाशित "शताब्दी समारोह स्मारिका" एवं "भारत में चर्च से संबंधित कॉलेजों की निर्देशिका" और बीएमएस के पुराने कार्यवृत्त यह

साबित करते हैं कि यह कॉलेज अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था। "भारत में ब्रिटिश शासन" जो उत्कल विश्वविद्यालय के तहत एक शोध पत्र है, जैसे मुद्रित प्रकाशन से यह साबित होता है कि यह कॉलेज अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था। यह कॉलेज स्थानीय स्टेशन समिति, कटक के माध्यम से स्थानीय भागीदारी और स्वतंत्रता से पहले भारत में रहने वाले बीएमएस विदेशी ईसाई मिशनरी का उपयोग करके शुरू किया गया। श्रद्धेय बिशप एसके पात्रो बनाम बिहार राज्य (1969) 1 एससीसी 863 जिसका अनुसरण सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) 1 एससीसी 558 में किया गया था, के मामले में कहा गया कि संस्था की स्थापना विदेशियों द्वारा की गई हो सकती है लेकिन यदि वे भारत में रह रहे थे, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के संरक्षण से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि वे भारत में पैदा नहीं हुए थे। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यह बहुत प्रासंगिक है कि उड़ीसा सरकार ने आदेश दिनांक 01 अप्रैल 2003 के माध्यम से "उड़ीसा शिक्षा (अल्पसंख्यक प्रबंधित सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कर्मचारी भर्ती पद्धति और सेवा की शर्तें) आदेश 2003" के रूप में एक गजट अधिसूचना को प्रख्यापित किया जिसका अल्पसंख्यक प्रबंधित सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा अनुसरण किया जाना है। कॉलेज के शासी निकाय के पुनर्गठन के मामले पर 10 अगस्त 2004 को हुई आपातकालीन बैठक में चर्चा की गई, जो कॉलेज के शासी निकाय की अध्यक्षता से संबंधित थी, जिसका कटक के एडीएम द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। उक्त बैठक में अधिवक्ता श्री जयंत कुमार रथ को कॉलेज की ओर से चुनाव लड़ने के लिए नियुक्त किया गया। कर्मचारियों का प्रतिनिधि होने के नाते प्रतिवादी डॉ. श्यामल कुमार साहा और श्री निशिकांत कार ने बैठक में भाग लिया और कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए, इसलिए वे कॉलेज के अल्पसंख्यक दर्जे पर सवाल नहीं उठा सकें। प्रतिवादी ने 15 एसएससी 39 (2013) में रिपोर्ट किए गए श्री विनोद कुमार एम. मालवीय और अन्य बनाम मगन लाल, मगन दास गामिति और अन्य के फैसले की गलत व्याख्या की है। भारत में 6 प्रमुख प्रोटेस्टेंट चर्चों के मिलन से सीएनआई का गठन हुआ था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया कि 6 एसएससी 537 (2005) पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य और एससी 1630 एआईआर (1992) सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय का मामला वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले पर पूरी तरह से लागू होता है। कटक के एडीएम ने पत्र संख्या 140 दिनांक 24 जुलाई 2004 के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण के बारे में जानकारी मांगी है और कॉलेज ने एडीएम को 2004 के संकल्प संख्या 11 के माध्यम से जवाब दिया है। प्रतिवादी डॉ. श्यामल कुमार साहा और श्री निशिकांत कार ने कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए और वे उपरोक्त संस्करण से बंधे हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यक संस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के संरक्षण का दावा करने के लिए सक्षम है, बशर्ते शैक्षणिक संस्था स्थापित करने वाले व्यक्ति भारत में निवासी हों, जिसमें स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत में रहने वाले विदेशी और मूल भारतीय शामिल हैं। बीएमएस लंदन जिसका कोलकाता में पंजीकृत कार्यालय है, ने बीएमएस की कटक स्टेशन समिति के माध्यम से कॉलेज की स्थापना की थी। भारत में रहने वाली ब्रिटेन की ईसाई मिशनरियों और कटक के स्थानीय ईसाई निवासियों (मूल भारतीयों) ने 1944 में संयुक्त रूप से स्टीवर्ट स्कूल, कटक की शाखा के रूप में इस कॉलेज की शुरुआत की। बीएमएससी, लंदन ने कॉलेज सहित चर्चों और संस्थाओं की संपत्ति को संभालने के लिए बीसीटीए को नए ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया। उड़ीसा में बीसीटीए का घटक निकाय होने के नाते कटक सूबा अपने अधिकार क्षेत्र के तहत चर्चों एवं संस्थाओं और कॉलेज के प्रबंधन का एकमात्र उत्तराधिकारी है। फेरा अधिनियम, 1973 के अधिनियमन से पहले बीएमएससी के लिए भारत

में संपत्ति नियंत्रित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था और बीएमएससी द्वारा वर्ष 1957 में नियुक्ति और संपत्ति अधिकार निधान का विलेख वैध था। बीएमएससी ने धार्मिक सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत विलेख के माध्यम से बीसीटीए को नए ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया कि कॉलेज को उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और यह ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित किया गया तथा एमएससी प्रदान करने के लिए सभी कानूनी मानदंडों को पूरा करता है। इसलिए उन्होंने कॉलेज के शासी निकाय के पक्ष में एमएससी जारी करने की प्रार्थना की, जो उड़ीसा शिक्षा (अल्पसंख्यक प्रबंधित सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कर्मचारी भर्ती पद्धति और सेवा की शर्तें) आदेश 2003 की आवश्यकता के अनुसार पंजीकृत निकाय है। अपने तर्कों के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने श्रद्धेय बिशप एसके पात्रो बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (1969) 1 एससीसी 863, सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय, (1992) 1 एससीसी 558, एन अम्माद बनाम प्रबंधक, एमजे हाई स्कूल, (1998) 6 एससीसी 674, श्रद्धेय लिंगराज टैंडी एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य, 94 (2002) सीएलटी 307, बैपटिस्ट चर्च ट्रस्ट एसोसिएशन बनाम सदस्य, कंपनी लॉ बोर्ड के निर्णयों, सिविल अपील नंबर 1898/87 और नंबर 1899/1987 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 20 जुलाई 1988 (न्यायमूर्ति आरएम दत्ता की रिपोर्ट के साथ), विनोद कुमार एम मालवीय और अन्य बनाम मगन लाल मंगलदास गमेती और अन्य (2013) 15 एससीसी 39 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्राइस्ट चर्च मैककोनाघी स्कूल सोसाइटी, लखनऊ बनाम रजिस्ट्रार फर्म, सोसाइटी और चिट्स, लखनऊ 2015 (33) एलसीडी 2454 इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) के निर्णयों पर भरोसा किया और उड़ीसा शिक्षा अधिनियम, 1969 की धारा 2, उड़ीसा राजपत्र : उड़ीसा सरकार, स्कूल और जन शिक्षा विभाग की धारा 3 (1) (एच) पर भी ध्यान आकर्षित किया। संख्या 5831/एसएमई, दिनांक 28 फरवरी 2003, एक्सआईवीई / कोड - 25/2002, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 31, धारा 2 में स्थानीय सीमा का प्रावधान है और धारा 4 में धार्मिक संस्था अधिनियम, 1880 के हस्तांतरण विलेख के बिना संपत्ति के नए ट्रस्टी में निहित होने का प्रावधान है और धारा 25 कंपनी अधिनियम, 1956 की धर्मार्थ या अन्य कंपनी के नाम में "लिमिटेड" शब्द को छोड़ देने की शक्ति प्रदान करती है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के विद्वान अधिवक्ता श्री दिगम्बर मिश्रा ने याचिकाकर्ता के तर्क का पुरजोर विरोध किया और कहा कि संस्था की स्थापना के तथ्यों का प्रमाण संस्था के प्रशासन के अधिकार का दावा करने के लिए असरदार शर्त है। सबूत का भार याचिकाकर्ता पर होता है जो यह दावा करता है कि संस्था अल्पसंख्यक संस्था है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि यह संस्था प्रथम दृष्टया भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक द्वारा की स्थापना की गई थी। कॉलेज कटक स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था और यह सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था है और 1944 में बीएमएससी, लंदन द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान प्रबंधन ने कॉलेज की स्थापना नहीं की है और यह किसी अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भारतीय नागरिक या भारत के निवासी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। बीएमएससी अंग्रेजी कंपनी अधिनियम, 1867 के तहत निगमित निकाय था, जिसका पंजीकृत कार्यालय ग्लूसेस्टर, लंदन में था और इसने 1957 में बीसीटीए को ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया था। तत्पश्चात, 15 जनवरी 1996 को न्यासी से न्यासी को अंतरण विलेख के नाम से अंतरण का एक अन्य विलेख निष्पादित किया गया। अन्यदेशीय निगम / विदेशी सोसाइटी होने के कारण बीएमएससी भारत के

संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। उत्तराधिकार या वंशानुक्रम द्वारा इस तरह के अधिकारों का दावा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रबंधन ने कॉलेज की स्थापना नहीं की है और वे कॉलेज का प्रशासन करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। बीएमएससी को अंग्रेजी कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था और यह निगम "खैराती निगम" है। न तो बीएमएससी और न ही सीएनआई ट्रस्ट एसोसिएशन को कोई अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त हो सकता है।

प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि केवल यह तथ्य कि शैक्षणिक संस्था को अब अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु उन्हें यह भी साबित करना होगा कि यह भारत में रहने वाले किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था। यदि संविधान के लागू होने से पहले संस्था की स्थापना की गई थी, तो संस्था की स्थापना भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए थी और यदि संविधान के लागू होने के बाद संस्था की स्थापना की गई है तो यह भारतीय नागरिक द्वारा होनी चाहिए। याचिकाकर्ता संस्था इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी है और अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि संस्थापक का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष है। उड़ीसा राज्य में ईसाइयत की आस्था, धर्म, संस्कृति के संरक्षण के लिए कॉलेज की स्थापना कभी नहीं की गई थी। इसके बाद वर्तमान कॉलेज के विपरीत स्टीवर्ट स्कूल विशेष रूप से युरोपियन, एंग्लो इंडियन और प्रोटेस्टेंट के लिए स्थापित किया गया था, जो उत्कल विश्वविद्यालय से घटक कॉलेज की आवश्यकता को पूरा करने और उड़ीसा प्रांत में कॉलेज शिक्षा के उत्थान के लिए स्थापित किया गया। 2005 (4) ईएससी 2489 (इलाहाबाद) के फैसले में यह माना गया कि निगमित कानूनी न्यायिक संस्था मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती है जो संविधान द्वारा केवल नागरिकों के पक्ष में गारंटीकृत हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत गारंटीकृत अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं।

विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अंतरण विलेख में भी न्यासी कॉलेज अनुसूची का भाग नहीं है। माननीय एकल न्यायाधीश का निर्णय एक गलत तर्क के आधार पर दिया गया था, कि इस आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) में "स्थापित" और "प्रशासित" कॉलेज के अल्पसंख्यक दर्जे को मान्यता प्रदान की है, को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए और यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को उनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था का प्रशासन करने का अधिकार देता है। कटक सूबा पिछले 4 दशकों से अधिक समय से उत्तराधिकार के माध्यम से कॉलेज का प्रबंधन कर रहा है। कॉलेज के प्रबंधन के अनुसार, कटक स्कूल कटक की एक विस्तारित शाखा है जिसकी स्थापना डॉ. विलियम डे स्टीवर्ट ने की थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने न केवल इस आयोग के उस आदेश पर भरोसा किया है जो कॉलेज से संबंधित नहीं था, अपितु राज्य सरकार के परस्पर विरोधी और विरोधाभासी रुख पर भी ध्यान नहीं दिया है और 2004 की रिट याचिका (सी) संख्या 7762 में पारित निर्णय को इस रूप में नहीं माना जा सकता है कि उसने याचिकाकर्ता संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे को अंतिम रूप से निर्धारित किया है। उड़ीसा सरकार ने पत्र दिनांक 21 दिसंबर 1972 के माध्यम से 3 वर्ष की अवधि के लिए कॉलेज के शासी निकाय का पुनर्गठन किया। यह कॉलेज किसी अन्य गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्था की तरह ही था। इस कार्रवाई को कभी चुनौती नहीं दी गई और इसे अंतिम रूप दिया गया। वर्ष 2004 में, सरकार ने 1991 के नियमों के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रबंधन को फिर से भंग कर दिया। उड़ीसा के उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी, लेकिन उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को कानून

या तथ्यों का सम्मान न करने वाले के रूप में माना था। शासी निकाय में 13 सदस्य हैं, जिनमें से 2 नामिती शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं, एक वाइस चांसलर का नामिती है और दूसरा कलेक्टर का नामिती है। यह धर्मनिरपेक्ष निकाय है और इसका अल्पसंख्यक स्वरूप नहीं है।

प्रतिवादी 3 से 8 के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि कॉलेज का विधान कहता है कि शासी निकाय विभाग या निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा जारी किए गए शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। कॉलेज के प्रबंधन ने स्वीकार किया कि हालांकि यह स्वेच्छा से उड़ीसा शिक्षा अधिनियम, 1969 के प्रावधानों को अपनाता है, परंतु इस तरह के स्वेच्छया विकल्प से उसके अल्पसंख्यक अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने कपटपूर्ण तरीके से पत्र दिनांक 28 मार्च 2014 जारी किया है जिसमें याचिकाकर्ता संस्था को कथित रूप से अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। उड़ीसा सरकार की ओर से श्री गगन किशोर ढल द्वारा एक हलफनामा दाखिल किया गया। हलफनामा याचिकाकर्ता संस्था के मामले का पूरी तरह से समर्थन कर रहा है। यह हलफनामा वकील श्री संग्राम दास की मिलीभगत से दायर किया गया था, जो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं और उनकी पत्नी वर्तमान शासी निकाय में हैं और कॉलेज में रीडर भी हैं। हलफनामे के अभिसाक्षी से जिरह करने के लिए आवेदन दायर किया गया था लेकिन इस आयोग ने श्री गगन बिहार ढल की जिरह को स्थगित करते हुए 15 मई 2013 को आदेश पारित कर दिया है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। तब राज्य सरकार ने उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के अनुसार एमएससी प्रदान करने के लिए इस याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए पत्र दिनांक 28 मार्च 2014 जारी किया। प्रतिवादी संख्या 3 से 8 ने उपरोक्त पत्र दिनांक 28 मार्च 2014 को चुनौती दी। 2014 की रिट याचिका संख्या 9689 में राज्य की ओर से श्री संग्राम दास, अधिवक्ता पेश हुए और लंबी सुनवाई के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16 मई 2014 के माध्यम से उपरोक्त पत्र पर रोक लगा दी गई। इसलिए इस मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर किए गए हलफनामे और दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल नहीं की जा सकती है।

प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि बीएमएससी लंदन की कंपनी जिसने भारत के संविधान के लागू होने के बाद भी कॉलेज की स्थापना और प्रबंधन किया तथा उसने अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं किया। विदेशी संस्था ने 13 साल तक सभी समुदायों के लिए कॉलेज का प्रबंधन किया। कॉलेज की स्थापना प्रांतीय सरकार की वित्तीय सहायता से की गई थी। स्टीवर्ट साइंस कॉलेज सभी समुदायों के लिए स्थापित किया गया था और यह कभी भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नहीं था। याचिकाकर्ता ने विभिन्न चरणों में विरोधाभासी रुख अपनाया है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में कभी तो यह दावा किया था कि उसे यह कॉलेज बीएमएससी से उत्तराधिकार द्वारा विरासत में मिला है और वह कभी यह दावा करता है कि उसने बीसीटीए या सीएनआईटीए से ट्रस्टियों (1957 से 1974) के माध्यम से और 1974 से 1996 तक एक अन्य कथित व्यवस्था के आधार पर कॉलेज प्राप्त किया है। वह कभी तो यह दावा करता है कि कॉलेज का संस्थापक बीएमएससी है और कभी यह दावा करता है कि बीसीटीए संस्थापक है। साथ ही एक अन्य समय में उसने दावा किया कि श्रद्धेय डीटी रॉबर्ट नामक एकल परोपकारी व्यक्ति ने कॉलेज की स्थापना की और प्रार्थना की कि याचिकाकर्ता संस्थापक नहीं है और एमएससी प्राप्त करने के लिए कपटपूर्ण तरीके को अपनाया है, इसलिए वर्तमान याचिका भारी लागत के साथ खारिज की जा सकती है।

विद्वान अधिवक्ता श्री दिगंबर मिश्रा, जो प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के अधिवक्ता हैं, ने निम्नलिखित उद्धरणों पर भरोसा किया :

() एआईआर 2004 एससी 1295

() (1964) 6 एससीआर 885 (टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य)

() एआईआर 1992 एससी 1630

() एआईआर 1970 एससी 2079 (केरल राज्य बनाम रेव मदर प्रांतीय)

() एआईआर 1968 एससी 662 (अज़ीज़ बाशा एवं अन्य बनाम भारत संघ)

() एआईआर 980 एससी 1042 (ऑल सेंट्स हाई स्कूल, हैदराबाद एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य आदि)

() एआईआर 1970 एससी 259 (श्रद्धेय बिशप एस.के. पात्रो बनाम बिहार राज्य)

() एआईआर 1986 एससी 1490 (एपी क्रिश्चियन मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य)

() 1992 1 केएलजे 708 (श्रद्धेय के.सी. सेठ एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य) (केरल उच्च न्यायालय)

() 1998 की रिट याचिका संख्या 10074 और 12018 आदि जिन पर 09 सितंबर 1998 को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया (राज लक्ष्मी एजुकेशनल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य)

() 2019 द्वितीय भाग एडी दिल्ली 443 (बाड़ा इंटर कॉलेज बनाम उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं अन्य)

() (2013) 15 एससीसी 394 (श्री विनोद कुमार मालवीय एवं अन्य बनाम मगन लाल, मगन दास गामिति एवं अन्य)

तथापि, हस्तक्षेपकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के तर्कों का समर्थन किया।

आयोग ने दोनों पक्षों के साथ-साथ हस्तक्षेपकर्ताओं की दलीलें सुनीं तथा उनके लिखित निवेदनों और उद्धरणों का भी अध्ययन किया। हस्तक्षेपकर्ताओं ने याचिकाकर्ता संस्था की दलीलों का समर्थन किया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 30(1) यह अपेक्षा नहीं करता है कि शैक्षणिक संस्था की स्थापना में पूरा समुदाय शामिल शामिल होना चाहिए। यह अल्पसंख्यक समुदाय के हित में अपने स्वयं के साधनों से किसी परोपकारी व्यक्ति द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के संरक्षण का हकदार होगा। तथापि, केवल इस तथ्य ने इसे अल्पसंख्यक संस्था नहीं बनाया कि स्कूल / कॉलेज की स्थापना किसी धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई थी, जैसा कि एआईआर 1958 एससी 956 [केरल एजुकेशनल बिल के मामले में] में माना गया था, जहां स्कूल / कॉलेज की स्थापना और विकास में सहायता करने के लिए विदेश से धन प्राप्त किया गया था, जिसे भारत में अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया था, या यह कि कभी-कभी प्रबंधन कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जाता

है जो भारत में पैदा नहीं हुए हैं, स्कूल / कॉलेज को भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) का संरक्षण अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। एआईआर 1970 एससी 259 श्रद्धेय बिशप एस के पात्रो बनाम बिहार राज्य में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अनुच्छेद 30 के तहत विशेषाधिकार का दावा करने वाली अल्पसंख्यक संस्था भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक व्यक्ति / व्यक्तियों को दी जानी चाहिए। भारत में न रहने वाले विदेशी भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के दायरे में नहीं आते हैं।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 30(1) धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की संस्था की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी देता है। "स्थापना" शब्द का अर्थ है अस्तित्व में लाना तथा यह अनिवार्य रूप से इस बात का संकेत नहीं देता है कि अल्पसंख्यक द्वारा संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। एएम पेट्रोनी बनाम सहायक शैक्षिक अधिकारी [एआईआर 1974 केरल 197] में, जहां पहले किसी अन्य संगठन द्वारा चलाए जा रहे स्कूल का चर्च द्वारा अधिग्रहण कर लिया था, जिसने रोमन कैथोलिकों द्वारा स्थापित स्कूल के अनुरूप इसे मान्यता प्रदान की और इसका प्रबंधन किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के प्रयोजन के लिए यह माना गया कि स्कूल को रोमन कैथोलिकों द्वारा स्थापित किया गया है।

डॉ. नरेश अग्रवाल बनाम भारत संघ एवं अन्य (2005), 4 एडब्ल्यूसी 3745 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित विभिन्न मुद्दों का फैसला किया। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की है, द्वारा विश्वविद्यालय का प्रशासन करने के अधिकार के मुद्दे पर, इसके निगमन के बाद भी न्यायालय ने कहा कि एएमयू अधिनियम 1920 की धारा 13, 15, 16 से 22 के साथ पठित धारा 3 से यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय का प्रशासन अधिकारियों और सांविधिक निकायों में निहित है, जो अधिनियम के तहत ही गठित किए गए थे, और विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान देने वाले संस्थापकों ने उसे प्रशासित करने के अधिकार का किसी भी समय कोई दावा नहीं किया। विश्वविद्यालय का प्रशासन हमेशा अधिकारियों और निकायों में निहित रहा है जो वैधानिक प्रावधानों के तहत ही जारी रहे। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 30 के दो भाग हैं : () स्थापित करने का अधिकार, () प्रशासन करने का अधिकार। दोनों अधिकारों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए। तथापि, यह मानना आवश्यक नहीं है कि जब भी अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक किसी संस्था की स्थापना करते हैं, तो वे अनिवार्य रूप से यह चाहते हैं कि उक्त संस्था का प्रशासन केवल अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा ही किया जाए। संस्था की स्थापना करने वाले संस्थापक सदस्यों को हमेशा यह छूट होती है कि वे ऐसे व्यक्ति को प्रशासन सौंप सकते हैं, जिसका अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक नहीं हो सकता है और इसलिए हमेशा यह आवश्यक नहीं है कि अल्पसंख्यक द्वारा संस्था की स्थापना के बाद अल्पसंख्यक संस्था का प्रशासन करने का अधिकार स्वतः ही अनुगमन करेगा। प्रशासन करने का अधिकार संस्थापक सदस्यों की मर्ज़ी और इच्छा पर निर्भर करता है और वास्तव में सदस्य अधिनियम के तहत गठित वैधानिक प्राधिकरणों और निकायों के पक्ष में अधिग्रहण के अधिकार को छोड़ने के इच्छुक हैं।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 30(1) सभी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था "स्थापित करने का अधिकार" और "प्रशासित करने का अधिकार" की गारंटी देता है। "स्थापना" शब्द में अस्तित्व में लाने का अधिकार शामिल है, जबकि किसी संस्था को प्रशासित करने के

अधिकार का अर्थ संस्था के कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और संचालित करने के अधिकार से है। इस प्रकार, यह अल्पसंख्यकों की पसंद पर छोड़ देता है कि वे ऐसी शैक्षणिक संस्था की स्थापना करें जो दोनों उद्देश्यों अर्थात उनके धर्म, भाषा या संस्कृति का संरक्षण करने के उद्देश्य और उनके बच्चों को उनकी अपनी भाषा में आद्योपांत सामान्य शिक्षा देने के उद्देश्य को भी पूरा करेगी। संरक्षण के अधिकार का अर्थ संरक्षित करने के अधिकार और बनाए रखने के अधिकार से है। इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि इस आयोग ने चंदरवती एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में एक आदेश दिनांक 30 जुलाई 2018 पारित किया है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता संस्था की स्थापना गैर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा की गई थी और एमएससी प्रदान करने के आवेदन को खारिज कर दिया था।

इसके बाद याचिकाकर्ता संस्था चंदरवती एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2019 की सिविल याचिका संख्या 4311 दायर करके माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस आयोग के आदेश को चुनौती दी और लंबी सुनवाई के बाद माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 सितंबर 2019 को निम्नलिखित आदेश पारित किया :

"संक्षेप में, आक्षेपित आदेश दिनांक 30 जुलाई 2018 के माध्यम से, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संक्षेप में "आयोग") ने अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया है। आदेश दिनांक 30 जुलाई 2018 में दिया गया कारण संक्षेप में यह है कि प्रथम दृष्टया संस्था की स्थापना गैर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा की गई थी और उसके बाद ही इसे जैन अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रशासित किया गया।

2. तर्क के समर्थन में, जो आक्षेपित आदेश में अभिव्यक्ति पाता है, आयोग द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियम, 2004 (संक्षेप में "2004 अधिनियम") की धारा 2 (छ) और एस. अज़ीज़ बाशा एवं अन्य बनाम भारत संघ, एआईआर 1968 एससी 662 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का सहारा लिया गया है। आयोग का यह मत प्रतीत होता है कि अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदक संस्था को न केवल अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रशासित किया जाना आवश्यक है, अपितु इसे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित भी किया जाना चाहिए।

3. इन परिस्थितियों में आक्षेपित आदेश दिनांक 30 जुलाई 2018 पारित किया गया, जिसका दिनांक 29 अगस्त 2018 के एक आदेश द्वारा अनुगमन किया गया तथा समीक्षा के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया।

4. श्री शिसोदिया, स्वाभाविक रूप से, इसके विपरीत बात करते हैं। अपने निवेदन के समर्थन में, श्री शिसोदिया ने सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (2018) 6 एससीसी 772 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और रिट याचिका (सी) संख्या 12597/1984, डॉ. टीएमए पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिनांक 10 सितंबर 1984 के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। उपरोक्त निर्णयों के अलावा, उन्होंने केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 20 नवंबर 1973 के फैसले पर भी भरोसा किया है, जो श्रद्धेय डॉ. एल्डो मारिया पेट्रोनी, एस.जे. एवं अन्य बनाम सहायक शैक्षिक अधिकारी एवं अन्य के मामले में ओपी नंबर 138/1973 में पारित किया गया था।

5. मैंने श्री शिसोदिया के साथ-साथ सुश्री एकता सीकरी, अधिवक्ता, जो प्रतिवादी संख्या 2, विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित होते हैं, को सुना है।

6. वर्तमान मामले में विचारणीय मुद्दे का दायरा बहुत संकीर्ण है। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रारंभिक स्थापना और उसके बाद उसका प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा होना चाहिए। इस मामले में, रिकॉर्ड से जो प्रकट होता है वह यह है कि याचिकाकर्ता संस्था को गैर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया था और उसके बाद उसे सच में जैन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा ले लिया गया था।

7. टीएमए पई फाउंडेशन के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय यहाँ ऊपर तैयार किए गए पोज़र पर कुछ प्रकाश डालता है।

उक्त आदेश के बाद इस आयोग ने दिनांक 07 नवंबर 2019 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता संस्था के पक्ष में एमएससी प्रदान किया है।

उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मानना आवश्यक नहीं है कि जब भी अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक किसी संस्था की स्थापना करते हैं, तो वे अनिवार्य रूप से यह चाहते हैं कि उक्त संस्था का प्रशासन केवल अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा ही किया जाए। संस्था की स्थापना करने वाले संस्थापक सदस्यों को हमेशा यह छूट होती है कि वे उसका प्रशासन उस व्यक्ति को सौंप दें जिसका अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

याचिकाकर्ता संस्था के समर्थन में याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और दायर किए गए हलफनामे पर भरोसा करते हुए हम यह पाते हैं और मानते हैं कि संस्था के संस्थापक को, किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा, संस्था के प्रशासन को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, जिसका अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, को सौंपने या अंतरित करने का कानूनी अधिकार है। हमेशा यह आवश्यक नहीं होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक संस्था की स्थापना के बाद अल्पसंख्यक संस्था को प्रशासित करने का अधिकार स्वतः ही अनुगमन करेगा। प्रशासित करने का अधिकार संस्था के स्थापक या संस्थापक की मर्ज़ी और इच्छा पर निर्भर करता है। याचिकाकर्ता संस्था का मामला यह है कि स्टीवर्ट साइंस कॉलेज, कटक की स्थापना 1944 में बीएमएससी, लंदन ने उड़ीसा में काम करने वाली अपनी स्थानीय समिति के माध्यम से की थी। स्कूल के बाहर कॉलेज का सृजन किया गया था। दोनों संस्थाएं 1946 तक एक प्रबंधन के रूप में काम करती रहीं। वर्ष 1946 में कॉलेज की सामान्य सभा का गठन किया गया और एक खाते का भी समर्थन किया गया परंतु कुछ वर्षों तक दोनों संस्थाओं के लिए एक ही प्रधानाचार्य रहा। कॉलेज का प्रबंधन उसके शासी निकाय द्वारा किया जाता है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। कॉलेज की स्थापना विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक स्तर तक सभी समुदायों के लड़कों और लड़कियों को परंतु मुख्य रूप से ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एक अच्छी शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। बीएमएससी ने अपने उद्देश्य और प्रयोजनों को आगे बढ़ाने के लिए उक्त संपत्तियों को नियंत्रित करने हेतु ट्रस्टियों को शामिल करने के लिए दिनांक 12 दिसंबर 1957 के पंजीकृत नियुक्ति विलेख के माध्यम से बीसीटीए को अन्य संपत्तियों के साथ स्कूल और कॉलेज की संपत्तियों के ट्रस्टीशिप को स्थानांतरित कर दिया था। बीएमएससी यूके में पंजीकृत धार्मिक और धर्मार्थ कंपनी थी और बीएमएससी के चर्चों और

संस्थाओं का नियंत्रक ट्रस्ट थी। बीएमएससी स्वतंत्रता से पहले भारत में काम कर रही थी और भारत में पंजीकृत भी थी। फेरा अधिनियम, 1973 के अनुसार, वर्ष 1973 में विदेशी कंपनियों को भारत में संपत्ति नियंत्रित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया और उपरोक्त अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले बीएमएससी के लिए भारत में संपत्ति नियंत्रित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इसलिए 1957 का विलेख कानून की नजर में वैध था।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उद्धरणों का अध्ययन किया है और कानून की स्थापित स्थिति बहुत स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक संस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण का दावा करने के लिए सक्षम है, बशर्ते कि शैक्षणिक संस्था स्थापित करने वाले व्यक्ति भारत में निवासी हों, जिसमें स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत में रहने वाले विदेशी और मूल भारतीय शामिल हैं। बीएमएससी, लंदन जिसका पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में है, ने बीएमएससी की कटक स्टेशन समिति के माध्यम से कॉलेज की स्थापना की है। याचिकाकर्ता के साक्ष्य और हलफनामे के अनुसार, भारत में रहने वाली ब्रिटेन की ईसाई मिशनरियों और कटक के स्थानीय ईसाई निवासियों ने संयुक्त रूप से इस कॉलेज को स्टीवर्ट स्कूल, कटक की शाखा के रूप में शुरू किया था। बीएमएससी ने चर्चों और संस्थाओं की संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए बीसीटीए को नए ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है, जिसमें उड़ीसा में चर्चों और संस्थाओं के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में बीसीटीए का घटक निकाय होने के नाते कटक सूबा और कॉलेज शामिल हैं।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने उड़ीसा राज्य सरकार के पत्रों और इस याचिका सहित विभिन्न कार्यवाही में राज्य द्वारा दायर किए गए हलफनामे और जवाब की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। सचिव, उड़ीसा सरकार, शिक्षा विभाग को संबोधित दिनांक 18 मार्च 1983 के पत्र में जन शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उड़ीसा ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि अल्पसंख्यक संस्था होने के कारण कॉलेज और क्राइस्ट कॉलेज, कटक उड़ीसा शिक्षा अधिनियम, 1969 और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत अभिशासित नहीं हैं क्योंकि इन दोनों संस्थाओं को ईसाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया गया था और उनके द्वारा प्रशासित किए जा रहे थे। सचिव, उड़ीसा सरकार, शिक्षा एवं युवा सेवा विभाग द्वारा पारित संकल्प दिनांक 11 जुलाई 1984 की प्रति कॉलेज एवं क्राइस्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य को सूचनार्थ दी गई जिसमें यह कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अधिकार रखने वाले अल्पसंख्यकों द्वारा उनकी पसंद के स्थापित और प्रशासित शिक्षण संस्था के कर्मचारियों जो सहायता अनुदान की प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली के तहत हैं, को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया जाए। निदेशक, उच्च शिक्षा, उड़ीसा को संबोधित दिनांक 05 फरवरी 1985 के पत्र द्वारा उप सचिव, उड़ीसा सरकार, शिक्षा और युवा सेवा विभाग ने स्पष्ट किया कि चूंकि कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार प्रबंधन के पास है इसलिए औपचारिक स्वीकृति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। चूंकि कॉलेज और क्राइस्ट कॉलेज, कटक जैसी अल्पसंख्यक संस्था पर शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों के पूर्ण वेतन लागत के सीधे भुगतान की व्यवस्था लागू की गई है, इसलिए उड़ीसा शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 133 के तहत प्रबंधन द्वारा आपको उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति और राहत की सूचना दी जानी है। प्रधानाचार्य, क्राइस्ट कॉलेज और स्टीवर्ट कॉलेज को संबोधित दिनांक 27 जुलाई 2001 के पत्र द्वारा संयुक्त सचिव, उड़ीसा सरकार, उच्च शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि चूंकि आपके कॉलेज का प्रबंधन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जा रहा है, इसलिए आपके कॉलेज के शिक्षण स्टाफ को सभी

सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षण स्टाफ के लिए रिक्त सामान्य स्थानान्तरण संवर्ग में सम्मिलित नहीं किया गया है, तथ्य जिसके अंतर्गत आपके कॉलेज के शिक्षण स्टाफ को सामान्य स्थानान्तरण संवर्ग से बाहर रखा गया है, का समर्थन करने वाले आदेशों की प्रति / प्रतियाँ आगे की कार्रवाई के लिए कृपया सरकार को तत्काल प्रस्तुत करें।

उपरोक्त पत्रों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उड़ीसा सरकार ने स्टीवर्ट साइंस कॉलेज को अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त कॉलेज के रूप में मान्यता दी है और एन. अम्माद बनाम प्रबंधक एमजे हाई स्कूल के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है। उन्होंने माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष 2004 की रिट याचिका संख्या 7762 और 2012 की रिट याचिका संख्या 2207 में दायर किए गए उत्तर की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है जिसमें सरकार ने स्वीकार किया है कि स्टीवर्ट साइंस कॉलेज को सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। वर्तमान मामले में, हलफनामा दिनांक 01 अक्टूबर 2012 दाखिल करके श्री गगन बिहार ढल, प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया है कि इस कॉलेज को राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में माना गया है / मान्यता प्रदान की गई है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षित है। इस याचिका के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 28 मार्च 2014 जारी किया है और याचिकाकर्ता संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता दी है जिसे प्रतिवादियों द्वारा रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई और माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने दिनांक 28 मार्च 2014 के उपरोक्त पत्र पर रोक लगा दी है। हस्तक्षेपकर्ताओं ने भी उपरोक्त पत्रों पर भरोसा किया है और कहा है कि उन्होंने पूरी तरह से यह जानते हुए कॉलेज ज्वॉइन किया है कि यह कॉलेज अल्पसंख्यक संस्था है, क्योंकि कॉलेज के कर्मचारी उड़ीसा के सहायता प्राप्त कॉलेजों के सामान्य संवर्ग में शामिल नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 3 से 8 को कॉलेज के शासी निकाय द्वारा नियुक्त भी किया गया था और उनके सेवा करियर में उनका कभी स्थानांतरण नहीं किया गया क्योंकि कॉलेज अल्पसंख्यक संस्था है और सामान्य संवर्ग में शामिल नहीं है। कॉलेज को सामान्य संवर्ग में शामिल करने या न करने का निर्णय लेने के लिए सरकार और कॉलेज के बीच अनेक पत्राचार हुए। विकल्प मांगा गया और सरकार को भेजा गया और अंत में मामला शांत हो गया। एक ईसाई निवासी भारतीय और कटक के सिविल सर्जन डॉ. विलियम डे स्टीवर्ट के प्रयास और उदारता के जरिए स्कूल की स्थापना की गई और कॉलेज को स्कूल की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद, 20 दिसंबर 1946 को कॉलेज के लिए शासी निकाय का गठन किया गया और शासी निकाय के सदस्य जो पहली बार मिले थे, निवासी भारतीय और मूल भारतीय थे। प्रतिवादी डॉ. श्यामल कुमार साहा और श्री निशिकांत कार अपने आचरण और विबंधन द्वारा यह कहने के लिए बाध्य हैं कि कॉलेज अल्पसंख्यक संस्था नहीं है। कॉलेज का विधान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह कॉलेज अल्पसंख्यक संस्था है। सेवानिवृत्ति के बाद अब प्रतिवादी संख्या 3 से 8 गुमराह कर रहे हैं और कॉलेज के अल्पसंख्यक स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस आयोग ने आदेश दिनांक 11 सितंबर 2007 उस समय पारित किया है जब स्कूल जिससे कॉलेज अस्तित्व में आया था, को न्याय के हित में और न्याय, समता एवं अच्छे विवेक के सिद्धांत पर अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया गया है। याचिकाकर्ता संस्था को अल्पसंख्यक संस्था माना जाना चाहिए।

हमने डॉ. श्यामल कुमार साहा और श्री निशिकांत कार के आचरण द्वारा "विबंधन" के सिद्धांत से संबंधित मुद्दे पर भी विचार किया है। यह विवादित नहीं है कि डॉ. श्यामल कुमार साहा और श्री निशिकांत कार ने

गवाह के रूप में कॉलेज के शासी निकाय के नियमों और विनियमों के पंजीकृत विधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि कॉलेज की स्थापना एवं संपत्तियों के स्वामित्व के बारे में डॉ. श्यामल कुमार साहा एवं श्री निशिकांत कार को जानकारी है परन्तु उपरोक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए उन्हें इस पर आपत्ति करने से रोका जाता है। राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी 2003 के अनुसार, कॉलेज के पुराने विधान को पंजीकृत करते हुए कॉलेज के शासी निकाय को सोसाइटी रजिस्ट्रार, उड़ीसा के पास पंजीकृत किया गया था और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के रूप में कॉलेज के शासी निकाय के सदस्य होने के नाते डॉ. श्यामल कुमार साहा तथा श्री निशिकांत कार ने सोसायटी के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह स्वीकार किया कि कॉलेज अल्पसंख्यक संस्था है। कॉलेज के शासी निकाय के दिनांक 10 अगस्त 2004 और 31 जनवरी 2005 के कार्यवृत्त में डॉ. श्यामल कुमार साहा और श्री निशिकांत कार की उपस्थिति को दर्शाया गया है और उन्होंने कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर भी किए गए हैं और राज्य सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी है। दिनांक 24 जुलाई 2004 के पत्र द्वारा कटक के एडीएम के प्रश्न के मुताबिक़, 2004 के संकल्प संख्या 11 के माध्यम से कॉलेज ने संकल्प किया है कि प्लस 2 की कक्षा के प्रथम वर्ष के लिए कम से कम 55 प्रतिशत अंक और कुल अंक तथा प्लस 3 की कक्षाओं के प्रथम वर्ष के लिए कुल 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए प्लस 2 और 3 की कक्षाओं के पहले वर्ष में कुल सीटों का क्रमशः 21 प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा और किसी रिक्ति की स्थिति में शेष आरक्षित सीट योग्यता के आधार पर सामान्य उम्मीदवारों को दी जाएगी। कर्मचारियों का प्रतिनिधि होने के नाते डॉ. श्यामल कुमार साहा और श्री निशिकांत कार उपस्थित थे और कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए, इसलिए उन्हें यह कहने से रोका जाता है कि कॉलेज अल्पसंख्यक संस्था नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के विद्वान अधिवक्ता ने इस आयोग द्वारा अधिनिर्णय के लिए चार मुद्दे उठाए। प्रतिवादी संख्या 3 से 8 द्वारा सुझाया गया पहला मुद्दा यह है कि क्या शैक्षणिक संस्था / कॉलेज की स्थापना भारत में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य / सदस्यों द्वारा की गई थी? उत्तर "हाँ" है। स्टीवर्ट साइंस कॉलेज की स्थापना उड़ीसा में अपनी स्थानीय समिति के माध्यम से काम करने वाले बीएमएससी, लंदन द्वारा की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत विशेषाधिकार का दावा करने वाला अल्पसंख्यक वैयक्तिक रूप से भारत में रहने वाला अल्पसंख्यक होना चाहिए, भारत में नहीं रहने वाले विदेशी भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के दायरे में नहीं आते हैं। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता संस्था ने यह साबित किया था कि संस्था की स्थापना भारत में रहने वाले ईसाई अल्पसंख्यक द्वारा की गई थी तथा बीएमएस कटक स्टेशन समिति जिसके पास स्कूल एवं कॉलेज और अन्य मिशनरी स्कूलों का प्रबंधन था, के 12 सदस्यों में से 6 भारत में रहने वाले विदेशी थे और 6 मूल भारतीय थे। प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाया गया दूसरा मुद्दा यह है कि क्या शैक्षणिक संस्था की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए की गई थी? उत्तर "हाँ" है क्योंकि कॉलेज का प्रबंधन इसके शासी निकाय द्वारा किया जाता है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है और इसे मुख्य रूप से ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। हमने पहले यह दिखाया है कि संस्था के संस्थापक के पास, कानूनी प्रक्रिया द्वारा, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, जिसका ताल्लुक अल्पसंख्यक समुदाय से हो सकते है या नहीं भी हो सकता है, को संस्था का प्रशासन स्थानांतरित करने या सौंपने के कानूनी अधिकार हैं। प्रतिवादी संख्या 3

से 8 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तीसरा मुद्दा यह है कि क्या वर्तमान सोसाइटी के पास शैक्षणिक संस्था को प्रशासित करने के अधिकार की कोई अनुरूपता है? इस प्रश्न का भी उत्तर "हाँ" है क्योंकि जैसा कि पहले दिखाया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) में 2 भाग हैं, पहला भाग स्थापित करने के अधिकार से संबंधित है और दूसरा भाग प्रशासित करने के अधिकार से संबंधित है। दोनों अधिकारों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाना है, तथापि, यह मानना आवश्यक नहीं है कि जब भी अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक किसी संस्था की स्थापना करते हैं, तो वे अनिवार्य रूप से यह चाहते हैं कि उक्त संस्था का प्रशासन केवल अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा ही किया जाए। संस्था की स्थापना करने वाले संस्थापक सदस्यों को हमेशा यह छूट होती है कि वे ऐसे व्यक्ति को प्रशासन सौंप सकते हैं, जिसका अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक नहीं हो सकता है और इसलिए हमेशा यह आवश्यक नहीं होता है कि अल्पसंख्यक द्वारा संस्था की स्थापना के बाद अल्पसंख्यक संस्था का प्रशासित करने का अधिकार स्वतः ही अनुगमन करेगा। प्रशासित करने का अधिकार संस्थापक सदस्यों की मर्ज़ी और इच्छा पर निर्भर करता है और वास्तव में प्रशासित करने के अधिकार को सोसाइटी के पक्ष में स्वेच्छा से छोड़ा गया था। संस्था के स्थापक / संस्थापक ने संस्था के प्रशासन को कानूनी रूप से कॉलेज के शासी निकाय के पक्ष में स्थानांतरित किया था, जो अब सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसलिए सोसाइटी के शासी निकाय के पास कॉलेज को प्रशासित करने का कानूनी अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाया गया अंतिम और चौथा मुद्दा यह है कि यदि दावेदार व्यक्ति कॉलेज का स्थापक नहीं है तो क्या उसने इसको प्रशासित करने का कोई अधिकार प्राप्त किया है? इस मुद्दे का भी उत्तर "हां" है, जैसा कि हमने पहले दिखाया है कि कॉलेज के स्थापक / संस्थापक ने बीसीटीए को कॉलेज और स्कूल की संपत्तियों की ट्रस्टीशिप स्थानांतरित कर दी थी। इस अंतरित से पहले नियंत्रक निकाय बीएमएससी थी और प्रबंधन उड़ीसा के तत्कालीन प्रांतीय निकाय अर्थात यूसीसीसीसी के पास तथा वर्ष 1970 में, यूसीसीसीसी का अस्तित्व समाप्त हो गया क्योंकि इसे सीएनआई में मिला दिया गया। उड़ीसा में बीसीटीए का घटक निकाय होने के नाते कटक सूबा चर्चों और संस्थाओं का एकमात्र उत्तराधिकारी है, इसलिए यदि कॉलेज का वर्तमान दावेदार याचिकाकर्ता संस्था का स्थापक / संस्थापक नहीं है, तो भी उसे संस्था को प्रशासित करने का अधिकार है।

इस आयोग ने 06 जुलाई 2010 को निर्णीत बकले प्राइमरी स्कूल बनाम प्रधान सचिव, स्कूल और जन शिक्षा विभाग, उड़ीसा सरकार के 2009 के मामले संख्या 1320 में यह माना है कि राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले प्रतिशत के निर्धारण के भेदक मापदंड को ऐसी संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे को निर्धारित करने के मानदंड में शामिल नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता संस्था की ओर से पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य और दायर किए गए हलफनामे के आधार पर हम पाते हैं और मानते हैं कि स्टीवर्ट साइंस कॉलेज, कटक के शासी निकाय द्वारा संचालित और प्रशासित स्टीवर्ट साइंस कॉलेज, कटक, उड़ीसा धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए पात्र है। साक्ष्य यह भी साबित करता है कि उक्त शैक्षणिक संस्था की स्थापना ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की उप-सेवा के मुख्य उद्देश्य से की गई है। इसके फलस्वरूप, स्टीवर्ट साइंस कॉलेज, कटक, उड़ीसा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2(छ) के अर्थ के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत शामिल अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में

घोषित किया गया है। तदनुसार, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र इस शर्त के अध्यधीन जारी किया जाएगा कि याचिकाकर्ता इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करेगा कि याचिकाकर्ता संस्था छात्रों की पात्रता और स्कूल में स्थान की उपलब्धता के अधीन ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश से वंचित नहीं करेगी।

कार्यालय को निर्देश दिया गया कि वे प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता / उड़ीसा राज्य सरकार को दस्तावेज जो सीलबंद लिफाफे में हैं, वापस कर दें।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस आदेश के अनुरूप याचिका का निपटारा किया गया।

6.4 केस नंबर 2020 का 147

विषय :	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), दिल्ली रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन
आवेदक :	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), दिल्ली रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
प्रतिवादी :	प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, बाहू खांडी, सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226 001

आदेश 10 दिसंबर, 2020 को सुनाया गया था। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, दिल्ली रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश (इसके बाद विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित किया गया है) ने इस आधार पर एमएससी प्रदान करने के लिए आवेदन किया कि इसकी संस्थापना / स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत, जैन समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित और तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (2008 का यूपी अधिनियम संख्या 30) के तहत निगमित तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि विश्वविद्यालय जैन समुदाय के सदस्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है तथा यह विशेष रूप से जैन अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कों और लड़कियों के लाभ के लिए है और इस तरह यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई) अधिनियम, 2004 की धारा 2(छ) के अर्थ के अंदर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में घोषित किए जाने के लिए हकदार है।

आयोग ने याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित होने वाले अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश वर्मा को सुना और तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी के रिकॉर्ड, दस्तावेजी साक्ष्य और इसके अध्यक्ष के हलफनामे का अध्ययन किया।

पहला मुख्य प्रश्न जिस पर विचार किया जाना है वह यह है कि विश्वविद्यालय की संस्थापना / स्थापना किसने की है? इस प्रश्न का उत्तर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2008 का 30) के प्रावधानों में निहित है।

विश्वविद्यालय के प्रावधानों को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी संस्थापना / स्थापना तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी (इसके बाद सोसाइटी के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भाग लेने तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए कॉलेज खोलने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमंद छात्रों एवं सामान्य रूप से अन्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी के संगम ज्ञापन में यह भी उल्लेख है कि संस्था का स्वरूप अल्पसंख्यक संस्था का होगा। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 3(1) यह कहती है कि सोसाइटी द्वारा मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह अधिनियम तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित एक जैन अल्पसंख्यक शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने के लिए है।

राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जैन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है और प्रशासित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यपाल ने भी विश्वविद्यालय का कामकाज शुरू करने की अनुमति दी है। इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) की भाषा से स्पष्ट है कि यह अपनी संस्थाओं का प्रबंधन एवं संचालन करने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था के मौलिक अधिकार को प्रतिष्ठापित करता है जो पूरी तरह से हमारे संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के अनुरूप है। परिणामत:, आयोग ने पाया और माना कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद जैन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित किया गया है और प्रशासित किया जा रहा है।

किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में सीटों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 30(1) में प्रतिष्ठापित मौलिक अधिकार का अनिवार्य परिणाम है। अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य, एआईआर 1974 एससी 1389 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने और मजबूत करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यकों को संविधान की धारा 30(1) के तहत संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 30(1) विश्वास का अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करने का संपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच समानता होगी। अगर अल्पसंख्यक के पास इस तरह का संवैधानिक संरक्षण नहीं होगा, तो यह समानता से इनकार होगा। प्रगतिशील और प्रबुद्ध लोकतंत्र के लिए, यह आवश्यक है कि स्वतंत्र राष्ट्र की जिम्मेदारी उठाने के लिए सभी वर्गों और धर्मों के लोग अच्छी तरह से सुसज्जित हों। ऐसा प्रतीत होता है कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद ने उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जैन अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण प्रदान किया है। यहां यह कहने की जरूरत नहीं है कि सामान्य और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के क्षेत्र का उद्देश्य हमारे देश के लड़के और लड़कियों के बीच समानता विकसित करना है। यह शिक्षा के ज्ञापन के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सच्ची भावना है।

इस प्रकार विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों की रूपरेखा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि यह विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अर्थ के भीतर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। जैन अल्पसंख्यक समुदाय ने मुख्य रूप से अपने समुदाय के लाभ के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयास किया था और दान के रूप में काफी संपत्ति और धन प्राप्त किया था। इसके फलस्वरूप, हम यह पाते हैं और मानते हैं कि विश्वविद्यालय के लाभार्थी मुख्य रूप से जैन अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं। इस बात का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि उत्तर प्रदेश के विधानमंडल ने तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (2008 का यूपी अधिनियम संख्या 30) को पारित करके विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में मानने / घोषित करने के अपने उद्देश्य को फिर से दोहराया है।

याचिकाकर्ता ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए इस आयोग में आवेदन भी किया है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2008 के यूपी अधिनियम संख्या 30 के तहत निर्मित विश्वविद्यालय होने के नाते मामले से छुटकारा पा लिया गया था। इस आयोग ने 2012 के केस संख्या 1696 में दिनांक 28 मई 2013 को और 2019 के केस नंबर 329 में दिनांक 24 सितंबर 2019 को याचिकाकर्ता संस्था के पक्ष में अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आदेश पारित किए हैं। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, याचिकाकर्ता संस्था भी न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांत के साथ इस आयोग से अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र का हकदार है।

उपरोक्त कारणों के आधार पर आयोग ने यह पाया और माना कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश), दिल्ली रोड, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2(छ) के अर्थ के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शामिल अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। तदनुसार अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस आदेश के अनुरूप वर्तमान याचिका का निपटारा किया गया।

अध्याय 7 : अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारों की वंचना और विश्वविद्यालयों से संबद्धता के मामले

संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार है। तथापि, यह अधिकार शैक्षिक मानकों में उत्कृष्टता को बनाए रखने एवं सुगम बनाने के लिए राज्य की विनियामक शक्तियों के अधीन है। टीएमए पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एससीसी 481 के मामले में उच्चतम न्यायालय के 11 न्यायाधीशों की पीठ ने अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित एवं संचालित करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को स्पष्ट किया है जो उन नियमों और विनियमों से अबाधित है जो अनावश्यक रूप से उनकी स्वायत्तता पर चोट करते हैं। स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार में मोटे तौर पर निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं :

- छात्रों का दाखिला करना;
- उचित शुल्क संरचना नियत करना;
- शासी निकाय का गठन करना;
- कर्मचारियों (शिक्षण और शिक्षणेतर) की नियुक्ति करना; और
- यदि किसी भी कर्मचारी की ओर से कर्तव्य की अवहेलना की जाती है, तो कार्रवाई करना।

यह माना गया कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को शैक्षणिक संस्था से अपेक्षित उत्कृष्टता के मानकों से नीचे गिरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि प्रबंधन का कार्य अल्पसंख्यक के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, परंतु उनको दूसरों के साथ कदमताल करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। चूंकि संचालित करने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है इसलिए शैक्षिक मानकों का सुनिश्चय करने और उनकी उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए विनियामक उपाय हो सकते हैं, और व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश के मामले में ऐसा अधिक है।

आयोग का माननीय न्यायालय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने के मामलों को लेता है जिसमें उनकी पसंद के विश्वविद्यालयों से उनकी संबद्धता के मामले शामिल हैं। वर्ष के

दौरान, कॉलेज को विश्वविद्यालय से संबद्ध करने के संबंध में आयोग द्वारा निम्नलिखित मामलों पर विचार किया गया / निर्णय लिया गया :

7.1 केस नंबर 2020 का विविध 12

विषय :	एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 (क), 11 (ख), 11 (च) और 11 (ज) के साथ पठित धारा 12 (क) के संदर्भ में संबद्धता के संबंध में विवाद के न्यायिक निर्णय के लिए आवेदन
शिकायतकर्ता :	चंद्रावती एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, एजी-16, रिंग रोड, शालीमार बाग, दिल्ली द्वारा संचालित श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरठ रोड, पल्लरी, डीपीएस के पास, सोनीपत, हरियाणा - 131001
प्रतिवादी :	1. गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर 16 सी, द्वारका, नई दिल्ली 2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070 3. वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, सिविल सचिवालय, चंडीगढ़, हरियाणा

आदेश 22 नवंबर, 2020 को सुनाया गया था। चंद्रवती एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव से 20 मार्च 2020 को शपथ पत्र और दस्तावेजों के साथ एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर 16 सी, द्वारका, नई दिल्ली - 110075 (इसके बाद जीजीएसआईपीयू के रूप में उल्लिखित किया गया है) को यह निर्देश देने के लिए कहा गया कि वे हरियाणा राज्य से किसी एनओसी पर जोर दिए बिना कानून के अनुसार श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरठ रोड (पल्लरी), सोनीपत, हरियाणा - 131001 को संबद्धता प्रदान करने के लिए उनके आवेदन पर आगे बढ़ें। आयोग के माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता संस्था के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1, जीजीएसआईपीयू के अधिवक्ताओं की बात सुनी और रिकॉर्ड, दस्तावेजी साक्ष्य, एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन दिनांक 22 सितंबर 2017 की प्रति, उपरोक्त आवेदन के अनुस्मारक दिनांक 20 दिसंबर 2018 की प्रति, 2019 की रिट याचिका संख्या 4311 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09 मई 2019 की प्रति, 2019 की रिट याचिका संख्या 4311 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 सितंबर 2019 के साथ-साथ आदेश दिनांक 11 सितंबर 2019 की प्रति, आवेदक द्वारा इस आयोग के समक्ष 10 अक्टूबर 2019 को दाखिल किए गए आवेदन की प्रति, इस आयोग द्वारा 2018 के केस संख्या 75 में पारित आदेश दिनांक 07 नवंबर 2019 की प्रति, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (इसके बाद एआईसीटीई के रूप में उल्लिखित किया गया है) द्वारा आवेदक संस्था के पक्ष में प्रदान किए गए मान्यता आदेश दिनांक 25 अप्रैल 2019 की प्रति, जीजीएसआईपीयू द्वारा आवेदक को भेजे गए पत्र दिनांक 29 जनवरी 2020 की प्रति, जीजीएसआईपीयू द्वारा जारी किए गए विज्ञापन दिनांक 25 फरवरी 2019 की प्रति, 19 मार्च 2020 तक अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए जीजीएसआईपीयू द्वारा जारी की गई सूचना दिनांक 13 मार्च 2019 की प्रति, 2012 की केस संख्या 2704, 2013 की अपील संख्या 02, 2015

की केस संख्या 321 और 2016 की केस संख्या 1301 में इस आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति का अनुशीलन किया।

याचिकाकर्ता संस्था के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक ने प्रतिवादियों के मनमाने आचरण के कारण इस आयोग के मूल अधिकार क्षेत्र को लागू करने की मांग की है। आवेदक ने एनओसी प्रदान करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3, हरियाणा राज्य के पास आवेदन दिनांक 22 सितंबर 2017 दाखिल किया था। राज्य को एक अनुस्मारक दिनांक 20 दिसंबर 2018 भी दिया गया था। लेकिन उक्त आवेदनों के संबंध में पूर्ण निर्णय था। इसलिए आवेदक ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र (इसके बाद एमएससी के रूप में उल्लिखित किया गया है) प्रदान करने के लिए इस आयोग के समक्ष आवेदन किया, जिसे इस आयोग द्वारा आदेश दिनांक 30 जुलाई 2018 के माध्यम से खारिज कर दिया गया। आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2019 के माध्यम से आवेदक द्वारा दाखिल पुनरीक्षण आवेदन को भी खारिज कर दिया गया। उपरोक्त आदेशों से व्यथित आवेदक ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसने याचिकाकर्ता संस्था को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने पर विचार करने के लिए निर्णय और आदेश दिनांक 11 सितंबर 2019 के माध्यम से मामला इस आयोग के पास भेज दिया और आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर विचार-विमर्श करने का भी निर्देश दिया और प्रतिवादी संख्या 1 (जीजीएसआईपीयू) को नियमों और विनियमों के अनुसार संबद्धता पर विचार-विमर्श करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद, दोनो पक्षों की बातें सुनने के उपरांत इस आयोग ने आदेश दिनांक 07 नवंबर 2019 के माध्यम से आवेदक संस्था को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2(छ) के अर्थ के अंतर्गत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शामिल अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था माना और घोषित किया।

याचिकाकर्ता संस्था के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि एआईसीटीई वह निकाय है जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र को नियंत्रित करता है। याचिकाकर्ता संस्था ने पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई से वैध मान्यता दिनांक 25 अप्रैल 2019 प्राप्त की थी। संबंधक विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) ने पत्र दिनांक 29 जनवरी 2020 जारी किया जिसमें सीटों की विशिष्ट संख्या के साथ राज्य सरकार / अल्पसंख्यक आयोग से एनओसी प्रदान करने की मांग की गई। आवेदक संस्था के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि ऐसी आवश्यकता दिखावटी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून द्वारा समर्थित नहीं है। वर्तमान याचिका एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 (ए), 11 (बी), 11 (एफ) और 11 (एच) के साथ पठित धारा 12 के तहत संबद्धता के संबंध में विवाद उत्पन्न करती है और इस आयोग के पास संबद्धता के उपरोक्त प्रश्न पर निर्णय लेने की शक्ति है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 (जीजीएसआईपीयू) हरियाणा राज्य से या इस आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर जोर दे रहा है, परंतु संवैधानिक न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार कानून की नजर में उक्त आवश्यकता गैर जरूरी है। राज्य के पास ऐसी कोई एनओसी प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं है; यह स्थिति इस आयोग के समक्ष 2013 की अपील संख्या 2 (महावीर स्वामी प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्राम जगदीशपुरा, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के पास, जिला सोनीपत, हरियाणा बनाम वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, नया सचिवालय, सेक्टर 17, चंडीगढ़) के मामले में उत्पन्न हुई थी, जिसमें हरियाणा राज्य ने दिनांक 27 फरवरी 2013 के पत्र के माध्यम से इस आयोग को सूचित किया कि ज्ञापन संख्या 1/66-2003 समन्वय (3) दिनांक 25 सितंबर 2006 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार,

संबंधित संस्था को "अपनी पसंद के किसी भी संबंधक निकाय से संबद्धता प्राप्त करने का अधिकार है"। इस संबंध में, यह आयोग पहले भी मामलों का निर्णय कर चुका है और अल्पसंख्यक संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान कर चुका है। माननीय शीर्ष न्यायालय ने अपने निर्णय (2015) 11 एससीसी 291 (रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय) में कहा कि एआईसीटीई अधिनियम 1987 की योजना के तहत, केंद्रीय अधिनियम की धारा 10 के तहत परिषद को पाठ्यक्रम आदि के मानदंडों और मानकों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है और यह भी कहा कि इन मामलों में विश्वविद्यालय के पास कोई प्राधिकार नहीं होगा। याचिकाकर्ता संस्था के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि सीटों की निर्धारित संख्या के लिए एनओसी की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जा सकता है। एआईसीटीई द्वारा साल दर साल आधार पर सीटें तय की जाती हैं। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 जिसके तहत जीजीएसआईपीयू की स्थापना की गई थी, के तहत ऐसे किसी एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय अधिनियम के लागू होने के बाद यह माना जाएगा कि विश्वविद्यालय अधिनियम या राज्य अधिनियम के प्रावधान अप्रवर्तनीय हो गए हैं। जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम आयुक्त एवं सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (2000) 5 एससीसी 231 (पृष्ठ 243 पर) में माननीय शीर्ष न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय को एआईसीटीई द्वारा प्रदान की गई अनुमति और विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्य प्रासंगिक कारकों या स्टेटस जो एआईसीटीई अधिनियम या इसके विनियमों के साथ असंगत नहीं हैं, के आधार पर संबद्धता प्रदान करने पर विचार करना चाहिए था। महाराष्ट्र राज्य बनाम संत ध्यानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय (2006) 9 एससीसी 1 (पृष्ठ 33 पर) में माननीय शीर्ष न्यायालय ने यह कहा कि एनओसी की आवश्यकता नहीं है। यह भी दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता कॉलेज जीजीएसआईपीयू से संबद्धता प्राप्त करने का हकदार है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2018) 6 एससीसी 776, महाराष्ट्र राज्य बनाम संत ध्यानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय (2006) 9 एससीसी 1, जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम आयुक्त एवं सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, टीवीटी, केरल राज्य और अन्य (2000) 5 एससीसी 231, रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (2015) 11 एससीसी 291 तथा तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम अधियामन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीच्यूट और अन्य (1995) 4 एससीसी 104 के मामले में इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम 1998 और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 पर भरोसा किया।

दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 (जीजीएसआईपीयू) द्वारा इस आधार पर याचिका का विरोध किया गया कि याचिका अनुरक्षणीय नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता संस्था हरियाणा राज्य में स्थित है और जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय की संविधि 24 के खंड 3 () (बी) के अनुसार है, संस्था को संबद्धता के लिए उनके आवेदन को प्रोसेस करने के लिए अन्य आवश्यक शर्तों के साथ संबंधित राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा करना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई है कि याचिकाओं के एक बैच में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एनओसी की आवश्यकता को चुनौती दी गई थी, जिसे हरियाणा राज्य बनाम ग्लोबल एजुकेशन एंड सोशल ट्रस्ट एवं अन्य (2012 एससीसी ऑनलाइन डेल 4437) के मामले में निर्णय दिनांक 27 अगस्त 2012 के माध्यम से सही ठहराया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अध्यक्ष, भारतीय एजुकेशन सोसाइटी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2011) 4 एससीसी 257 के मामले में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा

किया और कहा कि एनसीटीई द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद संबद्धता की प्रक्रिया स्वचालित रबर स्टैम्पिंग की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। यह भी कहा गया है कि उपर्युक्त जया गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता की निर्भरता पूरी तरह से अनुचित है और वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है और इसे उपर्युक्त गोकुल एजुकेशनल एंड सोशल ट्रस्ट के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा भी अलग किया गया था।

प्रतिवादी संख्या 3 (हरियाणा राज्य) द्वारा इस आधार पर याचिका का विरोध किया गया कि चंद्रावती एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था, जिसका नाम श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरठ रोड (पल्लरी), सोनीपत, हरियाणा - 131001 है, एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग कॉलेज है और यह दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल, सोनीपत, हरियाणा से संबद्ध है और इसने संबद्धता के लिए एनओसी प्रदान करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 को कभी भी कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने संबद्धता प्रदान करने के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार निर्णय लिया है जो यह कहते हैं कि हरियाणा राज्य में स्थित किसी भी संस्था / कॉलेज को राज्य के बाहर स्थित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जीजीएसआईपीयू, दिल्ली से संबद्धता के लिए इस आयोग के आदेशों के खिलाफ 6 संस्थाओं के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में पहले से ही मामले दायर किए गए हैं। प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि जीजीएसआईपीयू, दिल्ली से संबद्धता के लिए संस्था / न्यास को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जा सकता है और याचिकाकर्ता संस्था / कॉलेज हरियाणा राज्य के भीतर किसी भी संबंधक विश्वविद्यालय से संबद्धता की मांग कर सकते हैं।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, आरंभ में आयोग ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए संसद के एक अधिनियम के तहत इस आयोग का गठन किया गया है। आयोग के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों की संबद्धता से संबंधित विवाद का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार होगा। यह स्पष्ट हो जाता है कि एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 का उद्देश्य संबंधक विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धता प्रदान करने, संविधान के अनुच्छेद 30 में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के उल्लंघन / अपवंचन, किसी शैक्षणिक संस्था के अल्पसंख्यक स्टेटस के निर्धारण और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने आदि से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक नई व्यवस्था बनाना है। यह आयोग एक अर्ध न्यायिक अधिकरण है और इसे संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत आने वाले कॉलेज को संबद्धता प्रदान करने से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार, शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था स्थापित एवं संचालित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 30 का तर्काधार अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था संचालित करने के लिए संरक्षण प्रदान करना है। इन अधिकारों को उनके उल्लंघन के खिलाफ निषेध द्वारा संरक्षित किया गया है और प्रवर्तन के वादे द्वारा समर्थित किया गया है। संरक्षण अनुच्छेद 30 में निहित है जो राज्य को संविधान के अध्याय 3 के तहत प्रत्याभूत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या सीमित करने के लिए कोई भी कानून, नियम और विनियम बनाने से रोकता है और असंगत पाए जाने वाले किसी भी कानून, नियम या विनियम को वीटो

करने की धमकी देता है। संविधान के अनुच्छेद 30(1) ने अपने कार्यक्षेत्र में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की संबद्धता और/या मान्यता की मांग करने का अधिकार शामिल किया है। केरल शिक्षा विधेयक में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सही मायने में संविधान के अनुच्छेद 30(1) का अर्थ प्रभावी शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा जो अल्पसंख्यकों और उनका सहारा लेने वाले विद्वानों की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर सकती है। अनुच्छेद 30(1) का पूर्ण प्रभाव तब होगा जब अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्थाओं को मान्यता एवं सम्बद्धता प्रदान की जायेगी, जिसके बिना संस्था अपनी प्रभावी भूमिका नहीं निभा सकती तथा उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार अपनी प्रभावोत्पादकता के अधिकांश भाग से वंचित हो जाएंगे। इस प्रकार, अल्पसंख्य समुदाय द्वारा स्थापित संस्था की मान्यता भी किसी अन्य संस्था की मान्यता जितनी ही महत्वपूर्ण है। संविधान के तहत अनुच्छेद के सही अर्थ और निहितार्थ को समझने की कुंजी "अपनी पसंद के" शब्द हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस अनुच्छेद की विषय-वस्तु उतनी ही विस्तृत है, जितनी कि किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय की पसंद इसे बना सकती है। सेंट जेवियर्स कॉलेज, अहमदाबाद बनाम गुजरात राज्य, 1974 (1) एससीसी 714 /(एआईआर 1974 एससी 1389) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने संविधान के अनुच्छेद 30(1) के वास्तविक कारण का उल्लेख करते हुए कहा कि सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के मामले में संबद्धता अल्पसंख्यक संस्थाओं के अधिकार का वास्तविक और सार्थक प्रयोग होनी चाहिए। कोई भी कानून जो ऐसी शर्तों पर संबद्धता का प्रावधान करता है, जिसमें अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं प्रशासित और स्थापित करने के भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार को कम करना शामिल होगा, अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन करेगा। यदि विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए ऐसी संस्थाओं में लड़कों और लड़कियों को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है, तो अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। यदि संबद्धता ऐसी शर्तों पर होगी जो उन्हें अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने के अपने अधिकारों को छोड़ने एवं खो देने के लिए मजबूर करेंगी, तो अल्पसंख्यक समुदाय अपने बच्चों को सामान्य करियर के लिए तैयार करने का अपना अधिकार वस्तुतः खो देंगे। संबद्धता का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों के पास जीवन में उपयोगी कैरियर के लिए आवश्यक डिग्री के रूप में योग्यता हो। अल्पसंख्यक संस्था की स्थापना न केवल निष्फल है, बल्कि असत्य भी है जब तक कि छात्रों को डिग्री प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसी संस्था किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध न हो। टीएमए पई फाउंडेशन के मामले में यह कहा गया है कि ऐसी प्रत्येक संस्था को संबद्धता और मान्यता उपलब्ध होनी चाहिए जो इस प्रकार की संबद्धता और मान्यता प्रदान करने की शर्तों को पूरा करते हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) 1 एससीसी 558 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि अनुच्छेद 30(1) में "अपनी पसंद की" शब्द शैक्षणिक संस्थाओं, जिन्हें वे स्थापित करना चाहते हैं, के प्रकार का चयन करने में अल्पसंख्यकों को विशाल विकल्प प्रदान करता है। वे अपनी विशिष्ट भाषा, स्वभाव या संस्कृति के संरक्षण के लिए या सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए या दोनों उद्देश्यों के लिए संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। संबद्धता के बगैर किसी शैक्षणिक संस्था के जिंदा रहने और प्रभावी ढंग से कार्य करने की संभवत: आशा नहीं की जा सकती है, और न ही यह किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता के बगैर डिग्री प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 30(1) का उद्देश्य अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने के उनके अधिकार के किसी शासनात्मक या विधायी अतिक्रमण के खिलाफ अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करना है। हालांकि अनुच्छेद 30(1) को अधिकार के रूप में कहा गया है,

परंतु ज्यादातर इसकी प्रकृति अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण के रूप है और इसे अल्पसंख्यकों के लिए गारंटी के रूप में कानून का रूप दिया गया था। कोई भी सरकार नीतिगत निर्णय की आड़ में उक्त मौलिक अधिकार को नष्ट नहीं कर सकती है।

मान्यता एक सुविधा है, प्रबंधन बोर्ड, मिल्ली तालीमी मिशन, बिहार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 1984 (4) एससीसी 500 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि अल्पसंख्यक संस्था चलाना भी देश के नागरिकों को प्रदान किए गए अन्य अधिकारों के जितना ही मौलिक और महत्वपूर्ण अधिकार है। यदि राज्य सरकार उचित और पर्याप्त आधार के बगैर किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता प्रदान करने से मना करती है या कोई विश्वविद्यालय संबद्धता प्रदान करने से इनकार करता है, तो उस संस्था का अस्तित्व ही मिटा देना इसका सीधा परिणाम होगा। इस प्रकार, उचित और पर्याप्त आधार के बगैर वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा मान्यता या संबद्धता प्रदान करने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत प्रत्याभूत अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 30(1) उन शर्तों के बारे में बात नहीं करता है जिनके तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जा सकता है, फिर भी इसके स्वभाव के अनुसार इस अनुच्छेद का तात्पर्य यह है कि यदि संबद्धता की मांग की जाती है, तो पर्याप्त कारणों के बगैर संबंधित विश्वविद्यालय उसे मना नहीं कर सकता है या ऐसी शर्तों को लागू करने का प्रयास नहीं कर सकता है जो शैक्षणिक संस्थाओं के स्वायत्त प्रशासन को पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। यह विवाद से परे है कि जैन समुदाय द्वारा स्थापित याचिकाकर्ता कॉलेज संविधान के अनुच्छेद 30 (1) और हरियाणा राज्य के इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। यह भी निर्विवाद है कि एआईसीटीई द्वारा याचिकाकर्ता संस्था को पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2019 के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। उपरोक्त मान्यता के अनुसरण में, याचिकाकर्ता संस्था ने संबद्धता प्रदान करने के लिए जीजीएसआईपीयू के पास आवेदन किया। संबंधक विश्वविद्यालय ने पत्र दिनांक 29 जनवरी 2020 जारी किया है जिसमें सीटों की विशिष्ट संख्या के साथ राज्य सरकार / अल्पसंख्यक आयोग से एनओसी प्रदान करने की मांग की गई है। एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण है और इस तरह के मामले में विश्वविद्यालय या संबंधक प्राधिकारी की भूमिका पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एआईसीटीई द्वारा प्रदान की गई मंजूरी के आधार पर संबद्धता प्रदान करने तक सीमित है। सीटों की संख्या के लिए विश्वविद्यालय एआईसीटीई के आदेशों का सहारा नहीं ले सकता है। उक्त प्राधिकरणों में से कोई भी एआईसीटीई के नियंत्रक प्राधिकारी की भूमिका ग्रहण नहीं कर सकता है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने का प्रयास किया है। संबद्धता प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन प्राप्त करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने पत्र दिनांक 29 जनवरी 2020 जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि संबद्धता प्रदान करना सीटों की विशिष्ट संख्या के साथ राज्य सरकार / अल्पसंख्यक आयोग द्वारा एनओसी प्रदान किए जाने की शर्त के अधीन है। यह कानूनी रूप से अनुचित है क्योंकि तकनीकी शिक्षा और प्रवेश क्षमता के अनुमोदन के लिए एआईसीटीई एकमात्र नियामक प्राधिकरण है। राज्य सीटों के कारण एनओसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है क्योंकि सीटें एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। जैसा कि रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) (2015) 11 एससीसी 291 के मामले में

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा गया है, राज्य और विश्वविद्यालय एआईसीटीई अधिनियम और विनियमों के उल्लंघन में कार्य नहीं कर सकते हैं।

सबसे पहले यह स्पष्ट किया जाता है कि संस्था को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद इस आयोग द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के प्रावधान इस आयोग द्वारा संस्था को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने से पूर्व एनओसी प्रदान करने के लिए राज्य के लिए हैं। एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 "अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार प्रदान करती है (1) उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहता है, उक्त उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है।" (2) सक्षम प्राधिकारी (क) दस्तावेजों, शपथ पत्रों या अन्य साक्ष्यों, यदि कोई हो, के अनुशीलन पर; तथा (ख) आवेदक की बात सुनने के लिए उसे अवसर प्रदान करने के बाद, उप-धारा (1) के तहत दायर किए गए प्रत्येक आवेदन पर यथाशीघ्र निर्णय लेगा और यथास्थिति आवेदन को मंजूर करेगा या खारिज करेगा : परंतु यह कि जहां आवेदन खारिज कर दिया जाता है, सक्षम अधिकारी उसके के बारे में आवेदक को सूचित करेगा। (3) जहां उप-धारा (1) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि के भीतर (क) सक्षम प्राधिकारी ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है; या (ख) जहां आवेदन खारिज कर दिया गया है और उस व्यक्ति को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया है जिसने इस तरह का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है, यह माना जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है। (4) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने पर या जहां यह समझा जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है, आवेदक उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत विहित यथास्थिति नियमों और नियमों के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना शुरू करने और आगे बढ़ने के हकदार होगा। स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए - (क) "आवेदक" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के लिए उप-धारा (1) के तहत आवेदन करता है; (ख) "अनापत्ति प्रमाण पत्र" का अभिप्राय ऐसे प्रमाण पत्र से है जिसमें यह कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 (ए) "संबद्धता प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का अधिकार" यह कहती है कि (1) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अपनी पसंद के किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता की मांग कर सकती है, बशर्ते कि इस तरह की संबद्धता उस अधिनियम के अंतर्गत अनुमत हो जिसके तहत उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। (2) कोई व्यक्ति जो इस संबंध में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था द्वारा अधिकृत है, उप-धारा (1) के तहत संबद्धता के लिए विश्वविद्यालय की संविधि, अध्यादेश, नियमों या विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से विश्वविद्यालय के पास आवेदन दाखिल कर सकता है : बशर्ते कि ऐसे अधिकृत व्यक्ति को इस तरह का आवेदन दाखिल करने की तारीख से साठ दिन की समाप्ति के बाद ऐसे आवेदन की स्थिति जानने का अधिकार होगा।"

धारा 10(ए) के उपरोक्त प्रावधान अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अपनी पसंद के किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं, बशर्ते कि इस तरह की संबद्धता उस अधिनियम के तहत

अनुमत हो जिसके तहत उक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। जीजीएसआईपीयू अधिनियम, 1998 की धारा 4, जो इन उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, निम्नलिखित के लिए प्रावधान है : क्षेत्राधिकार (1) "इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत अन्यथा प्रावधानित को छोड़कर, इस क्षेत्र की सीमा जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) में यथा परिभाषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा। (2) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित कोई भी कॉलेज या संस्था विश्वविद्यालय से अनिवार्य रूप से संबद्ध नहीं होगा, और विश्वविद्यालय द्वारा केवल ऐसे कॉलेजों या संस्थाओं को संबद्धता प्रदान की जाएगी जो संविधियों और अध्यादेशों को स्वीकार करने के लिए सहमत होंगे। जीजीएसआईपीयू अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की क्षेत्रीय सीमा के भीतर किसी शैक्षणिक संस्था को संबद्धता प्रदान करने की अनुमति है। यह निर्विवाद है कि सोनीपत एनसीआर नियोजन बोर्ड अधिनियम, 1985 में यथा परिभाषित एनसीआर की क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत है। याचिकाकर्ता कॉलेज जो एनसीआर की क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत स्थित है, को जीजीएसआईपीयू से संबद्धता प्राप्त करने का अधिकार है।

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि जीजीएसआईपीयू संबंधक विश्वविद्यालय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जीजीएसआईपीयू अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1998 में स्थापित किया गया था। जीजीएसआईपीयू की संविधि 24 के खंड 3 () (ख) में संबद्धता के लिए संबंधित राज्य सरकार से यथा वर्णित अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता को याचिकाओं के एक बैच में और हरियाणा राज्य बनाम ग्लोबल एजुकेशन एंड सोशल ट्रस्ट (2012) एससीसी दिल्ली 4437 के मामले में सामान्य निर्णय के माध्यम से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी, उक्त निर्णय में यह टिप्पणी है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एनओसी जारी करने से इनकार को एकपक्षीय नहीं कहा जा सकता है। संबंधित राज्यों के स्थानीय कानून राज्य में स्थित कॉलेजों / संस्थाओं को संबंधित राज्य विश्वविद्यालयों के अलावा किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध होने की अनुमति नहीं देते हैं। इस प्रकार, इनकार स्थानीय कानूनों के अनुरूप है जिसके लिए कोई चुनौती नहीं है।

आयोग की सुविचारित राय में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि राज्य सरकार के पत्र दिनांक 27 फरवरी 2013 के अनुसार याचिकाकर्ता संस्था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है। राज्य सरकार का कोई भी नीतिगत निर्णय एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10(ए) से उत्पन्न उक्त कानूनी अधिकार को नष्ट नहीं कर सकता है। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि रिट याचिका (सी) संख्या 1566/12 में उल्लिखित कॉलेज / संस्था को जीजीएसआईपीयू द्वारा उस समय संबद्धता प्रदान की गई थी जब यह दिल्ली में किराए के परिसर में स्थित था, लेकिन अब इसने मुरथल, जिला सोनीपत, हरियाणा में अपना परिसर स्थापित कर लिया है और स्थानांतरित होने के लिए जीजीएसआईपीयू की अनुमति मांग रहा है। याचिकाकर्ता संस्था के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, हरियाणा राज्य के पास ऐसी कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की शक्ति नहीं है, इस आयोग के समक्ष यह स्थिति अपील संख्या 02/2013 (महावीर स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्राम जगदीशपुरा, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के पास, जिला सोनीपत, हरियाणा बनाम वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, नया सचिवालय, सेक्टर 17, चंडीगढ़) के मामले में उत्पन्न हुई थी जिसमें ज्ञापन संख्या 01/71-2011 समन्वय (3) दिनांक 27 फरवरी 2013 के माध्यम

से हरियाणा राज्य की ओर से वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, पंचकूला द्वारा सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, गेट नंबर 4, प्रथम तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को भेजी गई निम्नलिखित सूचना दिनांक 27.02.2013 को नोट किया गया था : विषय : भगवान महावीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम जगदीशपुरा, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय के पास, सोनीपत बनाम प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग - संबद्धता के लिए एनओसी प्रदान करने के संबंध में। सुनवाई 28 फरवरी 2013 को सुबह 11.00 बजे हुई थी। कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर फाइल सं. 381/2013/1808 दिनांक 19 फरवरी 2013 के माध्यम से जारी नोटिस देखें। आपके उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में इसके द्वारा यह निवेदन किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की धारा 10ए के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था होने के नाते अपनी पसंद के विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए राज्य सरकार 'भगवान महावीर एजुकेशन फाउंडेशन, जगदीशपुरा, सोनीपत' नामक संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने / प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है। ज्ञापन संख्या 1/66-2003 समन्वय (3) दिनांक 25 सितंबर 2006 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित संस्था को 'अपनी पसंद के किसी भी संबंधक निकाय के साथ संबद्धता प्राप्त करने का अधिकार है'। उपरोक्त के आलोक में, अनुरोध है कि फाइल सं. 381/2013 दिनांक 19 फरवरी 2013 के माध्यम से वित्तीय आयुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्च शिक्षा विभाग को जारी नोटिस को वापस लिया जाए / फाइल किया जाए। उप निदेशक, कैडेट कोर, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, पंचकूला के लिए। उपरोक्त पत्र से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने ज्ञापन संख्या 1/66-2003 समन्वय (3) दिनांक 25 सितंबर 2006 जारी किया है और दिशानिर्देश दिए हैं कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अपनी पसंद के किसी भी संबंधक निकाय से संबद्धता प्राप्त करने का अधिकार है।

यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि इस आयोग द्वारा इस तरह के मुद्दे का निर्णय याचिकाकर्ता संस्था के पक्ष में किया गया है और प्रतिवादी संख्या 3 ने भी अपने जवाब में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जीजीएसआईपीयू, दिल्ली के साथ संबद्धता के लिए इस आयोग के आदेश के खिलाफ दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में 6 संस्थाओं के खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज किए गए हैं। अत: न्याय और न्याय, समता एवं विवेक के सिद्धांत के हित में याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह आदेश अन्य प्रकरणों के लिए कोई उदाहरण नहीं बनेगा क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के उत्तर को देखते हुए एवं इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में हमारे द्वारा यह आदेश पारित किया जाता है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि "अपनी पसंद की" अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिकार का अभिप्राय ऐसी संस्थाएं स्थापित करने के अधिकार से होना चाहिए जो उनके समुदाय की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करती हैं और इस प्रकार इसमें संबद्धता का मौलिक अधिकार शामिल है। यह अच्छी तरह से तय है कि कोई भी कानून या शासनात्मक निर्देश जो अनुच्छेद 30 (1) के तहत प्रत्याभूत अधिकार के तात्पर्य का उल्लंघन करता है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य है। ऊपर बताए गए कारणों से, याचिका अनुमत की जाती है, प्रतिवादी संख्या 1 (जीजीएसआईपीयू) को सीटों की विशिष्ट संख्या के साथ

राज्य सरकार के साथ-साथ इस आयोग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए जोर दिए बगैर कानून और प्रक्रिया के अनुसार संबद्धता के लिए याचिकाकर्ता संस्था के आवेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। उपरोक्त के मद्देनजर, याचिका का तदनुसार निपटारा किया गया।

7.2 अपील संख्या 2018 की 05

विषय : एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 (क), 11 (ख), 11 (च) और 11 (ज) के साथ पठित धारा 12 (क) के संदर्भ में संबद्धता के संबंध में विवाद के न्यायिक निर्णय के लिए आवेदन

अपीलकर्ता : गुरु नानक खालसा कॉलेज, रेलवे रोड, करनाल, हरियाणा

प्रतिवादी : महानिदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार

एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 12 ए(1) और 12 सी(1) के तहत पारित दिनांक 09 अप्रैल 2018 के आदेश के विरूद्ध अपील

आदेश 21 जनवरी, 2021 को सुनाया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (संक्षेप में एनसीएमईआई अधिनियम 2004) की धारा 12ए (1) और 12बी (1) के तहत 24 अप्रैल 2018 को दायर की गई इस अपील में अपीलकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा दिनांक 09 अप्रैल 2018 को पारित आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा सक्षम प्राधिकारी / महानिदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार ने अपीलकर्ता संस्था को एमएससी प्रदान करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निपटारा किया था / अस्वीकार कर दिया था।

संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य यह है कि अपीलकर्ता ने एमएससी प्रदान करने के लिए दिनांक 25 जुलाई 2016 को प्रतिवादी के पास इस तथ्य के साथ आवेदन किया कि गुरु नानक खालसा कॉलेज, करनाल पंजीकृत सोसाइटी है और बीए/बीकॉम और बीकॉम (वोकेशनल), सीए (सहायता प्राप्त), बीएससी/ बीटीएम / बीसीए / एमएससी गणित / एमएससी सॉफ्टवेयर / भूगोल / एमए पंजाबी / एमकॉम / पीजीडीसीए (स्व-वित्तपोषित) पाठ्यक्रम चला रहा है। यह सोसाइटी अल्पसंख्यक समुदाय की है और इस सोसाइटी में सिख अल्पसंख्यक समुदाय के दो तिहाई सदस्य हैं। अपीलकर्ता ने शैक्षणिक कार्यक्रमों और छात्रों के प्रवेश की प्रति भी जमा की। अपीलकर्ता संस्था को पंजीकृत सोसाइटी द्वारा संचालित / प्रशासित और प्रबंधित किया जाता है, जिसे सिख अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा मुख्य रूप से सिख अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लाभ के लिए शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में उल्लेखनीय है प्रतिवादी ने उक्त आवेदन को दिनांक 09 अप्रैल 2018 के आदेश (यहां आक्षेपित आदेश) के माध्यम से इस टिप्पणी के साथ खारिज / अस्वीकार कर दिया कि अपीलकर्ता संस्था में सिख अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र केवल 20 प्रतिशत हैं और जीपी संख्या 1/66-2003 समन्वय (3) दिनांक 08 अप्रैल 2013 / 22 सितंबर 2016 के अनुसार, संस्था में न्यूनतम 50 प्रतिशत छात्र अल्पसंख्यक समुदाय के होने चाहिए। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने दिनांक 09 अप्रैल 2018 के आक्षेपित आदेश के विरूद्ध इस आयोग के समक्ष वर्तमान अपील दाखिल की।

आयोग ने दोनों पक्षों को सुना, अपील के लिखित तर्कों और दलीलों, अपील के उत्तर, प्रत्युत्तर और दायर किए गए दस्तावेजों का भी अध्ययन किया। इस अपील में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या दिनांक 25 जुलाई 2016 के आवेदन को खारिज करने के लिए प्रतिवादी द्वारा लिया गया स्टैंड कानूनी रूप से मान्य है?

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों को दोहराया और कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ-साथ इस आयोग ने स्पष्ट रूप से माना है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रवेश का प्रतिशत ऐसी संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे के निर्धारण के लिए इंडिशिया नहीं है। हरियाणा राज्य का दिनांक 8 अप्रैल 2013 और 22 सितंबर 2016 का शासनादेश अनुचित, गैरकानूनी और असंवैधानिक है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस आयोग का ध्यान इंस्टीच्यूट ऑफ फ्रांसिस्कन मिशनरीज ऑफ मैरी बनाम तमिलनाडु सरकार (रिट याचिका संख्या 2018 का 23789) के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30 जनवरी 2019 पर आकर्षित किया है। अपीलकर्ता के मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ उपरोक्त मामले से काफी मिलती-जुलती हैं। उपरोक्त मामले में, तमिलनाडु सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश तैयार करते हुए, जीओ (एमएस) संख्या 65 दिनांक 5 अप्रैल 2018 जारी किया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अल्पसंख्यक के दर्जे का दावा करने वाली सभी शैक्षणिक संस्थाओं की शैक्षणिक एजेंसी प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देगी। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए वचनपत्र को दर्ज करने के बाद माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त जीओ को खारिज कर दिया गया था जिसमें यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था छात्रों की योग्यता और स्कूलों में स्थान की उपलब्धता के अधीन अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगी। अपीलकर्ता पहले ही इस आयोग के समक्ष उपरोक्त वचनबद्धता के संदर्भ में हलफनामा दाखिल कर चुका है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आंध्र केसरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में 2011 की सिविल अपील संख्या 106 में दिनांक 25 सितंबर 2019 को पारित अपने निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कानूनी स्थिति की पुष्टि की है कि यदि किसी अल्पसंख्यक संस्था में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों का प्रतिशत नहीं पूरा नहीं होता है, तो रिक्त सीटों को भरने के लिए ऐसी अल्पसंख्यक संस्था अन्य समुदायों के पात्र छात्रों को भी प्रवेश दे सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल, हरियाणा में सिख समुदाय की आबादी केवल 7.86 प्रतिशत है, इसलिए प्रतिवादी का अस्वीकृति आदेश मनमाना एवं अनुचित है और अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आक्षेपित आदेश को रद्द करने तथा अपीलकर्ता संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे पर निर्णय लेने और अपीलकर्ता के पक्ष में ऐसे निर्देश, यदि कोई हो, देने की प्रार्थना की।

दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से उपस्थित होने वाले वकील ने अपना तर्क दोहराया और माना कि अपीलकर्ता कॉलेज में छात्रों की संख्या नगण्य है, जो दिनांक 8 अप्रैल 2013 और 22 सितंबर 2016 के निर्देशों के बिल्कुल विपरीत है, जहां यह प्रावधान किया गया है कि कॉलेज में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की तर्कसंगत संख्या होनी चाहिए। गुरु नानक खालसा कॉलेज सोसाइटी, करनाल के अध्यक्ष श्री

कंवरजीत सिंह का हलफनामा दाखिल करने के बाद, प्रतिवादी ने पूरे मामले की फिर से जांच की है और यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता संस्था ने विभाग के दिशानिर्देशों की विशिष्ट शर्त संख्या 9 को पूरा नहीं किया है। वर्ष 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में कुल 1640 छात्रों में से केवल 387 अल्पसंख्यक छात्रों यानी 23.59 प्रतिशत को ही प्रवेश मिला। प्रतिवादी ने पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (उपरोक्त) और केरल शिक्षा विधेयक (उपरोक्त), भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक दर्जे के निर्धारण के लिए दिशानिर्देशों पर भरोसा किया और अपील को खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रतिवादी के प्रतिनिधि को सुनने, लिखित निवेदन, दिनांक 09 अप्रैल 2018 के आक्षेपित आदेश सहित समस्त अभिलेख, सभी दस्तावेजों, दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किए गए उद्धरणों के परिशीलन के बाद, आरंभ में हमने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए संसद के एक अधिनियम के तहत इस आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग अर्ध न्यायिक अधिकरण है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत शामिल एमएससी आदि प्रदान करने से संबंधित विवाद पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार, शक्ति और प्राधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 30 का तर्काधार अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं संचालित करने के लिए संरक्षण प्रदान करना है। इन अधिकारों को उनके उल्लंघन के खिलाफ निषेध द्वारा संरक्षित किया गया है और प्रवर्तन के वादे द्वारा समर्थित किया गया है। संरक्षण अनुच्छेद 30 में निहित है जो राज्य को संविधान के अध्याय 3 के तहत प्रत्याभूत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या सीमित करने के लिए कोई भी कानून, नियम और विनियम बनाने से रोकता है और असंगत पाए जाने वाले किसी भी कानून, नियम या विनियम को वीटो करने की धमकी देता है। दिशानिर्देश संवैधानिक प्रावधानों और केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों की जगह नहीं ले सकते। कोई भी सरकार नीतिगत निर्णय की आड़ में उक्त मौलिक अधिकार को नष्ट नहीं कर सकती है।

प्रतिवादी ने दिनांक 9 अप्रैल 2018 के आक्षेपित आदेश द्वारा एमएससी प्रदान करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 सितंबर 2016 के आवेदन को खारिज कर दिया है। दिनांक 9 अप्रैल 2018 के आदेश में एकमात्र कारण यह दिया गया है अपीलकर्ता संस्था सिख अल्पसंख्यक समुदाय के केवल 20 प्रतिशत छात्रों को ले रही है और दिनांक 8 अप्रैल 2013 एवं 22 सितंबर 2016 के जीओ के अनुसार संस्था को अल्पसंख्यक समुदाय के न्यूनतम 50 प्रतिशत छात्रों को लेना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान अपील में कानून का केवल एक ही प्रश्न उठता है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता संस्था में सिख अल्पसंख्यक समुदाय के न्यूनतम 50 प्रतिशत छात्र होने चाहिए?

यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि इस आयोग द्वारा विभिन्न मामलों में इसी तरह का मुद्दा अल्पसंख्यक संस्थाओं के पक्ष में तय किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी यह माना है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के प्रवेश का प्रतिशत ऐसी संस्थाओं के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण करने के लिए इंडिशिया नहीं है। इस आयोग द्वारा बकले प्राइमरी स्कूल, कटक, उड़ीसा बनाम उड़ीसा सरकार के मामले में उपरोक्त

कानूनी मुद्दे पर स्पष्ट रूप से चर्चा की गई थी (2009 के मामले संख्या 1320 में आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 6 जुलाई 2010), जो निम्नानुसार है :

> "टीएमए पई (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि संबंधित संस्था में अल्पसंख्यक छात्रों का प्रवेश विभिन्न कारकों पर निर्भर होना चाहिए जैसे कि यह किस प्रकार की संस्था है, क्या यह प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल या कॉलेज या अन्यथा है, राज्य में उस समुदाय की आबादी और उस क्षेत्र की आवश्यकता जिसमें संस्था स्थित है। इन कारकों पर विचार करके ही राज्य अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक छात्रों का न्यूनतम प्रवेश निर्धारित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि "उचित सीमा क्या होगी, यह परिवर्तनशील कारकों पर निर्भर करेगा, और किसी विशिष्ट प्रतिशत को निर्धारित करना उचित नहीं हो सकता है।" उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं पर 50 प्रतिशत की सीमा नहीं थोपी जा सकती है, जिसके लिए उन्हें अनिवार्य रूप से 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक छात्रों को प्रवेश देना होगा। पूरे राज्य के लिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के मामले में प्राथमिक से लेकर कॉलेज स्तर तक सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के संबंध में एक समान सीमा तय करने के लिए कोई समान नियम या विनियम नहीं हो सकता है।

> नतीजतन, हम यह पाते हैं और मानते हैं कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले प्रतिशत के निर्धारण के भेदक मापदंड को ऐसी संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे को निर्धारित करने के लिए इंडीशिया में शामिल नहीं किया जा सकता है।

जैसा कि हमने ऊपर बताया है, 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल, हरियाणा में सिख समुदाय की आबादी केवल 7.86 प्रतिशत है और हरियाणा में सिखों की कुल आबादी केवल 4.91 प्रतिशत है। हमारी सुविचारित राय में, भले ही याचिकाकर्ता संस्था पूरे प्रयास कर ले, परंतु हो सकता है कि वह अपने सिख समुदाय से 50 प्रतिशत प्रवेश प्राप्त करने में सक्षम न हो। इस दृष्टि से हरियाणा राज्य का सिख समुदाय संविधान के तहत गारंटीकृत अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार खो देगा। यदि अनुच्छेद 30 के तहत हरियाणा राज्य के सिख समुदाय के उक्त अधिकार के लिए 50 प्रतिशत के निश्चित सूत्र का पालन किया जाता है, तो यह अधिकार ज़ब्त हो जाएगा। इस प्रकार, सभी प्रकार की अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में अल्पसंख्यक छात्रों के प्रवेश पर एक समान सीमा का अधिरोपण संवैधानिक संरक्षण का आभासी निषेध है।

आंध्र केसरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश, सिविल अपील संख्या 2011 की 106 के मामले में दिनांक 25 सितंबर 2019 के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि गैर अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा खाली सीटों को भरने की आवश्यकता सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर थी जिसने दर्शाया कि 2001 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध कॉलेजों और सीटों की संख्या अत्यधिक असंगत और जनसंख्या से कहीं अधिक है। अल्पसंख्यक संस्थाओं में हर साल रिक्त सीटों की विशिष्ट संभावना अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के हित में नहीं होगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जीओएम संख्या 98 जारी किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 85 प्रतिशत प्रबंधन कोटा में रिक्त सीटें किसी भी शैक्षणिक वर्ष के दौरान खाली न रहें। जीओएम ने केवल यह निर्धारित किया था कि यदि उक्त कोटा अल्पसंख्यक छात्रों द्वारा भरा नहीं जाता है, तो इसे शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए संयोजक, एडसेट द्वारा आवंटित सफल उम्मीदवारों की योग्यता सूची से भरा जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा सीईटी अर्हताप्राप्त गैर अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया, जो राष्ट्र के हित में होगा।

उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कानूनी स्थिति की पुष्टि की है कि यदि किसी अल्पसंख्यक संस्था के पास अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों का प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप नहीं है, तो खाली सीटों को पूरा भरने के लिए ऐसी अल्पसंख्यक संस्था अन्य समुदायों के पात्र छात्रों को भी प्रवेश दे सकती है।

इंस्टीच्यूट ऑफ फ्रांसिस्कन मिशनरीज ऑफ मैरी, चेन्नई बनाम तमिलनाडु सरकार (रिट याचिका संख्या 2018 का 23789) के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30 जनवरी 2019 2018 में यह टिप्पणी की गई है कि :

"प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए जीओ (एम) संख्या 65, स्कूल शिक्षा (एमएस) विभाग दिनांक 5 अप्रैल 2018 की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए रिट याचिकाओं का यह बैच दायर किया गया है, इसके प्रथम प्रतिवादी ने शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश तैयार किया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अल्पसंख्यक दर्जा का दावा करने वाली सभी शैक्षणिक संस्थाओं की शैक्षणिक एजेंसी प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देगी, जबकि सहायता प्राप्त संस्थाओं के संबंध में 75 प्रतिशत की ऊपरी सीमा तय की गई है।

चूंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 11 (एफ) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एनसीएमईआई पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, पहला प्रतिवादी याचिकाकर्ता संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति तय करने की मांग नहीं कर सकता है, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में कम से कम 50% छात्रों और अल्पसंख्यक समुदाय से प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में 75% छात्रों का प्रवेश प्राप्त नहीं करने की स्थिति में।

दूसरे, पीए इनामदार के मामले में फैसले के बाद यह मानना कि अल्पसंख्यक संस्थाएं अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं जिसमें गैर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के साथ-साथ दूसरे राज्य के उनके स्वयं के समुदाय के सदस्य भी शामिल हैं, दोनों सीमित सीमा तक ही, न कि ऐसे तरीके से और इस हद तक कि उनकी शैक्षणिक संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा खो जाए, क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अनुच्छेद 30(1) का संरक्षण खो देते हैं, संसद ने संविधान में संशोधन करते हुए 21 जनवरी 2006 से अनुच्छेद 15(5) को लागू किया, जो उच्च शिक्षा में सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है, हालांकि इसने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त दोनों, को सुरक्षित रूप से बाहर रखा है। लेकिन अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य, (2008) 6 एससीसी 1 में उक्त संशोधन पर भी सवाल उठाया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने फिर से चुनौती को खारिज करते हुए कहा है कि अल्पसंख्यक संस्थाएं संस्थाओं के एक अलग वर्ग का निर्माण करती हैं और इसलिए सरकार प्रवेश प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, परिणामस्वरूप टीएमए पाई फाउंडेशन के मामले में प्रश्न संख्या 4 से संबंधित पैराग्राफ 161 में निर्धारित अनुपात और पीए इनामदार के मामले में सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं में भी आरक्षण के नियम के संबंध में अनुच्छेद 127, 128 और 133 में निर्धारित अनुपात को कानून में खराब माना गया था। (अपनी ओर से बल दिया गया)

इसके अलावा, जब केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुाक्षित या सहायता प्राप्त कुछ केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 को लागू किया गया तो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को अधिनियम की प्रयोज्यता से बाहर रखते हुए धारा 4 (ग) लागू की गई थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद जब बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया गया तो संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (5) की वैधता पर चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने प्रमति एजुकेशनल और कल्चरल ट्रस्ट एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2014) 4 एमएलजे 486 के मामले में यह माना है कि जहां तक 2009 का अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के तहत शामिल सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होता है, यह संविधान के अधिकारातीत है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त दोनों प्रकार की अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में सीटों के बंटवारे के संबंध में सरकार द्वारा किसी भी तरह का हस्तक्षेप अनुचित, गैरकानूनी और असंवैधानिक है। 2012 की रिट याचिका संख्या 14734 में पारित निर्णय दिनांक 7 जनवरी 2014 में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा भी इस स्थिति को बहाल किया गया है (फेडरेशन ऑफ कैथोलिक फेथफुल का प्रतिनिधित्व इसके महासचिव, चेन्नई द्वारा किया गया और तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व सचिव, उच्च शिक्षा विभाग और अन्य द्वारा किया गया)।

चूंकि पहले प्रतिवादी ने भी यह स्टैंड लिया है कि 50 प्रतिशत का मानदंड कठोर नहीं है और अल्पसंख्यक छात्रों की अनुपलब्धता के मामले में, नए प्रवेश के लिए 50 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त न करने के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा वापस नहीं लिया जाएगा और यह केवल तभी होगा जब नए प्रवेश के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को 50 प्रतिशत लक्ष्य के भीतर प्रवेश से वंचित किया जाता है, अल्पसंख्यक छात्रों के हितों को बढ़ावा न देने के आधार पर संस्था के खिलाफ अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लेने के लिए कार्रवाई की जाएगी, याचिकाकर्ता संस्थाओं द्वारा दिए गए वचनपत्र को दर्ज करते हुए रिट याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए कि वे अल्पसंख्यक छात्रों को प्रवेश से इनकार नहीं करेंगे, बशर्ते कि वे पात्रता मानदंड को पूरा करते हों और रिक्तियों की उपलब्धता भी हो।

याचिकाकर्ता संस्थाओं द्वारा दिए गए वचनपत्र को दर्ज करते हुए आक्षेपित शासनादेश (एमएस) संख्या 65, स्कूल शिक्षा (एमएस) विभाग दिनांक 5 अप्रैल 2018 को अपास्त किया जाता है कि सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं छात्रों की पात्रता और स्कूलों में स्थान की उपलब्धता के अधीन अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश देने से वंचित नहीं करेंगी।

जहां तक हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए जीओ दिनांक 8 अप्रैल 2013 और 22 सितंबर 2016 का संबंध है, उपरोक्त निर्णयों और टिप्पणी के आलोक में स्पष्ट रूप से अनुचित, गैरकानूनी और असंवैधानिक है। अपीलकर्ता संस्था का मामला भी फ्रांसिस्कन मिशनरीज ऑफ मैरी बनाम तमिलनाडु सरकार (सुप्रा) के उपरोक्त मामले के समान है। उपरोक्त मामले में, तमिलनाडु सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं को एमएससी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश तैयार करते हुए, जीओ दिनांक 5 अप्रैल 2018 जारी किया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अल्पसंख्यक के दर्जे का दावा करने वाली सभी शैक्षणिक संस्थाएं प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देंगी। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने कानूनी मुद्दे पर निर्णय देते हुए कहा कि सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त दोनों प्रकार की अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में सीटों के बंटवारे के संबंध में सरकार द्वारा किसी भी तरह का हस्तक्षेप अनुचित, गैरकानूनी और असंवैधानिक है। हम भी उपरोक्त राय के हैं। तथ्यों, परिस्थितियों और उपरोक्त टिप्पणियों को देखते हुए, हमारी सुविचारित में, दिनांक 9 अप्रैल 2018 का आक्षेपित आदेश मनमाना, अनुचित, गैरकानूनी, असंवैधानिक है और रद्द किए जाने योग्य है।

आयोग ने अपीलकर्ता संस्था को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के आवेदन में कोई बाधा नहीं पाई। अपीलकर्ता संस्था ने पहले ही गुरु नानक खालसा कॉलेज सोसाइटी के अध्यक्ष श्री कंवरजीत सिंह का हलफनामा दाखिल कर दिया है। आक्षेपित आदेश दिनांक 9 अप्रैल 2018 अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अपीलकर्ताओं के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए किसी भी तर्क को प्रकट नहीं करता है। अत: दिनांक 9 अप्रैल 2018 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता संस्था को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के आवेदन पर विचार करने के लिए मामला हरियाणा राज्य के विद्वान प्रतिवादी प्राधिकारी को भेजा जाता है।

हरियाणा राज्य के प्रतिवादी सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध किया गया कि अपीलकर्ता को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के आवेदन पर यथाशीघ्र, शीघ्रता से विचार करें। नियमों के अलावा, न्याय के हित में अपीलकर्ता को इस आयोग के आदेश की प्रमाणित प्रति हरियाणा राज्य के प्रतिवादी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुपालन के लिए तुरंत पेश करने का भी निर्देश दिया जाता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस आदेश के अनुरूप अपील का निपटारा किया गया।

अध्याय 8 : केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के हवाले तथा आयोग की अनुशंसाएं

अधिनियम की धारा 11(क) के अनुसार, आयोग अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बन्धित किसी प्रश्न, जो उसे संदर्भित किया जा सकता है, पर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देगा।

8.1. राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के सक्षम प्राधिकारियों / प्राधिकारियों के साथ बैठक :

आयोग एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 10 के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 (1992 का 19) में निहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्त राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सक्षम प्राधिकारियों और प्राधिकारियों की बैठकें लिया करता था और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के मामले संभालने के संबंध में उन्हें उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करता था। वर्ष 2020-21 में, एनसीएमईआई ने इन प्राधिकारियों के साथ ऑनलाइन बातचीत की।

अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए 30 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की है। असम, महाराष्ट्र, मणिपुर, दादरा एवं नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख ने सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। 32 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में, याचिकाकर्ता संस्थाएं एमएससी प्रदान करने के लिए सीधे राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के पास आवेदन कर सकती हैं। जिन राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, उनसे सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सक्षम प्राधिकारी की सूची अनुबंध 3 में दी गई है।

अध्याय 9 : अल्पसंख्यकों की शिक्षा के एकीकृत विकास के लिए अनुशंसाएं

धारा 11 के तहत निम्नलिखित कार्य अल्पसंख्यकों के एकीकृत विकास के लिए एनसीएमईआई की सिफारिशों से संबंधित हैं :

- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार को सिफारिशें करना; और
- ऐसे अन्य कार्य एवं चीजें करना जो आयोग के सभी या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

9.1 भारत के संविधान में निहित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के शैक्षणिक अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षोपायों के उल्लंघन के मुद्दों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के साथ उठाया जाता है और इसके साथ ही उन्हें निम्नलिखित पर नियमित रूप से संवेदनशील बनाया जाता है :

- संविधान का अनुच्छेद 30(1) जो धार्मिक / भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम - प्रगति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट (आर) एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला, जिसमें यह माना गया कि कानून का प्रस्ताव स्थापित करता है आरटीई अधिनियम 2009 अल्पसंख्यक स्कूलों, सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त, पर लागू नहीं है।
- प्रवेश में आरक्षण, अपने शासी निकाय का चयन करने में स्वायत्तता, शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति, गैर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों सहित अपनी पसंद के छात्रों को और अपने खुद के समुदाय के छात्रों को प्रवेश देना आदि जैसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकार लागू नहीं हैं।
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों की प्रयोज्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय।
- अनुशासन और शैक्षिक उत्कृष्टता के हित में कार्यों को विनियमित करने का राज्य का अधिकार।

- आयोग के कार्य और शक्तियां।

9.2 आयोग विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से भी मामले लेता है और उचित आदेश पारित करता है जिसमें राज्य सक्षम प्राधिकारियों और राज्य प्राधिकारियों को ऐसी संस्थाओं के एनओसी और एमएससी के मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया जाता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। आयोग द्वारा निर्णय किए गए और राज्य सक्षम प्राधिकारियों एवं राज्य प्राधिकारियों को वापस भेजे गए कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है :

9.3 2019 की प्रकरण संख्या 33, 34, 35, 37, 133, 173, 219 और 222

विषय : एमएससी के लिए याचिका

याचिकाकर्ता : 2019 की प्रकरण संख्या **33 :** ज्योति प्रॉविंस एजुकेशन ट्रस्ट, कोठामंगलम, एर्नाकुलम, केरल द्वारा संचालित सेंट मैरी इंग्लिश मीडियम स्कूल, कुन्नपुझा, डाकघर अरमाडा, जिला तिरुवनंतपुरम, केरल

2019 की प्रकरण संख्या 34 : केरल सेक्रेड हार्ट ज्योति सेंट्रल स्कूल ट्रस्ट, पलाई, कोट्टायम जिला, केरल द्वारा संचालित सेक्रेड हार्ट ज्योति सेंट्रल स्कूल, अरासुपराम्बु, नेदुमंगडु, जिला तिरुवनंतपुरम

2019 की प्रकरण संख्या 35 : वल्लाकोम सेंट मैरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, वैकोम, केरल द्वारा संचालित सेंट मैरी एचएसएस वल्लाकोम पडिंजारेकारा, डाकघर वैकोम, जिला कोट्टायम, केरल

2019 की प्रकरण संख्या 37 : पल्लोटिन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, मणिकापुरम, डाकघर पुथुकुलंगरा, नेदुमंगड, त्रिवेंद्रम, केरल द्वारा संचालित सेंट विंसेंट पल्लोटी इंग्लिश मीडियम स्कूल, मणिकापुरम, डाकघर पुथुकुलंगरा, नेदुमंगडु, जिला तिरुवनंतपुरम, केरल

2019 की प्रकरण संख्या 133 : दि लाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जिला मलप्पुरम, केरल द्वारा संचालित दारुल कुरान अकादमी (मदरसा), डाकघर अलाथियार, तिरूर, मलप्पुरम, केरल

2019 की प्रकरण संख्या 173 : आईआईआईएस एजुकेशनल ट्रस्ट, कालीकट, केरल द्वारा संचालित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेज, डाकघर थोंडरनाडु, कोरोम, जिला वायनाड, केरल

2019 की प्रकरण संख्या 219 : सुल्तानपेट डायोसीज सोसाइटी, जिला पलक्काड, **केरल द्वारा संचालित सेंट** पॉल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, **कोझिनजम्पारा**, डाकघर कोझिनजम्पारा, जिला पलक्काड, केरल

2019 की प्रकरण संख्या 222 : मून एजुकेशनल ट्रस्ट, जिला इडुक्की, **केरल द्वारा संचालित मून स्कूल** ऑफ क्रिएटिव साइंस, कारुका, **डाकघर पेरुम्बिलिचिरा**, थोडुपुझा, जिला इडुक्की, केरल

प्रतिवादी : सचिव, **सामान्य शिक्षा विभाग**, केरल सरकार

यह आदेश 16 फरवरी, 2021 को सुनाया गया था। **यह अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए ऊपर उल्लिखित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा दायर किए गए** 8 मामलों का बैच था, **जिसका आधार यह था कि वे ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा स्थापित किए गए हैं** और प्रशासित किए **जा रहे हैं। चूंकि इन सभी मामलों में कानून और तथ्य का एक सामान्य प्रश्न शामिल है**, इसलिए उन्हें एक **साथ सुना जा रहा है और इस सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने याचिकाओं में किए गए प्रकथनों के समर्थन में और यह भी साबित करने के लिए शपथ पत्र दायर किए कि याचिकाकर्ता संस्थाओं के लाभार्थी ईसाई और मुस्लिम समुदाय के सदस्य हैं।**
याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने न्यास विलेख, राज्य सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए आवेदन की प्रति, **एनओसी आवेदन की डिलीवरी का प्रमाण, संबंधित संस्थाओं के लिए नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल की विशिष्ट आईडी सहित प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां भी दाखिल की हैं।**

इन मामलों के आधार तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (संक्षेप में 'एनओसी') प्रदान करने के लिए एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 **के तहत प्रतिवादी के पास क्रमशः** 27 नवंबर 2018 (2019 का केस नंबर 33, 2019 का केस नंबर 34, 2019 का केस नंबर 35), 26 नवंबर 2018 (2019 का केस नंबर 37), 22 नवंबर 2018 (2019 का केस नंबर 133 और 2019 का केस नंबर 173), 27 दिसंबर 2018 (2019 का केस नंबर 219) और 11 दिसंबर 2018 (2019 का केस नंबर 222) को **आवेदन दायर किया है जो राज्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिनांक** 19 फरवरी 2019, 08 मार्च 2019,

11 मार्च 2019, 13 मार्च 2019 और 27 मार्च 2019 के माध्यम से निपटाए गए। केरल राज्य के प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश इस प्रकार हैं :

"संदर्भ पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान नहीं कर रही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 11 (च) के अनुसार, अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली (एनसीएमईआई) शैक्षणिक संस्था की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों और इसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था घोषित करने का निर्णय कर सकता है। इसलिए आवेदक अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने के लिए आयोग से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।"

इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं द्वारा एमएससी प्रदान करने के लिए ये याचिकाएं को दायर की गई। इन याचिकाओं का नोटिस प्रतिवादी को तामील किया गया। पंजीकृत नोटिस भेजे जाने के बावजूद, प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए आयोग ने मामले पर प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि केरल राज्य का सक्षम प्राधिकारी एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के प्रावधानों को समझने में विफल रहा है और इस टिप्पणी के साथ आवेदन का गलत तरीके से निपटान किया है कि राज्य सरकार राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कर रही है और एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 11 (च) के अनुसार, अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित यह आयोग शैक्षणिक संस्था की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित सभी प्रश्नों और इसे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था घोषित करने का निर्णय कर सकता है। इसलिए आवेदक अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने के लिए आयोग से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए इस आयोग के समक्ष आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी है। याचिकाकर्ता संस्थाएं एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के अनुसार एनओसी प्रदान करने के सभी मानदंडों को पूरा कर रही हैं। सक्षम प्राधिकारी एनओसी प्रदान करने के लिए उनके आवेदन पर विचार करने में विफल रहे थे। अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का संवैधानिक अधिकार है। याचिकाकर्ता संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक

समुदायों के सदस्यों द्वारा किया गया था। आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 3945/2018, निर्णय दिनांक 18 अप्रैल 2018) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ हैं।

याचिकाकर्ता संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों द्वारा किया गया है। सोसाइटी / न्यास के संगम ज्ञापन / न्यास विलेख ने स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया है कि याचिकाकर्ता संस्थाएं मुख्य रूप से ईसाई / मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए स्थापित की गई हैं।

इन प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए याचीगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने याचिकाकर्ता संस्थाओं के पक्ष में अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, आयोग ने पूरे रिकॉर्ड अर्थात सोसाइटी के पंजीकरण प्रमाण पत्र, संगम ज्ञापन, संशोधित संगम ज्ञापन, नियम और विनियम, न्यास विलेख, संशोधित न्यास विलेख, शपथ पत्र, आक्षेपित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2019, 08 मार्च 2019, 11 मार्च 2019, 13 मार्च 2019 और 27 मार्च 2019, केरल राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता संस्थाओं द्वारा दायर किए गए आवेदनों की प्रतियों, मान्यता आदेश और नीति आयोग के पोर्टल एनजीओ दर्पण द्वारा प्रदान की गई सोसायटी / ट्रस्ट की विशिष्ट आईडी की प्रतियों का अनुशीलन किया।

प्रतिवादी ने आक्षेपित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2019, 08 मार्च 2019, 11 मार्च 2019, 13 मार्च 2019 और 27 मार्च 2019 द्वारा एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत आवेदनों का निपटारा किया था और कहा था कि राज्य सरकार केरल राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं को एमएससी प्रदान नहीं कर रही है और यह भी आदेश दिया कि इस आयोग के पास एमएससी आवेदन पर निर्णय करने की शक्ति है। आयोग ने टिप्पणी की कि कोई भी राज्य सरकार अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार नहीं कर सकती है क्योंकि यह अल्पसंख्यक संस्था का संवैधानिक अधिकार है। सक्षम प्राधिकारी के आदेश में यह भी परिलक्षित होता है कि राज्य सरकार किसी शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता संस्थाओं ने एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत

एनओसी प्रदान करने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया है और एमएससी प्रदान करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया है।

एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 को दो बार संशोधित किया गया ताकि एनसीएमईआई के कार्यों के साथ-साथ अर्ध न्यायिक शक्तियों को व्यापक किया जा सके एवं उनका विस्तार किया जा सके। इस मामले के उचित निर्णय के लिए प्रासंगिक धाराएं नीचे दी गई हैं :

"धारा 10: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार :

(1) उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहता है, उक्त उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है।"

(2) सक्षम प्राधिकारी —

(क) दस्तावेजों, शपथ पत्रों या अन्य साक्ष्यों, यदि कोई हो, के अवलोकन पर; तथा

(ख) आवेदक की बात सुनने के लिए उसे अवसर प्रदान करने के बाद, उप-धारा (1) के तहत दायर किए गए प्रत्येक आवेदन पर यथाशीघ्र निर्णय लेंगे और यथास्थिति आवेदन को मंजूर करेंगे या खारिज करेंगे : परंतु यह कि जहां आवेदन खारिज कर दिया जाता है, सक्षम अधिकारी उसके के बारे में आवेदक को सूचित करेगा।

(3) जहां अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिन की अवधि के भीतर, -

(क) सक्षम प्राधिकारी ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है; या

(ख) जहां आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है और उसके बारे में उस व्यक्ति को सूचित नहीं किया गया है जिसने इस तरह का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन किया है, तो यह माना जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है।

(4) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने पर या जहां यह समझा जाता है कि सक्षम

प्राधिकारी ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है, आवेदक उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत विहित यथास्थिति नियमों और नियमों के अनुसार अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना शुरू करने और आगे बढ़ने के लिए हकदार होगा।

स्पष्टीकरण —

इस धारा के प्रयोजनों के लिए - "आवेदक" का अभिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति से है जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए उपधारा (1) के तहत आवेदन करता है;

"अनापत्ति प्रमाण पत्र" का अभिप्राय ऐसे प्रमाण पत्र से है जिसमें यह कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना पर कोई आपत्ति नहीं है।

धारा 12ए :

(1) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 10 की उपधारा (2) के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने से इन्कार करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के खिलाफ आयोग में अपील कर सकता है।

(2) उपधारा () के तहत अपील उपधारा () में संदर्भित आदेश आवेदक को संप्रेषित किए जाने की तिथि से 30 दिन के अंदर दाखिल की जाएगी। परंतु यह कि आयोग 30 दिन की उक्त अवधि बीत जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त अवधि के अंदर अपील दाखिल न करने के पर्याप्त कारण हैं।

(3) आयोग में अपील ऐसे रूप में जाएगी जो निर्धारित किया जा सकता है तथा उसके साथ उस आदेश की प्रति जमा की जाएगी जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

(4) पक्षों को सुनने के बाद, आयोग यथाशीघ्र आदेश पारित करेगा और अपने आदेशों को लागू करने या अपनी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निर्देश देगा जो आवश्यक या समीचीन हो सकते हैं।

(5) आयोग द्वारा उपधारा (4) के तहत दिया गया आदेश दिवानी न्यायालय के आदेश की तरह आयोग द्वारा निष्पादन योग्य होगा और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के प्रावधान यथास्थिति उसी तरह लागू होंगे जिस तरह वे किसी दिवानी न्यायालय के किसी

आदेश के संबंध में लागू होते हैं।

धारा 12 बी : किसी शैक्षणिक संस्था के अल्पसंख्यक दर्जा के बारे में निर्णय लेने की आयोग की शक्ति

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव के बगैर, यदि किसी शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के लिए यथास्थिति केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकारी ऐसा दर्जा प्रदान करने के आवेदन को अस्वीकार कर देता है, तो व्यथित व्यक्ति प्राधिकारी के ऐसे आदेश के खिलाफ आयोग में अपील कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के तहत अपील आवेदक को आदेश संप्रेषित किए जाने की तिथि से 30 दिन के अंदर दाखिल की जाएगी। परंतु यह कि आयोग 30 दिन की उक्त अवधि बीत जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त अवधि के अंदर अपील दाखिल न करने के पर्याप्त कारण हैं।

(3) आयोग में अपील ऐसे रूप में जाएगी जो निर्धारित किया जा सकता है तथा उसके साथ उस आदेश की प्रति जमा की जाएगी जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

(4) उपधारा (3) के तहत अपील प्राप्त होने पर, अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद आयोग शैक्षणिक संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में निर्णय ले सकता है और ऐसा निर्देश देने के लिए आगे बढ़ सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे तथा ऐसे सभी निर्देश पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, जो व्यक्ति अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहता है, उसे एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत उक्त उद्देश्य के लिए एनओसी के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना होता है। 2004 के अधिनियम ने राज्य के सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ तथा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ धारा 12(ए) के तहत एनसीएमईआई में अपील करने की शक्तियां भी प्रदान की है

जिसने एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 12(बी) के तहत किसी शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के आवेदन को खारिज कर दिया है।

सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (2018) 6 एससीसी 772 के मामले में सिविल अपील नंबर 2018 का 3945 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के माध्यम से यह भी माना है कि :

"हालांकि, धारा 10(1), जो 2006 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 11(च) के रूप में उसी समय लागू की गई थी, धारा 11(च) में निहित पूर्वोक्त शक्ति का एक पहलू, अर्थात अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के समय उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का पहलू गढ़ती है। इस प्रकार, कोई व्यक्ति जो 2006 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहता है, उसे उक्त उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए केवल सक्षम प्राधिकारी के पास अवश्य आवेदन करना चाहिए। श्री हेज के इस तर्क से सहमत होना थोड़ा मुश्किल है कि उक्त शक्तियाँ संगामी हैं। सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ें, तो 2006 के संशोधन अधिनियम के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए सभी आवेदन केवल कानून के तहत स्थापित सक्षम प्राधिकारी के पास जाने चाहिए। दूसरी ओर, स्थापना के बाद किसी भी चरण पर किसी शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में घोषित करने के लिए, एनसीएमईआई के पास इस प्रश्न पर निर्णय लेने और ऐसी संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा करने की शक्ति होगी।"

एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के प्रावधानों और सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए, इस आयोग के पास मूल और साथ ही अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार है, कोई शैक्षणिक संस्था जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहती है, के पास दो विकल्प हैं। सबसे पहले, यह एमएससी प्रदान करने के लिए यथास्थिति केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकती है और यदि उपरोक्त प्राधिकारी ने एमएससी प्रदान करने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, तो पीड़ित व्यक्ति प्राधिकारी के इस तरह के आदेश के खिलाफ एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12बी के तहत इस आयोग के पास अपील कर सकता है। दूसरा, एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के

तहत, जो कोई भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहता है, उसे एनओसी प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा और यदि सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्राप्त होने से 90 दिन की अवधि के भीतर एनओसी प्रदान नहीं करता है या आवेदन खारिज कर दिया गया लेकिन आवेदक को सूचित नहीं किया गया, तो यह माना जाएगा कि एनओसी प्रदान की गई है और आवेदक एमएससी प्रदान करने के लिए सीधे इस आयोग के पास आवेदन दाखिल कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने से इंकार करने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12ए के तहत इस आयोग के पास अपील कर सकता है।

आयोग की सुविचारित राय में शैक्षणिक संस्था एमएससी प्रदान करने के लिए या एनओसी प्रदान करने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने का विकल्प चुन सकती है। वर्तमान मामले में आवेदक ने एनओसी प्रदान करने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन किया था लेकिन राज्य के सक्षम प्राधिकारी ने एनओसी आवेदन पर निर्णय लेने के बजाय एनओसी को खारिज करते हुए आदेश दिनांक 19 फरवरी 2019, 8 मार्च 2019, 11 मार्च 2019, 13 मार्च 2019 और 27 मार्च 2019 पारित कर दिया।

उपरोक्त तथ्यों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता संस्थाओं ने एनओसी प्रदान करने के लिए एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत केरल राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन किया था और राज्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के प्रावधानों और माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार उक्त आवेदनों पर निर्णय नहीं किया गया तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 19 फरवरी 2019, 8 मार्च 2019, 11 मार्च 2019, 13 मार्च 2019 और 27 मार्च 2019 पारित किए गए। इसलिए न्याय के हित में, आयोग की यह सुविचारित राय थी कि मामले के गुण-दोष पर ध्यान दिए बिना, याचिकाकर्ता संस्थाओं द्वारा पेश किए गए सभी दस्तावेजों पर विचार करने के बाद एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत एनओसी प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता संस्थाओं के आवेदन पर योग्यता के आधार पर शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के पास मामला वापस भेजने के लिए यह उचित, समीचीन और उपयुक्त मामला है।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस आदेश के अनुरूप इन याचिकाओं का निपटारा किया गया।

9.4 2018 की प्रकरण संख्या 155

विषय : अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल स्कूल, इस्लाम नगर रोड, लंबाखेड़ा, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462 001 द्वारा आवेदन

आवेदक : प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल स्कूल, इस्लाम नगर रोड, लंबाखेड़ा, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462 001

प्रतिवादी : आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, सतपुड़ा भवन, द्वितीय तल, अरेरा हिल, भोपाल, मध्य प्रदेश

आदेश 19 अगस्त, 2020 को सुनाया गया था। प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल ट्रस्ट, मकान नंबर 23, गली नंबर 1, जमील छात्रावास के पास, इब्राहिमपुरा, भोपाल - 462 001 के सचिव श्री अब्दुल आलम पुत्र अब्दुल सलाम फारूकी, निवासी मकान नंबर 23, गली नंबर 1, जमील छात्रावास के पास, इब्राहिमपुरा, भोपाल - 462 001 ने अपनी संस्था को एमएससी प्रदान करने के लिए अपने शपथ पत्र एवं आवेदक संस्था की प्राचार्य श्रीमती फिज़ा खान के शपथ पत्र के साथ यह आवेदन दिनांक 8 फरवरी 2018 दाखिल किया। आयोग के माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता संस्था की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को सुना और अभिलेख, दस्तावेजी साक्ष्य, पंजीकरण प्रमाण पत्र, न्यास विलेख दिनांक 29 फरवरी 2016, एमएससी प्रदान करने के लिए न्यास के सचिव श्री अब्दुल आलम और आवेदक संस्था की प्राचार्य श्रीमती फिज़ा खान के शपथ पत्र के साथ आवेदन दिनांक 8 फरवरी 2018, जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए मान्यता आदेश दिनांक 01 अप्रैल 2019, नीति आयोग पोर्टल एनजीओ दर्पण द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट पहचान संख्या एमपी/2018/0192202, एमएससी प्रदान करने के लिए राज्य प्राधिकारी के पास किए गए आवेदन दिनांक 15 मई 2017 की प्रति और अनुस्मारक दिनांक 18 नवंबर 2017, एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन दिनांक 15 मई 2017 का अनुशीलन किया। मामले के संक्षिप्त तथ्यों को देखकर आयोग के न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई कि याचिकाकर्ता संस्था ने एमएससी प्रदान करने के लिए 15 मई 2017 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन किया है और उक्त आवेदन उनके पास लंबित है। याचिकाकर्ता ने एक अनुस्मारक दिनांक 18 नवंबर 2017 भी भेजा था लेकिन सक्षम प्राधिकारी से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। यह स्वीकृत तथ्य था कि उक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता संस्था को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा मूल अधिकार क्षेत्र में आयोग के समक्ष यह आवेदन दायर किया गया। नोटिस तामील किए जाने के बावजूद, प्रतिवादी / राज्य सक्षम प्राधिकारी याचिका का उत्तर देने में विफल रहे हैं और आयोग को पत्र दिनांक 10 जुलाई 2019 के माध्यम से अवगत कराया है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन प्रक्रियाधीन है और कहा कि सरकार आयोग के आदेश / निर्णय का पालन करेगी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दाखिल किए गए पत्र दिनांक 15 मई 2017, जो राज्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी दिन प्राप्त किया गया था, की फोटोकॉपी दाखिल की। इसके बाद, उक्त पत्र के आलोक में राज्य सक्षम प्राधिकारी को पुनः नोटिस जारी किया गया और उक्त प्राधिकारी ने अवगत कराया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता

का आवेदन प्रक्रियाधीन है और कहा कि सरकार इस आयोग के आदेश / निर्णय का पालन करेगी। याचिकाकर्ता ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर किए गए आवेदन दिनांक 15 मई 2017 की प्रति अचानक 02 अप्रैल 2019 को आयोग के पास दाखिल कर दी। स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने याचिका दिनांक 8 फरवरी 2018 में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया था कि उसने दो आवेदन दायर किए हैं, एक एमएससी प्रदान करने के लिए है और दूसरा एनओसी प्रदान करने के लिए है। यह आश्चर्यजनक था और इसने आयोग के मन में संदेह पैदा किया कि याचिकाकर्ता ने एमएससी प्रदान करने के लिए 15 मई 2017 को राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया था और उसी तिथि को याचिकाकर्ता ने एनओसी प्रदान करने के लिए भी आवेदन दायर किया है। जब एमएससी प्रदान करने के लिए आवेदन राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित था, तो याचिकाकर्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक और आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी और राज्य सक्षम प्राधिकारी इस मामले को लेकर अड़े हुए थे।

याचिकाकर्ता संस्था ने एमएससी प्रदान करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि इसे प्रोग्रेसिव एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा स्थापित गया है और प्रशासित किया जा रहा है, जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के ट्रस्टियों द्वारा गठित पंजीकृत ट्रस्ट है। उक्त ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एमएससी प्रदान करने के लिए 15 मई 2017 को राज्य (आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार) के पास आवेदन किया था। चूंकि राज्य से कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए संस्था ने एमएससी के लिए आयोग के पास आवेदन किया। 8. एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 को दो बार संशोधित किया गया ताकि एनसीएमईआई के कार्यों के साथ-साथ अर्ध न्यायिक शक्तियों को व्यापक किया जा सके एवं उनका विस्तार किया जा सके। माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए धारा 2, धारा 10, धारा 12ए, धारा 12बी और धारा 12सी प्रासंगिक धाराएं हैं।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, कोई व्यक्ति जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहता है, उसे एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत उक्त उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना होता है। 2004 के अधिनियम ने सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ तथा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ धारा 12(ए) के तहत एनसीएमईआई में अपील करने की

शक्तियां भी प्रदान है जिसने धारा 12(बी) के तहत किसी शैक्षिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के आवेदन को खारिज कर दिया है।

सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (2018) 6 एससीसी 772 के मामले में सिविल अपील नंबर 2018 का 3945 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के माध्यम से यह भी माना था कि : "हालांकि, धारा 10(1), जो 2006 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 11(च) के रूप में उसी समय लागू की गई थी, धारा 11(च) में निहित पूर्वोक्त शक्ति का एक पहलू, अर्थात अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के समय उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का पहलू गढ़ती है। इस प्रकार, कोई व्यक्ति जो 2006 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहता है, उसे उक्त उद्देश्य के लिए एनओसी प्रदान करने के लिए केवल सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना चाहिए। सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ें, तो 2006 के संशोधन अधिनियम के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए सभी आवेदन केवल कानून के तहत स्थापित सक्षम प्राधिकारी के पास जाने चाहिए। दूसरी ओर, स्थापना के बाद किसी भी चरण पर किसी शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में घोषित करने के लिए, एनसीएमईआई के पास इस प्रश्न पर निर्णय लेने और ऐसी संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा करने की शक्ति होगी।" एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के उपर्युक्त प्रावधानों और सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, इस आयोग के पास मूल और अपीलीय दोनों अधिकार क्षेत्र है। कोई शैक्षणिक संस्था जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना करना चाहती है, के पास दो विकल्प हैं। सबसे पहले, यह किसी शैक्षणिक संस्था को एमएससी प्रदान करने के लिए यथास्थिति केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकती है और यदि उपरोक्त प्राधिकारी एमएससी प्रदान करने के आवेदन को अस्वीकार कर देता है, तो पीड़ित व्यक्ति प्राधिकारी के इस तरह के आदेश के खिलाफ एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12बी के तहत इस आयोग के पास अपील कर सकता है। दूसरा, एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत, जो कोई भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहता है, उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा। जहां आवेदन की प्राप्ति से 90 दिन की अवधि के भीतर, सक्षम

प्राधिकारी एनओसी प्रदान नहीं करता है या आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है लेकिन आवेदक को सूचित नहीं किया गया है, तो यह माना जाएगा कि एनओसी की मंजूरी दे दी है और आवेदक एमएससी प्रदान करने के लिए इस आयोग के पास आवेदन सीधे दाखिल कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने से इंकार करने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12ए के तहत इस आयोग के पास अपील कर सकता है। आयोग के माननीय न्यायालय की सुविचारित राय में एमएससी और एनओसी के लिए एक साथ आवेदन करने के लिए शैक्षणिक संस्था के लिए दोनों रास्ते खुले नहीं हैं। शैक्षणिक संस्था को एक विकल्प चुनना चाहिए अर्थात या तो एमएससी प्रदान करने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करना चाहिए या फिर एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन करना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों एवं टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह एक स्वीकृत तथ्य था कि याचिकाकर्ता संस्था ने एमएससी प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन किया था और उक्त आवेदन अभी भी लंबित है। इसलिए न्याय के हित में, इस मामले के गुण-दोष पर ध्यान दिए बिना, आयोग की यह सुविचारित राय थी कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए सभी दस्तावेजों पर विचार करने के बाद योग्यता के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेने के अनुरोध के साथ आवेदन दिनांक 15 मई, 2017 की प्रति के साथ मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास मामला वापस भेजने के लिए यह उचित, समीचीन और उपयुक्त मामला है। याचिकाकर्ता को इस आदेश के अनुपालन के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस आयोग के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

उपरोक्त के मद्देनजर, उस आदेश के अनुरूप वर्तमान याचिका का निपटारा किया गया।

9.5 केस नंबर 2018 का 166

विषय : अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए श्री बालाजी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, 306 एफ, राजहर्ष कॉलोनी, अकबरपुर, कोलार रोड, भोपाल द्वारा आवेदन

आवेदक : श्री बाबूलाल जैन, पुत्र श्री पन्ना लाल जैन, निवासी वार्ड नंबर 7, बहलोत साकेत नगर, गंजबासौदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश - 464001

प्रतिवादी : सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, मंत्रालय, भोपाल, मध्य प्रदेश

आदेश 19 अगस्त, 2020 को सुनाया गया था। श्री बालाजी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, 306 एफ, राजहर्ष कॉलोनी, अकबरपुर, कोलार रोड, भोपाल के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन, पुत्र श्री पन्ना लाल जैन, निवासी वार्ड नंबर 7, बहलोत साकेत नगर, गंजबासौदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश - 464001 ने जेपीबी कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, खसरा नंबर 1/1, 25, ग्राम संकाल खेड़ा कलां, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश - 464 001 को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अपने शपथ पत्र और आवेदक संस्था के प्रधानाचार्य श्री नीरज सिंह के शपथ पत्र के साथ यह आवेदन दिनांक 8 फरवरी 2018 दायर किया। आयोग के माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता संस्था की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को सुना और अभिलेख, दस्तावेजी साक्ष्य, सोसायटी के पंजीकरण प्रमाण पत्र, श्री बालाजी एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, 306 एफ, राजहर्ष कॉलोनी, अकबरपुर, कोलार रोड, भोपाल के संगम ज्ञापन, जेपीबी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, खसरा नंबर 1/1, 25, ग्राम संकाल खेड़ा कलां, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश – 464001 को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सोसाइटी के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जैन एवं आवेदक संस्था के प्राचार्य श्री नीरज सिंह के शपथ पत्र के साथ आवेदन दिनांक 08 फरवरी 2018, सोसाइटी के पदाधिकारियों की सूची, सोसाइटी के नियमों और विनियमों, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किए गए मान्यता आदेश दिनांक 27 अगस्त 2012, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किए गए मान्यता / संबद्धता आदेश दिनांक 15 जून 2018, नीति आयोग पोर्टल एनजीओ दर्पण द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट आईडी संख्या एमपी/2018/0185326, एमएससी प्रदान करने के लिए आवेदन दिनांक 28 अगस्त 2017 और अनुस्मारक दिनांक 13 नवंबर 2017 की प्रति, एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन दिनांक 28 अगस्त 2017, याचिकाकर्ता सोसाइटी के संशोधित संगम ज्ञापन और नियमों एवं विनियमों का अनुशीलन किया।

याचिकाकर्ता संस्था ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन किया था और उक्त आवेदन राज्य सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित था। याचिकाकर्ता ने एक अनुस्मारक दिनांक 13 नवंबर 2017 भी भेजा था लेकिन सक्षम प्राधिकारी से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। यह स्वीकृत तथ्य था कि उक्त आवेदन के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता संस्था को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा मूल अधिकार क्षेत्र में आयोग के समक्ष यह आवेदन दायर किया गया है। नोटिस तामील किए जाने के बावजूद, प्रतिवादी / राज्य सक्षम प्राधिकारी याचिका का उत्तर देने में विफल रहे हैं और आयोग को पत्र दिनांक 22 सितंबर 2018 के माध्यम से अवगत कराया है कि अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन दिशानिर्देश 2004 और संशोधित दिशानिर्देश 2015 के तहत प्रक्रियाधीन है और कहा कि सरकार

इस आयोग के आदेश / निर्णय का पालन करेगी। इसके बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दाखिल किए गए पत्र दिनांक 28 अगस्त 2017, जो आयोग द्वारा 02 अप्रैल 2019 को प्राप्त किया गया था, की फोटोकॉपी दाखिल की। फिर उक्त पत्र के आलोक में राज्य सक्षम प्राधिकारी को पुन: नोटिस जारी किया गया और उक्त प्राधिकारी ने यह उल्लेख करते हुए डाक द्वारा पुन: पत्र दिनांक 10 जुलाई 2019 भेजा है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया आवेदन प्रक्रियाधीन है और राज्य सरकार आयोग द्वारा पारित आदेश / निर्णय का पालन करेगी। राज्य सरकार ने उत्तर दिया था कि दोनों आवेदन प्रक्रियाधीन हैं और राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश / निर्णय का पालन करेगा। याचिकाकर्ता ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर किए गए आवेदन की प्रति अचानक 02 अप्रैल 2019 को आयोग के पास दाखिल कर दी। स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता ने याचिका दिनांक 8 फरवरी 2018 में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया है कि उसने दो आवेदन दायर किए हैं, एक एमएससी प्रदान करने के लिए है और दूसरा एनओसी प्रदान करने के लिए है। यह आश्चर्यजनक है और आयोग के मन में संदेह पैदा करता है कि याचिकाकर्ता ने एमएससी प्रदान करने के लिए 28 अगस्त 2017 को राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया था और उसी तिथि को याचिकाकर्ता ने एनओसी प्रदान करने के लिए भी आवेदन दायर किया है। जब एमएससी प्रदान करने के लिए आवेदन राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित था, तो याचिकाकर्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक और आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी। याचिकाकर्ता संस्था ने एमएससी प्रदान करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया था कि यह श्री बालाजी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्थापित था और प्रशासित किया जा रहा है, जो जैन अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा गठित पंजीकृत सोसाइटी थी। उक्त सोसाइटी के अधिकांश सदस्य भी जैन अल्पसंख्यक समुदाय से थे। प्रबंध समिति की सूची के अनुसार, तीन सदस्य हिंदू समुदाय से हैं और चार सदस्य जैन अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एमएससी प्रदान करने के लिए 28 अगस्त 2017 को राज्य (आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार) के पास आवेदन किया था। चूंकि राज्य से कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए संस्था ने एमएससी के लिए आयोग के पास

आवेदन किया। माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए धारा 2, धारा 10, धारा 12ए, धारा 12बी और धारा 12सी प्रासंगिक धाराएं हैं।

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, कोई व्यक्ति जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहता है, उसे एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत उक्त उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना होता है। 2004 के अधिनियम ने सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ तथा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ धारा 12(ए) के तहत एनसीएमईआई में अपील करने की शक्तियां भी प्रदान है जिसने धारा 12(बी) के तहत किसी शैक्षिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के आवेदन को खारिज कर दिया है।

सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (2018) 6 एससीसी 772 के मामले में सिविल अपील नंबर 2018 का 3945 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के माध्यम से यह भी माना था कि : "हालांकि, धारा 10(1), जो 2006 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 11(च) के रूप में उसी समय लागू की गई थी, धारा 11(च) में निहित पूर्वोक्त शक्ति का एक पहलू, अर्थात अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के समय उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का पहलू गढ़ती है। इस प्रकार, कोई व्यक्ति जो 2006 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहता है, उसे उक्त उद्देश्य के लिए एनओसी प्रदान करने के लिए केवल सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना चाहिए। सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ें, तो 2006 के संशोधन अधिनियम के बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए सभी आवेदन केवल कानून के तहत स्थापित सक्षम प्राधिकारी के पास जाने चाहिए। दूसरी ओर, स्थापना के बाद किसी भी चरण पर किसी शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में घोषित करने के लिए, एनसीएमईआई के पास इस प्रश्न पर निर्णय लेने और ऐसी संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे की घोषणा करने की शक्ति होगी।" एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के उपर्युक्त प्रावधानों और सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, इस आयोग के पास मूल और अपीलीय दोनों अधिकार क्षेत्र है। कोई शैक्षणिक संस्था जो अल्पसंख्यक

शैक्षणिक संस्था की स्थापना करना चाहती है, के पास दो विकल्प हैं। सबसे पहले, यह किसी शैक्षणिक संस्था को एमएससी प्रदान करने के लिए यथास्थिति केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकती है और यदि उपरोक्त प्राधिकारी एमएससी प्रदान करने के आवेदन को अस्वीकार कर देता है, तो पीड़ित व्यक्ति प्राधिकारी के इस तरह के आदेश के खिलाफ एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12बी के तहत इस आयोग के पास अपील कर सकता है। दूसरा, एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत, जो कोई भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था स्थापित करना चाहता है, उसे अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा। जहां आवेदन की प्राप्ति से 90 दिन की अवधि के भीतर, सक्षम प्राधिकारी एनओसी प्रदान नहीं करता है या आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है लेकिन आवेदक को सूचित नहीं किया गया है, तो यह माना जाएगा कि एनओसी की मंजूरी दे दी है और आवेदक एमएससी प्रदान करने के लिए इस आयोग के पास आवेदन सीधे दाखिल कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने से इंकार करने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12ए के तहत इस आयोग के पास अपील कर सकता है। आयोग के माननीय न्यायालय की सुविचारित राय में एमएससी और एनओसी के लिए एक साथ आवेदन करने के लिए शैक्षणिक संस्था के लिए दोनों रास्ते खुले नहीं हैं। शैक्षणिक संस्था को एक विकल्प चुनना चाहिए अर्थात या तो एमएससी प्रदान करने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करना चाहिए या फिर एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन करना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों एवं टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह एक स्वीकृत तथ्य था कि याचिकाकर्ता संस्था ने एमएससी प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन किया था और उक्त आवेदन राज्य के पास लंबित था। इसलिए न्याय के हित में, इस मामले के गुण-दोष पर ध्यान दिए बिना, आयोग के माननीय न्यायालय की यह सुविचारित राय थी कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए सभी दस्तावेजों पर विचार करने के बाद योग्यता के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेने के अनुरोध के साथ आवेदन दिनांक 28 अगस्त, 2017 की प्रति के साथ मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के पास मामला वापस भेजने के लिए यह उचित, समीचीन और उपयुक्त मामला है।

याचिकाकर्ता को इस आदेश के अनुपालन के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस आयोग के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। उपरोक्त के मद्देनजर, उस आदेश के अनुरूप वर्तमान याचिका का निपटारा किया गया।

अध्याय 10 - अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले

10.1 संविधान का अनुच्छेद 30(1) धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के पास केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मुद्दों पर क्षेत्राधिकार है। वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा छह अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी अधिसूचित किए गए हैं।

10.2. अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रयोज्यता

प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट (पंजीकृत) एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट याचिका (सिविल) संख्या 2012 का 416 जो 2014 एआईआर एससीडब्ल्यू 2859 और 2014 8 एसएससी 1 में सूचित किया गया) में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह माना कि जहां तक 2009 के अधिनियम (यानी बच्चों का नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009) के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के तहत शामिल अनुदानित या गैर अनुदानित अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होने का संबंध है, यह संविधान की शक्ति से बाहर है।

कानून के पूर्वोक्त प्रस्तावों ने स्थापित किया कि आरटीई अधिनियम, 2009 अनुदानित या गैर अनुदानित अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं है।

विधायी कार्य विभाग की राय प्राप्त करने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अगस्त, 2014 में स्पष्ट किया कि पश्च धारण और शारीरिक दंड पर रोक जैसे नियामक प्रावधान जो अनुच्छेद 30 (1) के तहत शैक्षणिक संस्थाएं संचालित करने के प्रत्याभूत अधिकारों के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करते हैं, अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी लागू हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, ऐसा प्रतीत होता है कि आरटीई

अधिनियम में प्रदान किए गए नियामक प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के संदर्भ में अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू हैं।

10.3 अल्पसंख्यक के शैक्षिक अधिकारों के उल्लंघन के कुछ ऐसे मामले आयोग में प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं। इस तरह का एक मामला यहां नीचे दिया गया है जो आयोग की अदालत द्वारा निर्णीत किया गया है :

10.4 केस नंबर 2020 का विविध 02

विषय : सुभारती मेडिकल कॉलेज, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, सुभारती पुरम, एनएच 58, दिल्ली - हरिद्वार बाइपास रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250005 द्वारा प्रधान सचिव, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ शिकायत

शिकायतकर्ता : सुभारती मेडिकल कॉलेज, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, सुभारती पुरम, एनएच 58, दिल्ली - हरिद्वार बाइपास रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250005

प्रतिवादी : प्रधान सचिव, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

आदेश 13 जनवरी, 2021 को सुनाया गया था। सुभारती मेडिकल कॉलेज, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, सुभारती पुरम, एनएच 58, दिल्ली - हरिद्वार बाइपास रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250005 के प्राचार्य एवं डीन डॉ. ए के श्रीवास्तव से एक याचिका प्राप्त हुई थी, जिसमें आयोग से यह अनुरोध किया गया है कि वे केस संख्या 2015 की 1222 में सुभारती केकेबी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित सुभारती मेडिकल कॉलेज के पक्ष में इस आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश दिनांक 20 मार्च 2017 के अनुसार सुभारती मेडिकल कॉलेज को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मानने के लिए प्रधान सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश को निर्देश प्रदान करें। यह मामला विविध मामले के रूप में दर्ज किया गया और याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी (प्रधान सचिव, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश) को नोटिस जारी किए गए। लेकिन नोटिस तामील हो जाने के बावजूद दोनों पक्षों की ओर से कोई भी आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने याचिका के साथ आवेदक संस्था को प्रदान किए गए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के साथ-साथ इस आयोग के पत्र दिनांक 26 अप्रैल 2018 की प्रति प्रस्तुत की। प्रतिवादी को एमटीवी बौद्धिस्ट रीलिजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. हीरो हिटो वेनेराबल द्वारा दिए गए पत्र दिनांक 25 मई 2018 और 12 जून 2018 की प्रति। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं

प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक के पत्र दिनांक 11 जून 2018 की प्रति। प्रतिवादी को आवेदक द्वारा दिए गए पत्र दिनांक 28 जून 2018 की प्रति। चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26 जुलाई 2018 की प्रति, इस आयोग के पत्र दिनांक 13 अगस्त 2018 और 18 दिसंबर 2018 की प्रति। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2018 की रिट याचिका संख्या 31941 में पारित आदेश दिनांक 05 अगस्त, 2019 की प्रति। प्रतिवादी को एमटीवी बौद्धिस्ट रीलिजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव डॉ. कृष्ण मूर्ति द्वारा दिए गए पत्र दिनांक 26 अगस्त 2019 की प्रति। याचिका के अनुसार, इस आयोग द्वारा याचिकाकर्ता सुभारती मेडिकल कॉलेज, मेरठ को बौद्ध अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया गया था। इसके बाद, महानिदेशक, अल्पसंख्यक शिक्षा को पत्र दिनांक 17 मई 2018 भेजकर सूचित किया गया कि इस आयोग ने आवेदक संस्था को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है। पत्र के साथ प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न की गई थी। ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य की अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2017 के अनुसार आवेदक संस्था को अल्पसंख्यक संस्था मानने के लिए प्रतिवादी को आवेदन दिनांक 22 मई 2018 प्रस्तुत किया। इसके बाद, याचिकाकर्ता संस्था ने इस आयोग द्वारा जारी किए गए एमएससी के मद्देनजर कॉलेज को अल्पसंख्यक संस्था मानने के लिए प्रतिवादी को कुछ अनुस्मारक भेजे। याचिकाकर्ता ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका भी दायर की लेकिन मामले के निर्णय में प्रतिवादी ने आवेदक संस्था को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता नहीं दी। तब याचिकाकर्ता संस्था ने आयोग से अनुरोध किया कि वे प्रतिवादी को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में याचिकाकर्ता संस्था को मानने और इस संदर्भ में संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दें। आयोग ने इस आयोग द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र और याचिकाकर्ता संस्था द्वारा पेश किए गए अन्य दस्तावेजों का भी अनुशीलन किया। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने प्रतिवादी (प्रधान सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश) को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता संस्था को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में माना जाए। तदनुसार, याचिका का निपटारा किया गया।

अध्याय 11 - सूचना का अधिकार

जानने का अधिकार लोकतंत्र की "अनिवार्य शर्त" है। भारत के संविधान ने विशेष रूप से अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देकर लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा किए गए सभी कार्यों को जानने का लोगों का अधिकार शामिल है। यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) और अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है।

आयोग के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 4() के तहत सभी अनिवार्य जानकारी आयोग की वेबसाइट ... पर उपलब्ध कराई जाती है। मामलों की सांख्यिकी / न्यायालय के निर्णय / वाद सूची / दैनिक आदेश जैसे विवरण नियमित रूप से अपलोड और अद्यतन किए जाते हैं।

जानकारी प्रदान करने और याचिकाकर्ताओं / आवेदकों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आयोग के पास एक समर्पित हेल्पलाइन भी है।

अर्ध न्यायिक संगठन होने के नाते आयोग अनेक याचिकाकर्ताओं, अधिवक्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करता है। आयोग में प्राप्त होने वाले आरटीआई आवेदनों की संख्या हर साल बढ़ रही है।
श्री जयप्रकाश, अवर सचिव लोक सूचना अधिकारी और श्री मनोज कुमार केजरीवाल, सचिव प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं।
2020-21 के दौरान, आयोग को 41 ऑनलाइन और 43 ऑफ़लाइन अपील सहित कुल 83 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवेदनों का निस्तारण किया गया।

अध्याय 12 - निष्कर्ष

12.1 अनुच्छेद **30** - शिक्षण संस्थाएं स्थापित और संचालित करने के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार

https://indiankanoon.org/doc/1687408/(1) सभी अल्पसंख्यकों, धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर, को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार होगा। एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 2(च) के अंतर्गत अधिनियम के उद्देश्य के लिए, अल्पसंख्यक का अभिप्राय केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय से है।

केंद्र सरकार ने 6 धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और जोरास्ट्रियन (पारसी) को अल्पसंख्यक समुदाय (एमसी) के रूप में अधिसूचित किया है। भाषाई अल्पसंख्यक एनसीएमईआई अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।

12.2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई) अधिनियम, 2004 की धारा 2 (सीए) के अनुसार,

"सक्षम प्राधिकारी" का अभिप्राय अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की किसी शैक्षणिक संस्था की स्थापना के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रदान करने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है।"

एनसीएमईआई अधिनियम की धारा 10 के प्रयोजनार्थ :

- सभी राज्य सरकारों को ऐसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जो अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आयोग के पास आती हैं, "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदान करने के लिए और एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12 (बी) के प्रयोजन के लिए "सक्षम प्राधिकारी" नियुक्त करने की आवश्यकता है।

- ❖ किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को "अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र" प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को "प्राधिकारी" की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।

12.3 शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने और अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की है। तथापि, अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए कई राज्य सरकारों के पास कोई तंत्र नहीं है और इसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता संस्थाएं आयोग से संपर्क कर रही हैं।

आयोग सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करने और ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए राज्य प्राधिकारियों को नियमित रूप से प्रभावित कर रहा है जो एमएससी प्रदान करने के लिए आयोग से संपर्क करते हैं। मध्य प्रदेश और केरल की याचिकाकर्ता संस्थाएं जिन्होंने एमएससी प्रदान करने के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ-साथ आयोग को भी आवेदन किया था, ऐसे मामलों में आयोग ने राज्य प्राधिकारी से संपर्क करने का आदेश पारित किया है।

12.4 कुछ राज्य सरकारों के प्राधिकारी सीमित अवधि के लिए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। टीकेवीटीएसएस मेडिकल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 2002 मद्रास 42 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को ड्राइविंग लाइसेंस की तरह समय-समय पर नवीनीकृत कराने के लिए अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार को यह छूट नहीं है कि वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने वाले अपने पिछले आदेश की समीक्षा करें, जब तक कि यह नहीं दर्शाया जाता है कि संबंधित संस्था ने अल्पसंख्यक दर्जा की मांग करते समय किसी सारवान तथ्य को दबाया है या परिस्थितियों में कोई मूलभूत परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से पिछले आदेश को रद्द करना आवश्यक हो गया है।

12.5 आयोग की जानकारी में यह आया है कि कई नियामक प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम और विनियम अनुच्छेद 30 (1) के प्रावधानों की पुष्टि नहीं करते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं के नियमन के लिए

राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर भी लागू होते हैं। यदि ऐसा कोई कानून या विनियम प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तक्षेप करता है या किसी अन्य तरीके से शैक्षणिक संस्था स्थापित और संचालित करने के अधिकार को कमजोर करता है, तो ऐसे कानून या विनियम उस सीमा तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे। आयोग इस संबंध में भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के मामलों को लेता है।

12.6. राज्य सरकारों और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श और बातचीत के आधार पर आयोग को ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों को एनसीएमईआई अधिनियम से परिचित कराने और अनुच्छेद 30 (1) पर जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है।

12.7. अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के कार्य को सुव्यवस्थित करने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, आयोग ने नवंबर 2019 से एमएससी आवेदन पत्र को संशोधित किया है, जिसमें संस्था और पदाधिकारियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा, आयोग कुछ मामलों में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति से भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट भी मंगाता है।

अनुबंध 1

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(भारत सरकार)

अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र
(जो 01 नवंबर, 2019 से लागू है)

1. (क) संस्था का संचालन : (जो उपयुक्त हो उस पर टिक करें)

- व्यक्ति द्वारा
- ट्रस्ट द्वारा
- सोसाइटी द्वारा

ट्रस्ट / सोसाइटी द्वारा प्रशासित संस्थाओं के लिए एनजीओ दर्पण (पोर्टल यूआरएल : http://ngo.india.gov.in) द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट आईडी प्रस्तुत करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में दिए गए ब्यौरे एनजीओ दर्पण के तद्रुरूपी ब्यौरे से मेल खाने चाहिए। (किसी व्यक्ति द्वारा संचालित संस्था के लिए लागू नहीं)।

(ख) संस्था का नाम एवं पता
(ग) संस्था की स्थापना का वर्ष
(घ) ट्रस्ट / सोसाइटी के पूर्ण डाक पते के साथ नाम (यह पता ट्रस्ट / सोसाइटी द्वारा एनजीओ दर्पण पर उपलब्ध कराए गए तद्रुरूपी विवरण से मेल खाना चाहिए)।

(ड.) व्यक्ति / ट्रस्ट / सोसाइटी के अध्यक्ष या सचिव का विवरण

- नाम
- डाक का पता (पिन कोड के साथ)
- संपर्क नंबर
- ई-मेल आईडी

(च) संस्थापक सदस्यों / मुतवालियों / ट्रस्टियों के नाम और पते और उनका धर्म

(छ) वर्तमान ट्रस्टियों / मुतवालियों / शासी निकाय के सदस्यों के नाम और पते और उनका धर्म

2. क्या आवेदक संस्था धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित की गई है? धर्म का प्रमाण संलग्न करना होगा (जो उपयुक्त हो उस पर टिक करें)

मुस्लिम	ईसाई	सिख	जैन	बौद्ध	पारसी

3. क्या आवेदक संस्था ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) में निहित प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकारी के पास आवेदन किया है? यदि हां, तो आवेदन की स्थिति प्रस्तुत करें। (जो उपयुक्त हो उस पर टिक करें)

- ○ क्या अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन राज्य प्राधिकारी के पास लंबित है?
- ○ क्या अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया है (यदि हाँ, तो आवेदक को एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12बी के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के तहत आवेदन करना होगा)।
- ○ अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र पहले से ही प्रदान किया जा चुका है।

4. क्या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत राज्य सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन किया गया है? यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें : (एनओसी के लिए आवेदन की प्रति भी संलग्न करना आवश्यक है)

(क) आवेदन की तिथि

(ख) पावती / सेवा का प्रमाण

(ग) आवेदन की स्थिति : (जो उपयुक्त हो उस पर टिक करें)

(i) आवेदन लंबित है सक्षम प्राधिकारी को अनुस्मारक भेजे गए हैं? यदि हाँ, तो कृपया तारीखें प्रदान करें। (इस संबंध में अनुस्मारक (अनुस्मारकों) और उन पर प्राप्त उत्तरों, यदि कोई हो, की प्रति भी संलग्न करना आवश्यक है)

(ii) राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र

(iii) क्या आवेदन खारिज कर दिया गया है? (यदि हाँ, तो आवेदक को एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12बी के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के तहत आवेदन करना होगा)।

5. क्या आवेदक संस्था ने अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कभी एनसीएमईआई के पास आवेदन किया है? यदि हां, तो कृपया संदर्भ संख्या प्रस्तुत करें। (आयोग के अंतिम आदेश की प्रति संलग्न करना आवश्यक है)

5. (i) क्या कानूनी प्राधिकारी द्वारा आवेदक संस्था का अल्पसंख्यक दर्जा किसी भी समय वापस ले लिया गया है / रद्द कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रदान करें।

5. (ii) क्या संस्था की स्थापना के बाद उसके नाम या स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है और यदि ऐसा है, तो कृपया विवरण प्रदान करें।

5. (iii) क्या अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय सहित किसी न्यायिक मंच से संपर्क किया गया है? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें और बताएं कि वर्तमान स्थिति क्या है?

6. संस्था से संबंधित विवरण

शिक्षा का स्तर : (जो उपयुक्त हो उस पर टिक करें)

- मदरसा
- प्राइमरी
- सेंकेंडरी
- हायर सेंकेंडरी
- उच्च शिक्षा
- सामान्य डिग्री
- तकनीकी शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा शामिल हैं / अन्य (कृपया स्ट्रीम निर्दिष्ट करें)

(क) पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए मौजूदा शिक्षकों / संकायों और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों की संख्या, जहां लागू हो

	शैक्षणिक वर्ष में शिक्षकों / संकायों और छात्रों की संख्या -							कुल
	मुस्लिम	ईसाई	सिख	जैन	बौद्ध	पारसी	(हिंदू)	क+ख+ग
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	+ अन्य (छ)	घ+ड.+ च+छ
शिक्षक / संकाय								
छात्र								

7. (i) क्या आवेदक संस्था का ट्रस्ट / सोसाइटी भारतीय पंजीकरण अधिनियम / सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है?

7. (ii) ट्रस्ट / सोसायटी के लिए निम्नलिखित संलग्न करना आवश्यक है :

- पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
- एमओए / न्यास विलेख की प्रति
- संशोधित एमओए / न्यास विलेख (यदि कोई हो) की प्रति

7. (iii) व्यक्ति के लिए निम्नलिखित संलग्न करना आवश्यक है :

- पहचान का प्रमाण
- निवास का प्रमाण
- पिछले तीन वर्षों के लिए आईटीआर (यदि लागू हो)
- संस्था का दस्तावेजी साक्ष्य (स्वत्वाधिकार या कब्जा)

8. केंद्रीय / राज्य बोर्ड या किसी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या यूजीसी से संबद्ध होने का विवरण (संबद्धता की प्रति संलग्न करें)

- संबद्धता की तिथि
- कब तक वैध है

9. नियामक संस्था द्वारा मान्यता का विवरण (तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान के लिए लागू)

- नियामक संस्था का नाम
- मान्यता कब तक वैध है

10. क्या संबंधित संबंधक / नियामक संस्था द्वारा संस्था को कभी विमान्य किया गया है?

11. क्या संस्था अनुदानित है अथवा गैर अनुदानित है?

<u>घोषणा</u>

मैं, ... प्रधान / अध्यक्ष / सचिव ..... ट्रस्ट / सोसाइटी की ओर से इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर प्रदान किए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं और यह कि सत्यापन / निरीक्षण पर यदि कोई ब्यौरा झूठा पाया जाता है, तो आयोग संस्था को प्रदान किया गया अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र निरस्त कर देगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

स्थान
तारीख

प्रधान / अध्यक्ष / सचिव
(कृते एवं संस्था की ओर से)

कृपया नोट करें :

1. अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से भरे गए आवेदन पत्र के पांच सेट जमा करने होते हैं।
2. आयोग भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आवेदन पर विचार नहीं करता है।
3. ऐसी आवेदक संस्था जिसका एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 10 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है, तो आवेदक को एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12ए के तहत और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अपील के लिए प्रक्रिया) नियमावली, 2006 के अनुसार आवेदन करना होगा।
4. ऐसी आवेदक संस्था जिसका एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 की धारा 12बी के तहत अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है, उसे अपील दाखिल करने के लिए प्रक्रिया नियमावली, 2006 के नियम 4 अनुसार आवेदन करना होगा।
5. याचिका दायर करने पर, याचिकाकर्ता के लिए पंजीकृत एडी द्वारा प्रतिवादियों और याचिकाकर्ता को संचार भेजने के लिए विधिवत रूप से टिकट लगा लिफाफा संलग्न करना आवश्यक है।

अनुबंध 2

फॉर्म नंबर 1

[अपील दाखिल करने के लिए प्रक्रिया नियमावली, 2006 का नियम 4 देखें]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की

धारा 12ए (1) और 12बी (1) के तहत अपील का ज्ञापन

आयोग के कार्यालय के प्रयोग के लिए

दायर करने की तिथि ……..

डाक से प्राप्त होने की तिथि ……

पंजीकरण नंबर ……..

हस्ताक्षर

सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग में

…… अपीलकर्ता

…… प्रतिवादी

अपील का ब्यौरा :

1. (क) संस्था का नाम एवं पता

(ख) ट्रस्ट / सोसाइटी के अध्यक्ष / सचिव का नाम और पता

2. क्या अपीलकर्ता संस्था का दावा धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक पर आधारित है?

3. आवेदक संस्था किसके द्वारा स्थापित या प्रशासित है :

(क) धार्मिक अल्पसंख्यक, या

(ख) भाषाई अल्पसंख्यक

4. नोटिस भेजने के लिए पता सहित प्रतिवादी (प्रतिवादियों) के विवरण

5. अपील के अधीन आदेश का विवरण :

(i) आदेश संख्या

(ii) आदेश की तिथि

(iii) उस प्राधिकारी का नाम, जिसके आदेश को अपील में चुनौती दी गई है

6. सीमा - अपीलकर्ता यह भी घोषणा करता है कि यह अपील अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है।

7. मामले के तथ्य और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश - मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं :

(यहां तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश के खिलाफ अपील के आधार प्रदान करें)

8. मामला किसी अन्य आयोग, आदि के पास लंबित नहीं है - अपीलकर्ता यह भी घोषणा करता है कि जिस मामले के बारे में यह अपील की गई है, वह विधायी आयोग या किसी अन्य प्राधिकरण या किसी अन्य अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।

9. मांगी गई राहत - उपरोक्त पैरा 8 में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर अपीलकर्ता, अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करता है : (कृपया नीचे अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राहत के बारे में बताएं)

10. अनुक्रमणिका का ब्यौरा - डुप्लिकेट में अनुक्रमणिका संलग्न है जिसमें ऐसे दस्तावेजों का विवरण है, जिन पर भरोसा किया जाना है।

11. संलग्नकों की सूची :

सत्यापन

मैं, ... (स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ..... इसके द्वारा यह सत्यापित करता / करती हूँ कि पैरा 1 से 11 की सामग्री मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और मैंने कोई सारवान तथ्य नहीं छिपाया है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

तिथि

स्थान

अनुबंध 3

सक्षम प्राधिकारी का विवरण

क्र. सं.	राज्य	धारा 10 के तहत सक्षम प्राधिकारी	धारा 12 (ख) के तहत प्राधिकारी
1	आंध्र प्रदेश	सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, तीसरी मंजिल, एपी सचिवालय, वेलागपुडी, अमरावती टेलीफोन : 0863-2443139 prlsecy_mw@ap.gov.in	सरकार के प्रधान सचिव (पदेन) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एपी सचिवालय, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) टेलीफोन : 040 -2345 9290 prisecy_mw@ap.gov.in jsmwdeptap@gmail.com
2	अरुणाचल प्रदेश	सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग सिविल सचिवालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश मोबाइल : 8130733007 commissionerwcdandsjeta@yahoo.com	उप सचिव (शिक्षा) अरुणाचल प्रदेश सरकार सिविल सचिवालय, शिक्षा शाखा, ब्लॉक नंबर 1, तीसरी मंजिल, पीओ ईटानगर-791 111 dysecyedn@gmail.com
3	असम		संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग (उच्चतर), असम सचिवालय, ब्लॉक सी, सचिवालय परिसर, दिसपुर, गुवाहाटी -6 असम higherednassam@gmail.com
4	बिहार	कक्षाओं के लिए (1-8) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा भूतल, विकास भवन नया सचिवालय, डेली रोड, पटना, बिहार -800015 टेलीफोन : 0621-2215869 directorpe.edu@gmail.com कक्षाओं के लिए (9-12) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा भूतल, विकास भवन नया सचिवालय, डेली रोड, पटना, बिहार -800015 टेलीफोन : 0621-2231151 directorse.edu@gmail.com	सचिव मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, सचिवालय, पटना, बिहार
5	छत्तीसगढ़	आयुक्त अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर टेलीफोन : 0771-2262558, मोबाइल न: 9977473000 ctdcg@nic.in	
6	गोवा	सचिव (गृह) शिक्षा निदेशालय, पोरवोरिम - गोवा टेलीफोन :0832-2416033, 0832-2416139 फैक्स : 0832-2416136 मोबाइल : 9423314847 dir-educ.goa@.nic	सचिव (गृह) सचिवालय, पोरवॉरिम – गोवा टेलीफोन : 0832-2419401 फैक्स : 0832-2415201 cs-goa@nic.in

7	गुजरात	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा डॉ जीवराज मेहता भवन, मंजिल 12/1, गांधीनगर, गुजरात टेलीफोन : 079-23253980 मोबाइल : 9978405031 Dep.guj@gmail.com उप निदेशक, स्कूलों के निदेशक पुराना सचिवालय ब्लॉक 9/1, गांधीनगर, गुजरात टेलीफोन : 079-23253463 मोबाइल : 9909971081 jointdirectors@gmail.com उच्च शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा आयुक्त का कार्यालय, द्वितीय तल, ब्लॉक नंबर 12, डॉ. जीवराज मेहता भवन, गांधीनगर - 382012, गुजरात टेलीफोन : 079-23254000 फैक्स: 079-23252240 commi-highedu@gujarat.gov.in तकनीकी शिक्षा आयुक्त कार्यालय तकनीकी शिक्षा आयुक्तालय, ब्लॉक नंबर 2, छठी मंजिल कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10ए, गांधीनगर - 382 010 टेलीफोन :079-2325 3546 फैक्स :079-2325 3539 dteguj@yahoo.co.in / dire-dte@gujarat.gov.in	स्कूलों के आयुक्त, ब्लॉक नंबर 9-1, डा. जीवराज मेहता भवन, गांधीनगर, गुजरात - 382010 टेलीफोन : 079-23253463 dosgujarat@gmail.com तकनीकी शिक्षा आयुक्त दूसरी मंजिल, ब्लॉक नंबर 2, डॉ जीवराज मेहता भवन, गांधीनगर-382 010 टेलीफोन : 079-2325, 3546 फैक्स : 079 - 2325 3539 dteguj@yahoo.co.in
8	हरियाणा	चिकित्सा संस्थानों के लिए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य निदेशालय, कमरा नंबर 529, 5वीं मंजिल हरियाणा नया सचिवालय, सेक्टर-17, चंडीगढ़ टेलीफोन : 0172-2706481 सामान्य कॉलेजों के लिए अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग कमरा नंबर 403, चौथी मंजिल, हरियाणा नया सचिवालय, सेक्टर-17, चंडीगढ़ टेलीफोन : 0172-2714001 तकनीकी संस्थानों के लिए प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग कमरा नंबर 403, चौथी मंजिल, हरियाणा नया सचिवालय, सेक्टर-17, चंडीगढ़ टेलीफोन : 0172-2714001 स्कूलों के लिए प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, कमरा नंबर 37, 7वीं मंजिल हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर -1, चंडीगढ़ -160001 टेलीफोन : 0172-2711754	वित्त आयुक्त और प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, सिविल सचिवालय, चंडीगढ़, हरियाणा - 160 001 edusecondaryhry@gmail.com
9	हिमाचल प्रदेश	निदेशक	निदेशक

		उच्च शिक्षा निदेशक शिमला – 1, हिमाचल प्रदेश टेलीफोन : 0177-2656621फैक्स :0177-2811247 dhe-sml-hp@gov.in	उच्च शिक्षा निदेशक शिमला – 1, हिमाचल प्रदेश टेलीफोन : 0177-2656621फैक्स :0177-2811247 dir.edu@rediffmail.com
10	झारखंड	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, तीसरी मंजिल, एमडीआई बिल्डिंग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, परियोजना भवन के पीछे, डाकघर धुर्वा, जिला रांची - 834004 टेलीफोन : 0651-2400973 मोबाइल : 9431379632 jatashankarc@gmail.com निदेशक, प्राथमिक शिक्षा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार एमडीआई बिल्डिंग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, परियोजना भवन के पीछे, डाकघर धुर्वा, जिला रांची - 834004	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, रांची टेलीफोन : 0651-2400973 dirsecednjhk@rediffmail.com निदेशक, उच्च शिक्षा उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार तीसरी मंजिल, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरंडा रांची, झारखंड -834002 टेलीफोन : 0651-2490070 directorhehrdd@gmail.com निदेशक, तकनीकी शिक्षा उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार तीसरी मंजिल, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरंडा रांची, झारखंड -834002 टेलीफोन : 9546466712 dtejharkhand@gmai.com
11	कर्नाटक	अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) कर्नाटक सरकार छठी मंजिल, बहुमंजिला इमारत, बेंगलुरु-560001 टेलीफोन : 080-22252437 फैक्स : 080-22253756 Prshigh-edu@karnataka.gov.in	प्रधान सचिव शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) कर्नाटक सरकार छठी मंजिल, बहुमंजिला इमारत, बेंगलुरु, कर्नाटक-560001 टेलीफोन :080-22252437 :फैक्स :080-22253756 prshigh-edu@karnataka.gov.in
12	केरल	निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय केरल सरकार, चौथी मंजिल, विकास भवन, तिरुवनंतपुरम-695033 टेलीफोन : 0471-2300523	सचिव सामान्य शिक्षा विभाग, केरल सरकार, कमरा नंबर 302, तीसरी मंजिल, अनेक्सी II, सचिवालय टेलीफोन : 0471-2518551, 2320434 मोबाइल :9995508800 secy.gedu@kerala.gov.in
13	मध्य प्रदेश	सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, कमरा नंबर 339, मंत्रालय, भोपाल, मध्य प्रदेश टेलीफोन :0755-2550957 :फैक्स :0755-2555553 secobc2017@gmail.com bcbpl@nic.in	सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, कमरा नंबर 339, मंत्रालय, भोपाल, मध्य प्रदेश टेलीफोन :0755-2550957 :फैक्स :0755-2555553

			secobc2017@gmail.com bcbpl@nic.in
14	महाराष्ट्र		संयुक्त सचिव अल्पसंख्यक विकास विभाग कमरा नंबर 715, मंत्रालय (एनेक्सी), टेलीफोन :022-22830031 :फैक्स :022-22830626 sandesh.tadvi@nic.in
15	मणिपुर		अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कार्य विभाग/ओबीसी और एससी मणिपुर सरकार, कमरा नंबर 198 सचिवालय साउथ ब्लॉक, इंफाल पश्चिम, मणिपुर-795001 टेलीफोन : 0385-2451183
16	मेघालय	सचिव, शिक्षा विभाग मेघालय सरकार, अतिरिक्त सचिवालय मेघालय: शिलांग - 793001 dwahlang@yahoo.com	सचिव, शिक्षा विभाग मेघालय सरकार, अतिरिक्त सचिवालय मेघालय: शिलांग - 793001 dwahlang@yahoo.com
17	मिजोरम	आयुक्त एवं सचिव, मिजोरम सरकार मिशन वेंग, आइजोल मिजोरम सचिवालय बिल्डिंग, एनसीसी मिजोरम सचिवालय परिसर, खाटला, आइजोल, मिजोरम - 796001 टेलीफोन : 0389-2322532 फैक्स :0389-2336648 secretarysedmiz@gmail.com	आयुक्त एवं सचिव, मिजोरम सरकार स्कूल शिक्षा विभाग मिजोरम सचिवालय बिल्डिंग, एनसीसी मिजोरम सचिवालय परिसर, खाटला, आइजोल, मिजोरम - 796001 टेलीफोन : 0389-2336661 Sed.mizoramgov@gmail.com
18	नागालैंड	प्रधान निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय, अपर बायवु हिल, कोहिमा, नागालैंड 797121 फ़ोन: टेलीफोन :0370-2260044 (प्रधान निदेशक कार्यालय) 0370-2260048 (निदेशक कार्यालय)ईमेल: directorateSE@gmail.com, examInfoDose@gmail.com	प्रधान निदेशक, स्कूल शिक्षा निदेशालय, अपर बायवु हिल, कोहिमा, नागालैंड 797121फ़ोन: टेलीफोन :0370-2260044 (प्रधान निदेशक कार्यालय) 0370-2260048 (निदेशक कार्यालय) directorateSE@gmail.com, examInfoDose@gmail.com
19	ओडिसा	प्रारंभिक शिक्षा के लिए निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा 5वां तल, एचओडी बिल्डिंग, यूनिट V, भुबनेश्वर-01, खोर्धा, ओडिशा टेलीफोन : 0674-2395642, मोबाइल न: 9439165791 dee.oris@gmail.co.in माध्यमिक शिक्षा के लिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा छठवां तल, एचओडी बिल्डिंग, यूनिट V, भुबनेश्वर, खोर्धा, ओडिशा टेलीफोन : 0674-2393531, मोबाइल न: 9861470628 dseorissaedn@yahoo.com	प्रधान सचिव स्कूल और जन शिक्षा विभाग, उड़ीसा सरकार, सचिवालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा – 751 001 secysme@gmail.com secysme.od@nic.in
20	पंजाब	उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा और भाषा विभाग, पंजाब सिविल सचिवालय- II, सेक्टर -9 ए, चंडीगढ़ टेलीफोन : 0172-2741237 pshe@punjab.gov.in	सचिव, उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग, कमरा नंबर 510, 5 वीं मंजिल, मिनी खंड, सेक्टर 9, चंडीगढ़ secy.se@punjab.gov.in

		स्कूली शिक्षा के लिए सार्वजनिक निर्देश निदेशक (एसई) माध्यमिक शिक्षा शाखा विभाग ब्लॉक ई, विद्या भवन, चतुर्थ तल परिसर, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, सेक्टर 62, एसएएस नगर टेलीफोन :0172-2214393 मोबाइल :98551-10783 ईमेल-आईडी: dpise_punjab@yahoo.co.in फैक्स : 0172-2213057	चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए अपर मुख्य सचिव कमरा नंबर 510, 5वीं मंजिल, पंजाब सिविल सचिवालय-II, सेक्टर-9, चंडीगढ़ टेलीफोन : 0172-2743136 मोबाइल :98150-74500 ई-मेल आईडी : Secy.mer@punjab.gov.in
21	राजस्थान	प्रधान सचिव अल्पसंख्यक मामले और वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार कमरा नंबर 1108, मुख्य भवन, सरकारी सचिवालय, जयपुर, राजस्थान -302005। टेलीफोन : 0141-2227795 ई-मेल आईडी : psmarajasthan@gmail.com	प्रधान सचिव अल्पसंख्यक कार्य एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार, कमरा संख्या 8145, एसएसओ भवन, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान-302005 टेलीफोन : 0141-2227635 psmarajasthan@gmail.com
22	सिक्किम	अपर मुख्य सचिव, (मानव संसाधन विकास विभाग के प्रभारी सचिव) सिक्किम सरकार मानव संसाधन विकास विभाग, गंगटोक टेलीफोन : 03592-203050 gpupadhyaya@gmail.com	अपर मुख्य सचिव, (मानव संसाधन विकास विभाग के प्रभारी सचिव) मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक gpupadhyaya@gmail.com
23	तमिलनाडु	स्कूली शिक्षा के लिए प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तमिलनाडु सरकार, रीना रोड, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु - 600009 टेलीफोन : 044-25672790 schsec@tn.gov.in उच्च शिक्षा के लिए प्रधान सचिव उच्च शिक्षा विभाग तमिलनाडु सरकार, रीना रोड, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु - 600009 टेलीफोन : 044-25670499 schsec@tn.gov.in कानूनी शिक्षा के लिए सचिव, तमिलनाडु सरकार कानूनी शिक्षा विभाग नामक्कल कविगनर मालिगई, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु - 600009 टेलीफोन : 044-25672920 lawsec@tn.gov.in कृषि शिक्षा के लिए आयुक्त एवं प्रधान सचिव	प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा स्कूल शिक्षा विभाग तमिलनाडु सरकार, रीना रोड, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु - 600009 टेलीफोन : 044-25672790 schsec@tn.gov.in प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग तमिलनाडु सरकार, रीना रोड, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु - 600009 टेलीफोन : 044-25670499 schsec@tn.gov.in सचिव, कानूनी शिक्षा तमिलनाडु सरकार कानूनी शिक्षा विभाग नामक्कल कविगनर मालिगई, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु - 600009 टेलीफोन : 044-25672920 lawsec@tn.gov.in आयुक्त एवं प्रधान सचिव, कृषि शिक्षा कृषि विभाग नामक्कल कविगनर मालिगई, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु - 600009

		कृषि विभाग नामक्कल कविगनर मालिगई, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु - 600009 टेलीफोन : 044-25674482 agrisec@tn.gov.in चिकित्सा शिक्षा के लिए सचिव, तमिलनाडु सरकार स्वास्थ्य और कल्याण विभाग नामक्कल कविगनर मालिगई, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु - 600009 टेलीफोन : 044-25671875 hfsec@tn.gov.in	टेलीफोन : 044-25674482 agrisec@tn.gov.in सचिव, चिकित्सा शिक्षा, तमिलनाडु सरकार स्वास्थ्य और कल्याण विभाग नामक्कल कविगनर मालिगई, फोर्ट सेंट जॉर्ज, सचिवालय, चेन्नई, तमिलनाडु - 600009 टेलीफोन : 044-25671875 hfsec@tn.gov.in
24	त्रिपुरा	सचिव, त्रिपुरा सरकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सचिवालय भवन, न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स,अगरतला टेलीफोन : 0381-241, -5569 Secretaryobc&Minority@gmail.com	सचिव, त्रिपुरा सरकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सचिवालय भवन, न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स,अगरतला टेलीफोन : 0381-241, -5587 deyml@hotmail.com
25	तेलंगाना	सचिव, तेलंगाना सरकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, “डी” ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, तेलंगाना सचिवालय, हैदराबाद - 500022 टेलीफोन : 040 23452983 फैक्स :040 23459906 ईमेल : secy.mwts@gmail.com	सचिव, तेलंगाना सरकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग डी-ब्लॉक, भूतल, तेलंगाना सचिवालय, हैदराबाद-500 022 टेलीफोन :040-23452983 :फैक्स :040-23459906 secy.mwts@gmail.com
26	उत्तर प्रदेश	उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, यूपी सरकार नवीन भवन, कमरा नंबर 3, यूपी सचिवालय, लखनऊ - 226001 टेलीफोन : 0522-2237065 pshighereducation@gmail.com तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, यूपी सरकार कमरा नंबर-19, तीसरी मंजिल, सचिव भवन, यूपी सचिवालय, लखनऊ टेलीफोन : 0522-2238094, 2213178 psectecedu@gmail.com सीबीएसई के साथ स्कूल की संबद्धता के लिए प्रधान सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार स्कूली शिक्षा के लिए अपर मुख्य सचिव	उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, छठी मंजिल, इंदिरा भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश

		स्कूल शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार बहू खांडी, सचिवालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) टेलीफोन : 0522-2238106 secondaryeducation.11@gmail.com व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रधान सचिव व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार कमरा नंबर-19, तीसरी मंजिल, सचिव भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ टेलीफोन : 0522-2238094 / 2213178	
27	उत्तराखंड	अन्य संस्थानों के लिए सचिव उच्च शिक्षा, उत्तराखंड सरकार कमरा नंबर 7, ग्राउंड फ्लोर, स्वर्गीय सोबन सिंह जीना भवन (एसबीआई बैंक बिल्डिंग), उत्तराखंड सचिवालय टेलीफोन : 0135-2712802, मोबाइल :9927699808 Secy-for-ua@nic.in मदरसा के लिए शिक्षा बोर्ड अल्पसंख्याक निदेशक, उत्तराखंड मदरसा कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, एटीएस अधोईवलि के पास, देहरादून टेलीफोन : 013522781157 मोबाइल: 9927699644 ukmadarsaboard@gmail.com	मदरसा के लिए निदेशक उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, एटीएस अधोईवली के पास, देहरादून ईमेल – ukmadarsaboard@gmail.com टेलीफोन :013522781157 मोबाइल : 9927699644 अन्य संस्थानों के लिए प्रधान सचिव उच्च शिक्षा, उत्तराखंड सरकार देवेन्द्र शास्त्री भवन, उत्तराखंड सचिवालय, देहरादून टेलीफोन : 0135-2712802, मोबाइल :8171112233 secy-for-ua@nic.in
28	पश्चिम बंगाल	मदरसा के लिए आयुक्त पश्चिम बंगाल सरकार अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग, "नबाना" 325, शरत चटर्जी रोड, हावड़ा - 711102 (पश्चिम बंगाल) टेलीफोन: 033-22501015 / 22145667 फैक्स: 033-22141708 obaidurrahman.rahman@gmail.com अन्य संस्थानों के लिए विशेष सचिव पश्चिम बंगाल सरकार उच्च शिक्षा विभाग, विकास भवन, छठवीं मंजिल, कोलकाता - 700091 मोबाइल : 9475112122 Sse.hed-wb@gov.in	मदरसा के लिए आयुक्त पश्चिम बंगाल सरकार अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग, "नबाना" 325, शरत चटर्जी रोड, हावड़ा - 711102 (पश्चिम बंगाल) टेलीफोन: 033-22501015 / 22145667 फैक्स: 033-22141708 obaidurrahman.rahman@gmail.com अन्य संस्थानों के लिए विशेष सचिव पश्चिम बंगाल सरकार उच्च शिक्षा विभाग, विकास भवन, छठवीं मंजिल, कोलकाता - 700091 मोबाइल : 9475112122 Sse.hed-wb@gov.in
संघ राज्य क्षेत्र			
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	प्रशासन के आदेश संख्या 3593 दिनांक 16 नवंबर, 2015 के माध्यम से गठित अधिकारियों की समिति सचिवालय, अंडमान और निकोबार प्रशासन,	सचिव (शिक्षा) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर टेलीफोन : 03192-230661 फैक्स : 03192-

		पोर्ट ब्लेयर टेलीफोन :03192-233345 और 03192-232777 फैक्स :8900911233 और 9531858717 Sec.edn.and@nic.in (Secy(Edn)} and dired.and@nic.in{Director (Edn)}) फैक्स : 03192.-2444201 और 03192.-130101	230101 Sec.edn.and@nic.in
2	चंडीगढ़	स्कूल शिक्षा निदेशक, चंडीगढ़ अतिरिक्त डीलक्स बिल्डिंग, पहली मंजिल, सेक्टर-9, चंडीगढ़ - 160009 टेलीफोन :0172-2740411 :फैक्स :0172-2740695 dpi-chd@nic.in	स्कूल शिक्षा निदेशक, चंडीगढ़ अतिरिक्त डीलक्स बिल्डिंग, पहली मंजिल, सेक्टर-9, चंडीगढ़ - 160009 टेलीफोन :0172-2740411 :फैक्स :0172-2740695 dpi-chd@nic.in
3	दादरा एवं नगर हवेली		
4	दमन एवं दीव	निदेशक (शिक्षा) सचिवालय, मोती दमन टेलीफोन: 0260-2231170 / 2230088 फैक्स: 0260-2231170 adedn-dmn-dd@nic.in	सहायक निदेशक (शिक्षा) शिक्षा निदेशालय, नानी दमन टेलीफोन :0260-2255126 :फैक्स :0260-2255126 daman.education@gmail.com
5	दिल्ली		शिक्षा के सहायक निदेशक (एसीटी), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, कमरा नंबर 214-ए, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली - 110 054, diredu@nic.in शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5, श्यामनाथ मार्ग, दिल्ली - 110054
6	लक्षद्वीप	शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग, कवरत्ती, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप टेलीफोन : 04896262241 मोबाइल :9188655501 askerupsc@gmail.com	
7	पुदुचेरी	स्कूल शैक्षणिक संस्थानों के लिए सचिव (शिक्षा) मुख्य सचिवालय नंबर 1, गौबर्ट एवेन्यू, बीच रोड, पुद्दुचेरी - 605001 टेलीफोन :0413-2334144 :फैक्स :0413-2334144 dc.pon@nic.in उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए	एमएससी मामलों में सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए गृह मंत्रालय से लंबित आदेश

		उप राज्यपाल राज निवास, पुद्दुचेरी – 605001 टेलीफोन :0413-2334051 :फैक्स :0413-2334025 Lg.pon@nic.in	
8	जम्मू एवं कश्मीर		
9	लद्दाख		

अनुबंध 4

जारी किए गए अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र का राज्यवार विवरण (2005-06 से 2020-21)																		
राज्य		वर्षवार विवरण																
																		एमएससी की कुल संख्या
1.	अंडमान																	
2.	आंध्र प्रदेश																	
3.	अरुणाचल प्रदेश																	
4.	असम																	
5.	बिहार																	
6.	चंडीगढ़																	
7.	छत्तीसगढ़																	
8.	दादरा एवं नगर हवेली																	
9.	दमन																	
10.	दिल्ली																	
11.	गोवा																	
12.	गुजरात																	
13.	हरियाणा																	
14.	हिमाचल प्रदेश																	
15.	झारखंड																	
16.	कर्नाटक																	
17.	केरल																	

18.	लक्षद्वीप																	
19.	मध्य प्रदेश																	
20.	महाराष्ट्र																	
21.	मणिपुर																	
22.	मेघालय																	
23.	मिजोरम																	
24.	नागालैंड																	
25.	ओडिशा																	
26.	पांडिचेरी																	
27.	पंजाब																	
28.	राजस्थान																	
29.	सिक्किम																	
30.	तमिलनाडु																	
31.	तेलंगाना																	
32.	त्रिपुरा																	
33.	उत्तर प्रदेश																	
34.	उत्तराखंड																	
35.	पश्चिम बंगाल																	
	कुल																	